पंचम माला, खंड 38, अंक 39, गुरुवार, 18 अप्रैल, 1974/28 चैत्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVIII, No. 39, Thursday, April 18, 1974/Chaitra 28, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1--290 LSS/74

विषय-सूची / CONTENTS

अंक/39, गुरुवार, 18 अप्रैल, 1974/28 चैत्र, 1896 (शक)

No. 39, *Thursday, April* 18, 1974/*Chaitra* 28, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
730.	आप्रवास विधियों के कारण 16,000 भारतीयों को अदन छोड़ने के लिए बाध्य किया जाना	16,000 Indians compelled to leave Aden die to Immigration Laws ..	1-3
731.	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए स्कूटरों के आवंटन का कोटा	Quota for Allotment of Scooter to Central Government Officers ..	4-5
734.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना	Setting up of Mishra Dhatu Nigam Ltd.	5-6
737.	विदेशों से आने वाले संभ्रान्त व्यक्तियों तथा भारत में विदेशी मिशनों द्वारा चीन की आलोचना	Criticism of China by Foreign Visitors and Missions in India	7-9
738.	मध्य प्रदेश के लिए कोयला निगम	Coal Corporation for Madhya Pradesh	9-11
740.	मिर्जापुर जिले में मूल्यवान धातु का पाया जाना	Finding of Costly Metals in Mirzapur Dist. ict	11-12
743.	चटगांव और काक्स बाजार से दूर मत्स्य नौकाओं का चलाया जाना	Operation of Fishing Trawlers off Chittagong and Cox's Bazar ..	12-13
744.	ट्रांसफार्मरों का निर्माण	Production of Transformers	14-16
745.	भारत-चीन सीमा पर भारतीय तथा चीनी सेनाओं के बीच झड़पें	Clashes between Indian and Chinese Army on Indo-China Border ..	16
747.	मिग-21 एम० में आयातित/स्वदेशी उपकरणों की प्रतिशतता	Percentage of imported and Indigenous Components in Mig-21M ..	16-17
748.	विमानों की उड़ानें रोकने के कारण भारत से मुआवजा प्राप्त करने के लिए पाकिस्तानी दावा	Pak Claim of Compensation from India for Stopping Overflights ..	17-18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
732.	कोयले की मांग तथा सप्लाई सम्बन्धी योजना आयोग समिति	Planning Commission Committee on Coal Requirements and Supplies ..	18
733.	सोवियत संघ और अमरीका के बीच शस्त्र परिसीमन पर वार्ता	Talks on Arms Limitation between USSR and USA	18-19
735.	कोक्कर कोयले की कम सप्लाई के कारण इस्पात संयंत्रों की कोक भट्टी बैटरियों का क्षति ग्रस्त हो जाना	Coke Oven Batteries on Steel Plants damaged due to short Supply of Coking Coal	19
736.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खनिजों के लिए भू-भौतिकी और भू-रासायनिक सर्वेक्षण	Geophysical and Geochemical Survey for Minerals during Fifth Plan	19-20
739.	जबरन छुट्टी के मुआवजे में वृद्धि	Raise in Lay off Compensation ..	20
741.	फ़ार्मेसी में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव	Proposal to utilise Persons having Diploma/Degree in Pharmacy ..	20
742.	विलम्ब से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन	Incentives for late Marriages ..	20-21
746.	इस्पात उत्पादन की भारती प्रक्रिया	Bharti Process of Steel Making ..	21
749.	पाक स्ट्रेट्स के कच्चातीबू द्वीप पर प्रभुसत्ता	Sovereignty over Kachchativu Island in Palk Straits	21

अता० प्र० सं० U.S.Q.Nos.			
7137.	बोकारो स्टील लिमिटेड में बोकारो होटल	Bokaro Hotel in Bokaro Steel Limited	22
7138.	अंडमान में एक सैनिक अधिकारी द्वारा एक असैनिक कर्मचारी को पीटा जाना	Civilian Employees beaten up by an Army Officer in Andamans	22
7139.	विदेशी सहयोग से राज्यों में संयुक्त क्षेत्र में स्कूटर कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन	Incentive for setting up Scooter Units in Joint Sector in Stages with Foreign Collaboration	23
7140.	फ्रांस में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in France	23
7141.	श्रीलंका में भारतीय मूल के निवासी	Persons of Indian Origin in Sri Lanka	23
7142.	नौसेना की विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी कमांड में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को विनियमित करना	Regularisation of Services of Casual Labourers serving in Eastern Naval Command, Visakhapatnam ..	23-24

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos,	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7143.	नौसेना दक्षिणी कमांड के मासिक आधार पर वेतन पाने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों पर भुगतान	Payment of Revised Pay Scales for Monthly Rated Casual Staff of Navy Southern Command	24—25
7144.	जबलपुर स्थित गन कैरिएज फैक्टरी, मध्य प्रदेश के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Jabalpur Gun Carriage Factory M. P. ..	25
7145.	जबलपुर गन कैरिएज फैक्टरी में भंडार रक्षण कर्मचारी	Stock maintenance employees in Jabalpur Gun Carriage Factory	25—26
7146.	मध्य प्रदेश स्थित कपड़ा मिलों में कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि सम्बन्धी शिकायतें	Complaints regarding E. P. F. contributions of Employees in Cloth Mills in Madhya Pradesh	26
7147.	कोयले की कीमत	Price of Coal	
7148.	दिल्ली में अस्पतालों की कमी	Dearth of Hospitals in Delhi ..	26
7149.	जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बाद दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में पंजीकृत किय गए बहिरंग रोगी	Out door patients registered in Major Hospitals of Delhi after Junior Doctors Strike	27 27
7150.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई औषधियों को देने में विलम्ब	Delay in issuing of Medicines Prescribed by Specialists by C.G.H.S. Dispensaries	27
7151.	दिल्ली क्लाथ मिल्स में श्रमिक-प्रबंधक विवाद	D. C. M. Workers Management Dispute	28
7152.	श्रम ब्यूरो में कम्प्यूटर इन्वैस्टीगेटर्स	Computer Investigators in Labour	28
7153.	संयुक्त साइफर ब्यूरो में कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या	Officers in Joint Cipher Bureau Drawing less pay than Junior Officers ..	28—29
7154.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में प्रशिक्षु पाठ्यक्रम	Apprentice Course in H.M.T.	29
7155.	संयुक्त राज्य अमरीका के कांग्रेस सदस्यों द्वारा डियागो गार्सिया विरोधी आन्दोलन	Anti Diego Garcia move by U.S. Congress Members	29—30
7156.	कृषि श्रमिकों की मंजूरी तथा अन्य मामलों सम्बन्धी समस्यायें	Wage and other problems on Agricultural Workers	30
7157.	पश्चिम एशियाई देशों द्वारा भारत में संयंत्रों की स्थापना	Setting up of plants in India by West Asian Countries	31
7158.	बिहार के रामगढ़ कोयला क्षेत्रों के कोयला कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Coal Workers of Ramgarh Coal Areas of Bihar on Strike	31
7159.	भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण उड़ीसा द्वारा नए खनिजों का पता लगाना	Location of new Minerals by Geological Survey Department, Southern Orissa	31—32

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7160.	टाटा चैसिस की डीलरशिप और एजेंसियों पर एकाधिकार	Monopoly in Dealership and Agencies of Tata Chassis	32
7161.	तिब्बत तथा बर्मा के क्षेत्रों में चीनी सेनाओं का जमाव	Chinese build-up in Tibet and Burmese Territories	32—33
7162.	गोल मार्किट स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय के प्रभारी डाक्टर के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Gole Market C.G.H.S. Dispensary Incharge ..	33
7163.	दिल्ली नगर निगम, नरेला (दिल्ली) के क्षय रोग अस्पताल के कार्यकरण की जांच	Enquiry into functioning of D.M.C. Tuberculosis Hospital at Narela (Delhi)	33
7164.	तिब्बिया कालेज का बोर्ड	Board of Tibbia College	33—34
7165.	कोयला और इस्पात के आवागमन के लिए आपत कालीन योजना	Emergency Plan for Coal and Steel Movement	34
7166.	स्कूटरों के उत्पादन के लिए आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया द्वारा विस्तार	Expansion by Automobile Products of India for Production of Scooters	34—35
7167.	राज्यों को एल्यूमिनियम का नियतन	Allocation of Aluminium to States	35
7168.	विदेश मंत्रालयमें नीति आयोजन समिति का कार्यकरण	Functioning of Policy Planning Committee in the Ministry of External Affairs	35—36
7170.	लोहे की कतरनों का आयात	Import of Ferrous Scrap	36
7171.	तेल 'रिगों' का निर्माण	Manufacture of Oil Rigs	36
7172.	गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए सांविधिक मंजूरी बोर्ड	Statutory Wage Board for Non-Journalists	37
7173.	स्कूटरों का उत्पादन	Production of Scooters	37
7174.	भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण पोत की खरीद	Purchase of Seismological Survey Ships for Geological Survey ..	37
7175.	मध्य प्रदेश में लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plant in M.P.	38
7176.	त्रिपक्षीय बैठक के पश्चात् भारतीय प्रधान मंत्री को पाकिस्तान का आमंत्रण	Pak Invitation to Indian Prime Minister after Tripartite Meeting ..	38
7177.	सशस्त्र सेनाओं में भर्ती	Recruitment in Armed Forces	38—39
7178.	सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों में विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts in Heavy Industry Public Undertakings	39
7179.	'सोवियत विशेषज्ञ भारतीय अर्थ-व्यवस्था में प्रगति लायेंगे' सम्बन्धी समाचार	News Report Re. Soviet Experts to Boost Indian Economy	39—40
7180.	इस्पात के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Steel ..	40—41
7181.	कोयला खानों में एक दिन में चार पारियां	Four Shifts a Day in Coal Mines	41

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos,	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7182.	नीलोखेड़ी स्थित इंजीनियरिंग वर्कशाप में जैटोर ट्रेक्टरों का उत्पादन का बन्द होना	Stoppage of Production of Zetor Tractors by Engineering Workshop at Nilokheri	41-42
7183.	वर्ष 1973 के दौरान खनिज उत्पादन	Mineral Production during 1973 ..	42
7184.	वर्ष 1973-74 के दौरान कारों और स्कूटरों की कीमतों में वृद्धि की अनुमति	Increase in prices of Cars and Scooters allowed during 1973-74	42-43
7185.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को घाटा	Loss to Hindustan Steel Limited ..	43-44
7186.	भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए सेना अधिकारी	Army Officers charged with Corruption	44
7187.	आल इंडिया अलेम्बिक एम्पलाईज फैडरेशन, जयपुर से ज्ञापन	Memorandum from All India Alembic Employees Federation, Jaipur ..	45
7188.	अन्डमान और निकोबार नौसेना प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों द्वारा ऐसोसिएशन बनाया जाना	Forming of an Association by Civilian Employees of Naval Establishments of Andaman and Nicobar	45
7189.	केन्द्रीय नागरिक परिषद् द्वारा नकली औषधियों के सम्बन्ध में दिए गए सुझाव	Suggestions made by Citizens Central Council regarding Spurious Drugs	45-48
7190.	पांचवीं योजना अवधि के बाद ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता	Requirement of Transformers after Fifth Plan period	48
7191.	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के लिए स्थल का चयन	Selection of Site for Transformers Factory	49
7192.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का उत्पादन	Production of Bharat Heavy Electricals Ltd.	49-50
7193.	पांचवीं योजना में बिहार के पालामऊ जिले में एक नए भारी उद्योग की स्थापना	Establishment of new Heavy Industry in Palamau Bihar in Fifth Plan ..	51
7194.	पालामऊ जिले की बाक्साइट खानों में से बाक्साइट निकालना	Exploration of Bauxite Mines of Palamau District	51
7195.	आंध्र प्रदेश में फ्लूरोसिस बीमारी	Flourisis Disease in Andhra Pradesh	51-52
7196.	वर्ष 1974-75 के दौरान ट्रैक्टरों की मांग तथा उत्पादन	Demand and Production of Tractors during 1974-75	52
7197.	दवाइयों में मिलावट के मामले	Cases for Adulteration of Drugs ..	52
7198.	अफ्रीकी-एशियाई देशों के बारे में लाहौर में हुए इस्लामी सम्मेलन की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं	Political Repercussions of Lahore Islamic Conference on Afro-Asian Countries	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7199.	महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in Maharashtra ..	53
7200.	विदेश मंत्री का अल्जीरिया का दौरा	Foreign Minister's Visit to Algiers ..	53-54
7201.	भारत तथा यूरोप में रुके लगभग 500 यूगैन्डा एशियाई लोगों का ब्रिटेन में प्रवेश	Entry into Britain of about 500 Ugandan Asians Stranded in India and Europe	54
7202.	चिकित्सा शिक्षा आयोग	Medical Education Commission ..	54
7203.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सेवामुक्त आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Released Emergency Commissioned Officers in Central Health Service	54-55
7204.	हिन्द महासागर के बारे में अमरीका का नया दृष्टिकोण	New US Thesis on Indian Ocean ..	55-56
7205.	तेल संकट से पीड़ित विकासशील देशों को राहत देने के लिए अल्जीरिया में तटस्थ देशों के ब्यूरो में प्रस्ताव	Proposal at Non-Aligned Bureau in Algiers for Relier to Developing Countries hit by Oil Crisis	56
7206.	भारत तथा श्रीलंका के बीच अधिकारी स्तर पर वार्ता	Officials Level Talks between India and Sri Lanka	56-57
7207.	कोयले की चोरबाजारी	Black marketing in Coal	57
7208.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कोयले से तेल निकालने के सम्बन्ध में व्यवहार्यता प्रतिवेदन	Feasibility report of oil from coal by Engineering Projects (India) Ltd.	57
7209.	सलेम इस्पात संयंत्र के लिए मशीनरी का आयात	Import of machinery for Salem Steel Plant	58
7210.	मैसूर बिजली निगम द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिए गए क्रयादेश	Orders placed with BHEL by Mysore Power Corporation	58
7211.	एमरजेंसी कमीशन से निवृत्त अधिकारियों को विशेष अल्पावधि (शार्ट सार्विस) कमीशन देना	Grant of Special Short Service Commission to Released Emergency Commissioned Officers	58-59
7212.	मध्य प्रदेश में फैरो मैंगनीज संयंत्र की स्थापना	Ferro Manganese Plant in Madhya Pradesh	59
7213.	आर० एम० डी० सी० प्रैस, बम्बई द्वारा कर्मचारियों को अनियमित भुगतान	Irregular Payment to Employees by R.M.D.C. Press Bombay	59
7214.	परनासी, बेहाला, कलकत्ता में टेनिमेंट्स के स्वामित्व के अधिकार	Ownership rights to Tenements at Parnasree, Behala, Calcutta ..	60
7215.	सरकार द्वारा बर्न एण्ड कम्पनी को नियंत्रण में लेने के बाद उसका पुनर्गठन	Reorganisation of Burn and Co. after take over by Government	60

अता० प्र० सख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7216.	'हिन्डालको' का बंद होना	Closure of Hindalco	61
7217.	पटसन श्रमिकों के लिए पंचाट	Award for Jute Workers	61—62
7218.	रक्षा विभाग के औद्योगिक तथा सिविल कर्मचारियों की सेवा शर्तों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति	Expert Committee to go into Service conditions of Industrial and Civilian Employees of Defence Department	62—63
7219.	युद्धों में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को टेलीफोन कनैक्शन	Telephone connections to the Dependents of Martyrs	63—64
7220.	बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली म कोयला गैस संयंत्रों की स्थापना	Coal Gas Plants in Bombay, Calcutta and Delhi	64
7221.	बढ़ा हुआ खनिज उत्पादन	Increased Mineral Output	64
7224.	उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के नियोजकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न किया जाना	Non deposit of E.P.F. by Employees of Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka	64—65
7225.	त्रिपक्षीय फोरम से पृथक भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता	Bilateral talks between Indian and Pakistan outside Tripartite Forum	65—66
7226.	रत्नगिरि के एल्यूमीनियम परियोजना द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Aluminium Project at Ratangiri	66
7227.	औद्योगिक शांति तथा सुरक्षा	Industrial Peace and Security ..	66
7228.	हिन्द महासागर में शांति बनाए रखने के लिए अल्जीरियर्स सम्मेलन में लिए गए निर्णय	Decisions taken at Algiers Conference for maintaining peace in Indian Ocean	67
7229.	दिल्ली में मच्छरों का उन्मूलन	Eradication of Mosquitoes from Delhi	67—68
7230.	हिन्द महासागर के बारे में सोवियत संघ का दृष्टिकोण	Soviet stand in Indian Ocean ..	68
7231.	एशियाई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में एशियाई क्षेत्रीय परामर्शदात्री बैठक द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज़	Document prepared by Asian Region Consultative Meeting on Asian Collective Security System ..	68
7232.	ट्रैक्टरों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता	Self-Sufficiency in Production of Tractors	69
7233.	विदेशी आग्नेय शस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध	Ban on Import of Foreign Fire arms	69
7234.	देश में प्रसूती अस्पतालों की कमी	Shortage of Maternity Hospitals in the country	69—70
7235.	देश में हृदय गति के रुकने से मरने वाले व्यक्ति	Persons died of heat attack in the country	70
7236.	पुराने जहाजों/विमानों से इस्पात तैयार करना	Steel from old Ships Aircraft	70
7237.	गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्रों में नियुक्ति	Private Sector Personnel to Main Public Sectors ..	70 71

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7238.	बिजली कर्मचारियों के लिए मंजूरी सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त समिति में गतिरोध	Deadlock in Wage Guidelines Committee for Electricity Workers ..	71
7239.	पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां तथा इसके द्वारा किए गए वायु तथा स्थल सीमा उल्लंघन	Movements of Troops and Air Land Violations by Pakistan	71—72
7240.	पश्चिमी बंगाल में स्कूटर कारखाने की स्थापना	Setting up of Scooter Factory in West Bengal	72
7241.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबंध ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of Management structure of HMT	73
7242.	कैंसर रोग के लिए अलारम बेल	Alarm Bell for Cancer ..	73
7243.	भारी उद्योगों के लिए चौथी योजना में धन राशि का नियतन	Financial allocation during Fourth Plan for Heavy Industries	74
7244.	स्व-नियोजित शिक्षित ड्राइवरों के लिए कारों तथा आटो-रिक्शाओं के टैक्सी कोटे का निर्धारण	Earmarking of Taxi quota of Cars and Auto Rickshaws for Self-employed Educated Drivers	74
7245.	कच्चातीबू समझौते पर श्रीलंका के मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported Statement by Sri Lanka Minister over Kachchativu Agreement	74—75
7246.	परिवार नियोजन विभाग के पुनर्गठन करने का प्रस्ताव	Proposal to Reorganise Family Planing Department	75
7247.	सेवा मुख्यालयों के कार्यालयों में गराजों का आवंटन	Allotment of Garage of Offices in Service Headquarters	75
7248.	भारी उद्योगों में सेवा से मुक्त किए गए अधिकारी	Removal of Officers from Service in Heavy Industries	75
7249.	निम्न स्तर के मेडिकल कालेजों की स्थापना रोकने के लिए कानून	Legislation to prevent starting of Sub-standard Medical Colleges ..	76
7250.	अल्जीरिया में हुई गुट निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक में भारत द्वारा प्रकट विचार	Views expressed by India at Non-aligned Bureau meet in Algiers ..	76
7251.	विदेश स्थित भारतीय मिशनों के आवास के फर्नीचर, किराया और रख रखाव पर व्यय	Expenditure on Furniture, Rent and Maintenance on Residences in Indian Missions Abroad	76—77
7252.	चिली में सान्टियागो में डिवाइन लाइट मिशन पर पुलिस द्वारा छापा मारा जाना	Police raid on Divine Light Mission at Santiago in Chile	77
7253.	सिविल अस्पताल की घटना संबंधी प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना	Submission of report re : Civil Hospital Incident	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7254.	गत तीन वर्षों में नियुक्त किए गए राजदूतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	Scheduled Castes and Scheduled Tribes among Ambassadors appointed during last three years ..	78
7255.	इस्पात और खनिजों का उत्पादन	Production of Steel and Minerals ..	78-79
7256.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाए	Institutions getting grants from Ministry of Health and Family Planning	79
7257.	कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण मानव दिवसों की हानि	Loss of Man days in Factories due to Accidents	80
7258.	दुर्गापुर एलाय इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant	80
7259.	डिएगो गार्शिया में संयुक्त नौसैनिक अड्डों के लिए ब्रिटिश समर्थन के पुन : पुष्टीकरण का दावा करते हुए अमरीका प्रवक्ता का वक्तव्य	Statement by U.S. Spokesman Claiming Reaffirmation of U.K. support for Joint Naval Base at Diego Garcia	81
7260.	डा० हेनरी किसिंजर की प्रस्तावित भारत यात्रा	Proposed visit of Dr. Henry Kissinger to India	81
7261.	गुजरात के श्रमिकों नियमों की पुनरीक्षा के लिए समिति	Committee to review Labour laws of Gujarat	81-82
7262.	भारत में कैंसर और थ्रोम्बोसिस रोगों में वृद्धि	Increase in Cancer and Thrombosis Diseases in India	82
7263.	सेना अधिकारियों द्वारा अच्छे वेतन एंव सेवा शर्तों की मांग	Demand by Army Officers for better Pay and Service Conditions ..	82
7264.	ईराक के वायस चैयरमैन की यात्रा	Visit by Vice-Chairman of Iraq ..	83
7265.	टाटा नगर फाऊंड्री कम्पनी लि० जमशेदपुर का बंद होना तथा कर्मचारियों को देय राशि की अदायगी	Closure of Tatanagar Foundry Company Limited, Jamshedpur and Payment of Workers dues	83
7266.	आर० वी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना	Non-Deposit of E.P.F. by R.V.H.M. Jute Mills Katihar	84
7267.	सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण और कब्जे के लिए दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा चलाए गए मुकद्दमें	Cases initiated by Danapur cantonment Board for unauthorised construction and encroachment on Government Land	84-85
7268.	दानापुर छावनी के मकान संख्या 34 के मालिक को किराए की अदायगी	Payment of rent to owner of holding No. 34 Danapur Cantt.	85
7269.	कैलिको कैमीकल्स एंड प्लास्टिकस बम्बई के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workmen of Calico Chemicals and Plastics, Bombay	86
7270.	दुर्गापुर में ढलवां लोहे का उत्पादन	Pig Iron Production at Durgapur ..	86
7271.	भिलाई इस्पात संयंत्र को मैंगनीज अयस्क की सप्लाई	Manganese Ore Supply to Bhilai Steel Plant	86-87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7272.	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा त्याग-पत्र	Resignation by Scientific Adviser to Defence Minister	87
7273.	फरीदाबाद में कर्मचारियों की जबरी छुट्टी	Workers' laid-off in Faridabad	87
7274.	श्रमिक संबंधी विभिन्न समितियों में केन्द्र स्तर पर प्रतिनिधित्व देने के बारे में मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ से ज्ञापन	Memorandum from Madhya Pradesh Bhartiya Mazdoor Sangh regarding Representation on various Committee on Labour at Central Level	88
7275.	मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Bhartiya Mazdoor Sangh, M.P.	88
7276.	नेपाल में भारतीय सहायता के साथ स्थापित परियोजनाएं	Projects set up in Nepal with Indian Aid	88-89
7277.	अभ्रक तथा कोयला खानों के श्रमिकों के मजूरी-दरों में अंतर	Difference in wages of Mica and Coal Mine Workers	89
7278.	डिएगो गर्शिया में रखी गई अमरीकी नौसेना का उद्देश्य	Purpose of U. S. Naval Forces Stationed in Diego Garcia	89
7279.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाना	Expeditious Disposal of cases relating to Public Sector Undertakings ..	90
7280.	कैण्टीन एंड स्टोरज डिपार्टमेंट (इंडिया) को स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters to Canteen and Stores Department (India)	90-91
7281.	कच्चे लोहे तथा कोक के वितरण संबंधी समिति	Committee on Distribution for Pig Iron and Coke	91
7282.	प्रो० एस० चक्रवर्ती की अध्यक्षता में पारिश्रमिक निर्धारण संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Fixation of Wages headed by Prof. S. Chakravarty	91
7283.	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के अधिकारियों की परिलब्धियां	Emoluments of Officers of Nationalised Coal Mines	92
7284.	अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए प्रतिनिधियों को चुनने के लिए स्थायी समिति	Standing Committee for Selecting, Delegates to International Meets ..	92
7285.	लोहे का निर्यात	Export of Iron	92
7286.	चिली के भूतपूर्व राष्ट्रपति की विधवा मैडम एलेन्द्रे की भारत यात्रा	Visit to India by Madame Allende, Widow of former President of Chile	93
7287.	घाटे में चल रहे इस्पात संयंत्र	Steel Units running in Deficit	93
7288.	इस्पात का आंशिक विनियंत्रण	Partial Decontrol of Steel ..	94
7289.	इस्पात के कोटे के लिए संयुक्त संयंत्र समिति	Joint Plant Committee for Steel Quota	94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7290.	दिल्ली के अस्पतालों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की जांच करने के लिए समिति बनाना	Committee to Examine service conditions of Class III and IV Employees of Delhi Hospitals	95
7291.	आसाम के चाय बागानों के ग्रुप अस्पताल	Group Hospitals of Assam Tea Estate	95
7292.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 47वीं बैठक की सिफारिश	Recommendation of 47th Meeting of ESI Corporation	95-97
7293.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, कानपुर के श्रमिकों का भविष्य निधि और परिवार पेंशन का भुगतान न करना	Non-payment of provident fund and Family Pension to Workers of Jaipur Udyog Ltd. Kanpur	97
7294.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर में हड़ताल	Strike in H.M.T., Pinjore	98
7295.	माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर में कर्मचारी	Employees in M.A.M.C. Durgapur ..	98
7296.	लोह खानों (काल्टा खानों) में कथित दास मजदूर शिविर	Alleged Slave Labour Camps in Iron Mines (Kalta Mines)	99
7297.	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी में हड़ताल	Strike in IISCo.	99
7298.	बर्सुवा खानों के यूनियन नेता का कथित दमन	Alleged Victimisation of Union Leader of Barsua Mines	99
7299.	राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	State Labour Ministers' Conference	100
7300.	'विमको' मैच फैक्टरी में मजदूर संघों द्वारा हड़ताल	Strike by Trade Unions in WIMCO Match Factory	100
7301.	देश में टिट्नस तथा डिफ्थीरिया से हुई मौतें	Deaths due to Titenus and Diphtheria in the country	100
7302.	कोयला संकट को देखते हुए भिलाई और बोकारो के धातुकर्मक संयंत्रों का उत्पादन लक्ष्य	Production Targets of Metallurgical Plants of Bhilai and Bokaro in view of coal Crisis	101
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for adjournment (Query)	102
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table ..	102-107
	सदस्यों की दोष-सिद्धि	Conviction of Members	108
	(श्री अटल बिहारी बाजपेयी और श्री भारत सिंह चौहान)	(Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Bharat Singh Chowhan)	108
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	108
	एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन	Hundred and twenty-second Report	108
	समितियों के लिए निर्वाचन—	Election to Committees—	108-109
	(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड	(*i*) Central Silk Board	108
	(दो) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	(*ii*) Joint Committee on Offices of Profit	109

अता० प्र० सं० विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee ..	109
इकतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-first Report	109
नियम 377 के अन्तर्गत मामले—	Matters under rule 377	109-113
(एक) मणिपुर पर्वतीय क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा स्त्रियों तथा लड़कियों के साथ कथित बलात्कार	(*i*) Alleged rape of women and girls by B.S.F. Personnel in Manipur hill areas	109-112
(दो) 'लिम्का' की बोतल में कीड़े मकोड़े पाया जाना	(*ii*) Insects in a bottle of '*Limca*' ..	112
(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	(*iii*) I.I.T. Kharagpur ..	112-113
(चार) बम्बई में पुलिस द्वारा एक हरिजन युवक को नंगा कर और उसका मुंह काला कर घुमाने का समाचार	(*iv*) Reported parading of a Harijan Youth in Bombay by the police after stripping off his clothes and tarring his face	113
अविलंबनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	113-120
देश के उत्तरी क्षेत्र में भारी बिजली संकट का समाचार	Reported major power failure in the Northern region	113-120
अनुदानों की मांगे, 1974-75	Demands for Grants, 1974-75 ..	121-137
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Chemicals	121
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma ..	121
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda ..	121-123
श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	123-124
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra ..	124-125
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan ..	125-128
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	128
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan ..	129-131
श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव	Shri N. P. Yadav	131
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	131-132
श्री शंकर राव सावंत	Shri Shankerrao Savant ..	132-133
श्री डी० के० बरुआ	Shri D. K. Barooah ..	133-136

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 18 अप्रैल, 1974/28 चैत्र, 1896 (शक)
Thursday April 18, 1974, Chaitra 28, 1969 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए (Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आप्रवास विधियों के कारण 16,000 भारतीयों को अदन छोड़ने के लिये बाध्य किया जाना

***730. श्री धामनकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदन में बसे तथा कार्य कर रहे लगभग 16,000 भारतीयों को आप्रवास विधियों से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण अदन छाड़ने के लिए बाध्य किया गया है ;

(ख) क्या इन में से किसी भी भारतीय ने अदन में छोड़ी गई सम्पत्ति तथा वाणिज्यक संस्थानों के मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां की सरकार के साथ मुआवजे का प्रश्न शीध्र ही उठाया जाये, सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1967 के आरम्भ में लगभग 5,000 भारतीय नागरिकों ने दक्षिण यमन छोड़ दिया है (1970 के बाद इसे यमन जन गणराज्य कहते हैं) यह विभिन्न कारणों की वजह से हुआ जिससे सभी विदेशियों पर प्रभाव पड़ा, जैसे कि रिहायश और काम के लिए परमिट जारी करना वाणिज्यिक फर्म और निजी भवनों आदि का राष्ट्रीयकरण करना ।

(ख) और (ग). दक्षिण यमन छोड़ने वाले भारतीयों को अपना व्यापार और सम्पत्ति बेचने की स्वतन्त्रता थी । मुआवजा देने का प्रश्न केवल सम्पत्तियों के राष्ट्रीयकरण किये जाने की हालत में उठता है । अदन में भारतीय राजदूतावास ने इस आम प्रश्न के यमन जन

गणराज्य के साथ उठाया था और अदन स्थित भारतीय एसोसिएशन और अन्य प्रभावित व्यक्तियों से भी उनकी सम्पत्तियों के राष्ट्रीयकरण किए जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा मांगे गए मुआवजे का विवरण देने के लिए कहा था। केवल एक ही भारतीय फर्म द्वारा इस प्रकार का मुआवजा मांगने का पता चला है जो कि अभी तक यमन जन गणराज्य की सरकार के विचाराधीन है।

श्री धामनकर : भारत से 1937 में लोग विदेश गये तथा उस समय भारतीयों को विदेशों में जाने तथा वहां वाणिज्य व्यापार तथा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। 1969 में अदन सरकार ने उनके आप्रवासी स्तर को रद्द कर दिया तथा उनसे कहा कि वे आवास तथा कार्य परमिटों के लिये आवेदन दें। सभी भारतीयों ने आवेदन दिये किन्तु किसी को भी आवासी परमिट नहीं दिये गये। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे अपनी सम्पत्ति अथवा वाणिज्य संस्थानों को बेचने की स्थिति में भी नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन भारतीय नागरिकों की क्या सहायता करेगी जिससे उनकी खोई हुई आवासीय सम्पत्तियां, वाणिज्यिक संस्थान आदि वापिस मिल सकें?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैंने अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख कर दिया है कि उन सभी भारतीय नागरिकों को जिन्हें अदन में उत्पन्न कतिपय परिस्थितियों के कारण वहां से जाने को विवश किया गया था अदन छोड़ने से पूर्व अपनी सम्पत्ति को इच्छानुसार बेचने की अनुमति थी। जहां तक हमें ज्ञात है उनमें से बहुत से व्यक्तियों ने अपनी सम्पत्तियां बेची भी हैं तथा इस प्रकार प्राप्त बहुत सी धनराशि उन्होंने स्वदेश भेज दी है। जहां तक राष्ट्रीयकृत आस्तियों का सम्बंध है हमने इस सम्बन्ध में यमन जनवादी गणराज्य सरकार से बात-चीत की है। उन्होंने विभिन्न दावों के बारे में हमसे कुछ जानकारी मांगी है तथा हमने अदन में इण्डियन एसोशिएशन से सम्पर्क स्थापित किया है तथा उनसे उक्त जानकारी देने को कहा है। दुर्भाग्य से वह जानकारी नहीं मिल रही है।

श्री धामनकर : क्या सरकार उन व्यक्तियों को रिहायश परमिट दिलाने अथवा उन्हें अदन में रहने दिये जाने की अनुमति दिलाने में उनकी सहायता करेगी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह समस्या इस समय बहुत कुछ हल हो गई है। इस समय 100 अथवा 200 भारतीय नागरिक अदन में हैं। वे वहां अब भी लघु उद्योग आदि चला रहे हैं। उनके रिहायश परमिट अथवा कार्य-परमिट समय समय पर बढ़ा दिये जाते हैं। जब भी उनके लिये कोई कठिनाई उत्पन्न होती है हम वहां की सरकार के साथ बातचीत करते हैं तथा हम उनके परमिटों की अवधि को यथासम्भव बढ़वा देते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : अदन तथा अफ्रीका के अन्य भागों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की समस्या से हमें तथा सम्बद्ध सरकारों को गहरी चिंता हो रही है। आशा है दक्षिण यमन के साथ हमारी सरकार के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं। क्या अदन स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों तथा भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के कोई विशेष सावधानी बरती है कि समस्याएं, समस्याएं ही न बनी रहें तथा अदन में रहने वाले भारतीय नागरिक अपनी समस्याओं तथा स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को समझें। अन्त में मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या किन्हीं भारतीय नागरिकों ने यमन जनवादी गणराज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमें यह जानकारी मिली है कि दक्षिण यमन को स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व, 1969 से पूर्व, भारतीय मूल के लगभग 15,000 व्यक्तियों ने स्थानीय नागरिकता स्वीकार कर ली थी तथा उन्होंने स्थानीय जनता के साथ पूर्णरूप से सामन्जस्य स्थापित कर लिया है। स्वाधीनता के समय मेरे विचार में वहां लगभग 5,000 अथवा 6,000 भारतीय राष्ट्रिक थे तथा वे अदन में व्यापार तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे हुए थे। उनमें से बहुतों ने अदन छोड़ दिया है। जैसा कि मैंने बता दिया है अब अदन में केवल 100 या 200 व्यक्ति हैं। हम उन्हें यथासम्भव सहायता दे रहे हैं। हमें उनकी कठिनाइयां ज्ञात हैं। किन्तु कठिनाई यह है कि जब कोई प्रभुसत्ता सम्पन्न देश कोई नीति अपनाता है हम उस पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकते। हम केवल यही सुनिश्चित कर सकते हैं कि नीतियां भेदभावपूर्ण न हों। जब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है तो हम उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते।

Shri Shankar Dayal Singh : According to the statement of the hon. Minister, the number of Indian immigrants is 200 or 250 which according to the press reports 16,000 Indians had to leave Aden and only 160 persons were allowed to stay there. May I know the total value of the property left there by the Indians ? Where they have been rehabilitated in India ? What are the facilities given to them so far by the Government of India ? May I also know the amount spent on them by the Government of India ?

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, Sir, first of all I would like to state that the Indians, who came here or who had come here, were free to dispose off their property. They sold their property and got the money. (*Interruptions*) We have not got the detailed information at the moment. I have already stated that we asked the Indian Association there to furnish the detailed information regarding the value. etc. But they have expressed their regret saying that the details regarding the property of individuals had not been given to them. Nothing can be done in this situation.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the number of Indian immigrants who have migrated to other countries from Aden ? I want to know whether the Government of India have rendered any assistance to them also. The hon. Minister has not mentioned the number of persons who came to India. May I know whether Government have given them any facility to restart their profession or business ?

Shri Surendra Pal Singh : It is difficult for me to tell where they have gone after leaving Aden. Most of the persons have come back to India. These persons have been provided with the same facilities as were provided to the immigrants from the other countries. After that, they have not sought any help from us.

Shri D. N. Tiwary : Practically, when a person wants his property to be sold, especially in a short period, buyers offer lesser amount. In this context may I know whether Government have ascertained the prices at which their properties were sold. Have they got reasonable price of their property ? If they were not able to dispose off their property at reasonable price, may I know whether the period fixed for the purpose was extended, if not, whether Government of that country extended any assistance to these persons in this regard ?

Shri Surendra Pal Singh : I agree with the view that on such occasion reasonable return is not forthcoming. It is a kind of distress selling. But our difficulty is that no body has made any complaint to us regarding the low price. We, therefore, feel that they were allowed to dispose of their property and that they disposed off their property and got the money.

2—290 LSS/74

Quota for Allotment of Scooters to Central Government Officers

*731. **Shri Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(*a*) the quota of scooters fixed for the officers of various categories in the Central Government waiting list for the allotment of scooters; and

(*b*) whether Government propose to increase the present quota of scooters keeping in view the increase in the production of scooters ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :—

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार की प्रतीक्षा सूची में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए निर्धारित स्कूटरों का वार्षिक कोटा :—

श्रेणी	बजाज स्कूटर	लम्ब्रेटा स्कूटर
(पूर्व संशोधित वेतनमान में वेतन)		
1. 900 रुपये और इससे अधिक मूल वेतन	720	400
2. 500 रुपये से 899 रुपये तक मूल वेतन-फील्ड ड्यूटी सहित	800	360
3. (500 रुपये से 899 रुपये तक मूल वेतन)	2200	1400
4. (महंगाई वेतन मिलाकर 300 रुपये से 499 रुपये तक मूल वेतन फील्ड ड्यूटी सहित)	1600	920
5. महंगाई वेतन सहित 300 रुपये और इससे अधिकमूल वेतन संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के अधिकारियों के वैयक्तिक सहायक)	320	60
6. चिकित्सक	320	100
7. (महंगाई वेतन सहित 350 रुपए से 499 रुपये तक मूल वेतन)	3440	2000
योग :	9400	5240

(ख) जी, हां। देश में दो मुख्य ब्रांडों के निर्माण में बजाज स्कूटरों के मामले में 40,000 से 60,000 तक और लम्ब्रेटा स्कूटरों के मामले में 20,000 से 40,000 तक वृद्धि होने की निश्चित सम्भावना है। केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में आवंटन हेतु आरक्षित कोटे में अन्ततः 15% वृद्धि होने का अनुमान है।

Dr. Govind Das Richhariya : Sir, I have studied the statement carefully. I would like to know from the hon. Minister the criterion adopted for the fixation of quota to the various categories of employees

Secondly, are the Government thinking of increasing the quota for the low-paid employees?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतन तथा स्कूटर खरीद सकने तथा उसका उपयोग कर सकने की क्षमता ही कसौटी है। हाल ही में हमने इसकी समीक्षा की है तथा ज्ञात हुआ है कि उन व्यक्तियों के लिये स्कूटर का कोटा देना व्यर्थ है जिनका वेतन स्कूटर रख सकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Dr. Govind Das Richhariya : May I know from the hon. Minister whether the number of applications received from the low-paid employees is high because of the fact that they are in great need of scooters ? If so, what are the reasons for not increasing the quota for them ?

श्री टी० ए० पाई : यह सच नहीं है कि हमें अधिकांश प्रार्थनापत्र कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की ओर से प्राप्त हुए हैं। आवेदन के लिये कुल एक लाख प्रार्थनापत्र बकाया हैं। 32 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 12 लाख से 13 लाख तक कर्मचारी ऐसे हैं जो कार ले सकते हैं।

9 लाख कर्मचारी कुछ नहीं ले सकते क्योंकि उनका वेतन कम है। 18 लाख कर्मचारियों में से जो इसके अधिकारी हैं लगभग एक लाख कर्मचारियों के आवेदन पत्र बकाया हैं।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether the hon. Minister has fixed any ceiling regarding the criterion fixed for low income group ?

श्री टी० ए० पाई : जी, हां। 350 से 499 रुपया पाने वाले कर्मचारियों को ही स्कूटर मिल सकता है उससे कम वालों को नहीं।

श्री के० सूर्य नारायण : क्या इतना ही वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये भी कोई कोटा निर्धारित किया गया है ?

श्री टी० ए० पाई : राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों को स्कूटर आवंटित करने की अनुमति है।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या यह केन्द्रीय सरकार के कोटे में से ही दिया जाता है ?

श्री टी० ए० पाई : जी नहीं ।

श्री जगन्नाथ राव : क्या स्वचालित साईकिलों के लिए कोटा आदि का कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री टी० ए० पाई : जी नहीं।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना

*734. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री एम० सुदर्शनम : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मिश्र धातु निगम लि०' नामक सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी की स्थापना हाल ही में की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के कार्यों का व्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) यह उपक्रम हैदराबाद में रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन एक सुपरअलाय परियोजना के संचालन के लिए स्थापित की गई है। यह परियोजना एरोनाटिक्स इलेक्ट्रानिक्स, उपकरणों और देश

में अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक विशेष धातुओं और सुपरअलाय के कतिपय ग्रुपों के उत्पादन के लिए स्वीकृत की गई है।

श्री प्रबोध चन्द्र : सुपरएलाय के उत्पादन के लिये किस देश के साथ सहयोग किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में यह सहयोग करार नहीं है। यह प्रौद्योगिकी के पूर्ण-रूप से अन्तरण का मामला है। हमने अपने उपयोग के लिये फ्रांस और पश्चिम जर्मनी से प्रौद्योगिकी खरीद ली है।

श्री प्रबोध चन्द्र : इस कारखाने की स्थापना पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है तथा सुपरअलाय और अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद पर हम कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करते थे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जिनसे हमने यह प्रौद्योगिकी खरीदी है उन्हें 2.24 करोड़ रुपयों का भुगतान करना है। पूरी परियोजना की लागत का अनुमान मोटे तौर पर 30 करोड़ रुपया लगाया गया है। विदेशी मुद्रा का भाग इंजीनयरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। इस समय यह रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मेरा प्रश्न यह था कि इस समय सरकार इस धातु के आयात पर कितनी धनराशि खर्च करती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। किन्तु यह राशि उससे काफी अधिक होगी जो इसकी खरीद पर खर्च होनी है।

श्री एम० सुदर्शनम : संयंत्र में उत्पादन कब आरम्भ हो जाएगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 1978 तक इस में उत्पादन आरम्भ हो जाना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the demand of super alloy in the country and the extent to which this demand would be met by this plant ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अभी इसका उत्तर दिया है। सम्भवतः उन्होंने सुना नहीं।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने बताया है कि इस परियोजना में वर्ष 1978 तक अर्थात चार वर्ष बाद उत्पादन आरम्भ हो जाएगा जब देश में बड़ी परियोजनाएं 24 महीनों के अन्दर बन कर तैयार हो गई हैं तो इसको पूरा होने में इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रश्न परियोजना के आकार का नहीं है परन्तु सुपरअलाय की प्रक्रिया में जटिलता का है। यह देश में पहली बार किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, समूचे विश्व में केवल चार अथवा पांच देश हैं जो इस प्रकार की उत्पादन प्रौद्योगिकी जानते हैं। हमने इसके उत्पादन की जटिल प्रक्रिया यथा अधुनातन सुविधाओं जिसकी स्थापना की जानी है, का अध्ययन किया है और हमने यह देखा है कि परियोजना प्रतिवेदन में दिया गया समय, जिस पर सहमति हुई है, बिलकुल उचित है।

विदेशों से आने वाले पर्यटकों तथा भारत में विदेशी मिशनों द्वारा चीन की आलोचना

*737. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में भारत के दौरे पर आये रूस तथा वारसा संधि के अन्य देशों के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा की गई चीन की आलोचना की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारत में इन देशों के मिशनों के कुछ प्रकाशनों में भी चीन की आलोचना की गई है ;

(ग) क्या चीन की ऐसी आलोचना से भारत के चीन-रूस विवाद में अनावश्यक रूप से अन्तर्ग्रस्त होने की सम्भावना है; और

(ख) विदेशियों द्वारा भारत भूमि से ऐसी चीन विरोधी आलोचना को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि सोवियत संघ के विशिष्ट व्यक्तियों ने अपनी भारत-यात्रा के दौरान चीन के बारे में कोई वक्तव्य दिए हों। मार्च, 1974 में भारत आने वाले पूर्व यूरोप के विशिष्ट व्यक्तियों ने भी अपने भाषणों में चीन का जिक्र नहीं किया। लेकिन, प्रैस सम्मेलन में पत्रकारों द्वारा चीन पर पूछे गए स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें अपने दृष्टिकोण को रखना पड़ा था, लेकिन उन टिप्पणियों की भाषा में कोई बात आपत्तिजनक नहीं थी।

(ख) भारत सरकार की इच्छा के विरुद्ध दिल्ली-स्थित बहुत-से मिशन अपने प्रकाशनों में अन्य देशों की आलोचना करते रहे हैं। दिल्ली-स्थित चीनी राजदूतावास के प्रकाशनों में भी अन्य देशों की आलोचनाएं रहती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री समर गुह: मैंने यह प्रश्न इस भावना को लेकर नहीं उठाया है कि हम चीन की दोस्ती के लिए व्याकुल हैं अथवा किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते हैं परन्तु एक सम्माननीय आत्म-निर्भर देश के नाते यह प्रश्न पूछा गया है ताकि चीन के साथ हमारे संबंधों में कोई अतिरिक्त रुकावट न डाली जाये। यह भी सर्वविदित है कि इस समय भी चीन भारत की आलोचना कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का भारत की चीन द्वारा आलोचना के साथ कोई सरोकार नहीं है ।

श्री समर गुह : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि चीन के विरुद्ध दीवार खड़ी करने में भारत ने रूस के साथ संधि की है मेरे विचार में सरकार ने समाचार पत्रों के शीर्षकों को देखा है। 'इंडियन एक्सप्रैस' में शीर्षक है "चेकोस्लोवाकिया के नेता ने कहा है कि चीन का रुख सहयोगपूर्ण नहीं है" और 'स्टेट्समैन' में "चेकोस्लोवाकिया के नेता द्वारा चीन की आलोचना" शीर्षक से दो कालमों में समाचार प्रकाशित हुआ है।

इन तथ्यों को देखते हुए क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या जब भी कोई विदेशी विशिष्ट व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो राजनयिक परम्परा यह है कि उस देश का अतिथि होने के नाते उस व्यक्ति को दूसरे देश, चाहे वह मित्र देश हो या न हो की आलोचना करने हेतु उस देश के आतिथ्य का लाभ नहीं उठाना चाहिए और यदि हां, तो क्या उन विशिष्ट व्यक्तियों को नम्रतापूर्वक कह दिया गया है कि उन्हें ऐसी आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा और प्रथा के अनुसार विदेशों से आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किसी तीसरे देश, जिनके साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, आलोचना करना उचित नहीं है। जो विशिष्ट व्यक्ति यहां आए थे उनमें से किसी ने भी अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में चीन के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे आतिथ्य का दुरुपयोग किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका हमारे पास रिकार्ड है। आपकी अनुमति हो तो मैं उसे पढ़ कर सुना दूं। उनकी भाषा अत्यन्त संयमित और नपी-तुली हैं। उन्हें चीन के सम्बन्धों में कुछ कहना था क्योंकि उनसे स्पष्ट प्रश्न पूछे गए थे, हम यह आशा नहीं करते कि वे अपना मुंह बन्द रखें। अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में उन्होंने चीन का उल्लेख नहीं किया है।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि दिल्ली स्थित अनेक विदेशी मिशन भारत सरकार की इच्छा के विरुद्ध अपने प्रकाशनों में अन्य देशों की आलोचनाएं कर रहे हैं, मैं अनेक उदाहरण नहीं देना चाहता, परन्तु मैं आपको सोवियत संघ द्वारा भारत से प्रकाशित होने वाले अनेक प्रकाशन दिखा सकता हूं जिसमें कटु आलोचनाएं की गई हैं। यदि कोई प्रकाशित पुस्तकें अन्य देशों से आती हैं चाहे वे साम्यवादी विचारों का खंडन हो चाहे पूंजीवादी विचारों का खंडन हो मुझे राजनीतिक विचारों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है ऐसी प्रकाशित पुस्तकें निश्चय ही हमारी ज्ञान-वृद्धि के लिए होती हैं। परन्तु यहां प्रश्न भारत में स्थित विदेशी मिशनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के बारे से संबंधित है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार कानून का संशोधन करके अथवा देश में विद्यमान कानून का उपयोग कर के कार्यवाही करने का है ताकि सरकारी एजेंसियों अथवा राजनीतिक दलों के भारतीय मुद्रणालयों में छपनेवाले ऐसे प्रकाशनों पर रोक लगायी जाये — भारत में राजनीतिक दलों के मुद्रणालयों में ऐसी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं? यदि हां, तो यदि विदेशी मिशन अन्य देशों की आलोचनाओं का प्रकाशन बन्द करना नहीं चाहते तो क्या ऐसे प्रकाशनों को बन्द करने के लिये कार्यवाही की जाएगी और मुद्रकों से कहा जायेगा कि अन्य मित्र देशों के विरुद्ध इस प्रकार के लेखों अथवा टिप्पणियों को न छापा जाये और न ही प्रकाशित किया जाये ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह सच है, जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है, कि दिल्ली स्थित कुछ मिशन इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ प्रकाशनों में इस प्रकार के लेख प्रकाशित किए हैं। परन्तु हमारी नीति स्पष्ट है और यह सभी मिशनों से कहा गया है कि वे ऐसे देशों के विरुद्ध आलोचनात्मक प्रकाशन अथवा प्रचार न करें जिनके साथ

भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। इस बारे में कुछ चूकें भी हुई हैं, जब भी ऐसी बातें हमारे ध्यान में आई हैं हमने संबंधित मिशनों के पास यह मामला उठाया है और हमने उनसे कहा कि यह वांछनीय नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक तो वे काम करने से कतराते रहे। लेकिन लगता है फिर वही बातें चल रही हैं। लेकिन जहां आवश्यक होगा हम उचित समय पर कार्यवाही करेंगे लेकिन जहां तक नीति का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि हम इस गतिविधि के पक्ष में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप देश में इन प्रकाशनों के मुद्रण को रोकने के बारे में कुछ कर सकते हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं अधिक नहीं जानता। विदेशी दूतावासों द्वारा छापने के लिए दी गई जानकारी मुद्रकों द्वारा छापे जाने को हम कहां तक रोक सकते हैं। लेकिन हम यहां पर स्थित विदेशी मिशनों की गतिविधियों पर थोड़ा नियन्त्रण रख सकते हैं ; हम उन्हें इन बातों से अलग रहने के लिए कह सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि अमरीकी दूतावास के उच्चाधिकारी श्री स्मिथ, जो सी० आई० ए० के अध्यक्ष भी हैं, अपने मित्रों को निमन्त्रित करके उन्हें भारत रूस सम्बन्धों को बिगाड़ने के तरीके बता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न प्रकाशनों के बारे में है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब तक उन्हें सूचना नहीं दी जाती, वे प्रकाशित कैसे कर सकते हैं ? क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है . . .

श्री समर गुह : क्या आप ऐसे प्रश्नों को पूछने की इजाजत देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी, आप प्रश्न तक ही सीमित रहें।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारत रूस के सम्बन्धों को कटु बनाने के लिए आपत्तिजनक कागजात परिचालित किए जा रहे हैं। परिचालन का कार्य सी० आई० ए० का अध्यक्ष कर रहा है। क्या इन प्रकाशनों को बरामद किया जाएगा और स्मिथ को यहां के वापिस जाने के लिए कहा जाएगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य लिख कर भेजें तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री एस० ए० शमीम : प्रश्नों और उत्तरों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत स्वतन्त्र और प्रजातान्त्रिक देश नहीं रहा है ? क्या विदेशियों द्वारा विरोध प्रकट करने के ढंग पर भी रोक लगाई गई है। मैं यह प्रश्न चार ईरानी छात्रों के देश निर्वासन को ध्यान में रखकर पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है। मैं इसके पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

Coal Corporation for Madhya Pradesh

***738. Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(*a*) whether keeping in view the increasing demand of coal, Government of Madhya Pradesh

have requested the Union Government to set up a Coal Corporation in the State for mining coal; and

(*b*) If so, the reaction of Central Government thereto ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकर से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

Shri Shrikrishna Agrawal : Mr. Deputy Speaker, Sir, there is an acute shortage of coal in our country and N.M.D.C. is operating mining work on large deposits. But may I know whether Central Government is contemplating to ask State Governments to operate mining work on small deposits or work should be entrusted with Cooperative or Private sector ?

श्री सुबोध हंसदा : कुछ अलग-थलग कोयला खानों को छोड़कर, अब यह निर्णय किया गया है कि सभी खानों में कार्य 'कोल माइन्स अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड' द्वारा किया जाएगा।

Shri Shrikrishna Agrawal : May I know whether Government contemplate to take over remaining coal mines. ?

श्री सुबोध हंसदा : अधिनियम के अनुसार सभी कोयला खानें सरकार की हैं। अब, कुछ खानें सरकार की जानकारी में नहीं आई हैं और जब भी सरकार के ध्यान में वे लाई जाएंगी सरकार उन्हें अपने हाथ में ले लेगी।

श्री कार्तिक उरांव : विभिन्न राज्यों में, जहां कोयला उपलब्ध है, कोयला नियम स्थापित करने तथा जहां कच्चा माल उपलब्ध है, वहां कोल माइन्स अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत ऐसे कार्यालयों के मुख्यालय स्थापित करने में सिद्धान्त रूप से क्या कठिनाई है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बड़ा प्रश्न है। क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है?

श्री सुबोध हंसदा : जी, नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न चाहे मध्य प्रदेश में कोयला निगम स्थापित करने का हो अथवा रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का हो, कोयले के बारे में विवादास्पद प्रश्न यह है कि कोयले के लाने ले जाने में रेलवे मंत्रालय की पूर्ण असफलता को ध्यान में रखते हुए इस्पात तथा खान मंत्री वहां कोयला निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रकार कर सकते हैं और समस्याओं को किस प्रकार हल कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : निगम की स्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं विवादास्पद प्रश्न के बारे में पूछ रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : पहली बात तो यह है कि कोयले के उत्पादन के लिये मध्य प्रदेश में निगम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोल माइन्स अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के क्षेत्रीय निकाय इस लिमिटिड की ओर से कोयला उत्पादन कार्यक्रम का ध्यान रख रहे हैं।

श्रमिकों तथा श्रमिक संघों द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी के कारण कोयला अपने नियत स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सका और रेलवे मंत्रालय, हम और सरकार इस बात के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है कि कोई शांतिपूर्ण समझौता हो जाए।

Shri Dhanshah Pradhan : I would like to know the hitch Central Government has in allowing the Madhya Pradesh Government to set up Coal Corporation there. Keeping in view the present position of Coal and to increase its production ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह व्यापक प्रश्न है। इसका सम्बन्ध इस बात से नहीं है।

Shri K. D. Malviya : It has already been replied that the Centre set up in the Western sector is looking after it and it is exploiting the coal mines in Madhya Pradesh.

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister has said in reply to the main question that the Government has taken over all the coal mines and if any mine in Madhya Pradesh has been left over that would be taken over. Does it mean that this Department or Coal Authority is not aware as to what number of coal mines are there and at what places they are situated in the country and how many mines have been taken over.

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मध्य प्रदेश में निगम के बारे में है। अगला प्रश्न—श्री ई० वी० विखे पाटिल :

श्री नवल किशोर शर्मा : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न मंत्री महोदय के उत्तर से उठता है जिन्होंने कहा है कि यदि कोई कोयला खानें रह गई हैं तो उन्हें नियन्त्रण में लिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न मत पूछिए। श्री ई० वी० विखे पाटिल यहां नहीं हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा :

मिर्जापुर जिले में मूल्यवान धातु का पाया जाना

*740. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्रीमती सावित्री श्याम } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जंगेल नामक स्थान पर हीरों के अतिरिक्त अन्य मंहगी वस्तुओं के मिलने की संभावना है; और

(ख) इन खानों पर कब से कार्य शुरू किया जयेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में 'जंगेल' नामक स्थान पर भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा कोई काम शुरू नहीं किया गया है। संभवत प्रश्न में उल्लिखित स्थान मिर्जापुर जिले का 'जगेल' है, जहां हीरा युक्त लौह चट्टानों की संभावना का पता लगाने के लिय भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में खोज कार्य किया गया था।

(ख) खोज कार्य अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसलिए इस समय इस प्रकार की खानों के चालू किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister has said in his reply that the investigations are in preliminary stage and mining work would be started after the investigations are over. I want to know as to :

(*a*) when this preliminary investigation is expected to be completed;

(*b*) as a result of this preliminary investigation what type of valuable metals are likely to be found; and

(*c*) how much foreign exchange is likely to be earned on the availability of much metals ?

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malviya) : In reply to the question just asked, I would like to say that Diamond can be found there as the rocks are as old as they are required as per the geological survey but still Diamond has not been found. Nothing tangible could come out of the first report received from the Government of U. P. However, the investigation work of these metamorphic rocks is being conducted by the G.S.A. If we get any such metal which can be exported or which can be used in the country, we would certainly exploit that.

Shri Nawal Kishore Sharma : A huge amount of money can be collected by export of valuable metals available in the country and there is no dearth of such valuable metals but un fortunately no definite policy has been evolved for their production. Will the hon. Minister evolve a policy for the whole country for mining these valuable metals and encouraging their production so that our foreign exchange may increase ?

Shri K. D. Malviya : We have a definite policy in this regard and we are continuously investigating the valuable metals and it is our aim that they can be located at the earliest. A great deal is still not known but wherever such mines have been located, efforts are being made to investigate and produce those metals at the earliest.

चटगांव और काक्स बाजार से दूर मत्स्य नौकाओं का चलाया जाना

*743. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बंगलादेश सरकार के स्रोतों के अनुसार 8-10 मत्स्य नौकाएं, जो हाल ही के महीनों में चटगांव और काक्स वाजार के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ रहीं थी, वह वास्तव में पश्चिमी देशों की गुप्तचर एजेंसी की हैं और चटगांव पतन पर सुरंगे साफ करने और सफाई के काम में लगे रूसी जहाजों पर इले-क्ट्रानिक उपरकर्णों के माध्यम से कड़ी नजर रखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने मंत्री महोदय को उस समय ठीक समझा जब उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। क्या मैं एक समाचार का उल्लेख कर सकता हूं जिसमें ऐसा कहा गया है ? 7 मार्च, 1974 के 'स्टेट्समैंन' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं उस समाचार को उद्धृत करता हूं। सरकार को अपनी विस्तृत प्रणाली की सहायता से इन बातों की जानकारी रखनी चाहिए थी।

"बंगला देश को संदेह है कि 8 से 10 मत्स्य नौकाएं जो हाल ही के महीनों में चटगांव और काक्स बाजार के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ रही थी, वे वास्तव में पश्चिमी देशों की गुप्तचर एजेंसी की है और वे इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से कड़ी नजर रखे हुए हैं....." और उसमें बाद में कहा गया है कि :

"बंगलादेश सरकार द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि इन मत्स्य नौकाओं में से कम से कम दो नौकाओं में अन्य जहाजों के संदेश पकड़ने और बोधक का काम करने वाले 'इलेक्ट्रोनिक गैजेट' लगे हुए हैं। इन मत्स्य नौकाओं में 'एरियल' और 'एन्टेने' प्रणालियां भी हैं।"

उस संदर्भ में क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आज तक विदेशी जासूसी के ऐसे कितने प्रयास भारत सरकार के ध्यान में आये हैं और उसने क्या कार्यवाही की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से उठता है या नहीं। इस प्रश्न का संबंध किसी विषेश क्षेत्र से है। परन्तु माननीय सदस्य बहुत-सी अन्य बातों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आपको इस बारे में कुछ कहना है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस प्रश्न का सबंध बंगलादेश की जल-सीमा के अन्दर कतिपय मत्स्य नोकाओं की गतिविधियां से है। अतः यह मामला एक प्रभुत्व सम्पन्न और आत्म-निर्भर देश के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। मेरी समझ में नहीं आया है कि इस मामले में हमें क्या करने के लिये कहा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मामला बंगलादेश की जल-सीमा के अन्तर्गत आता है। वह हमसे दूर नहीं है और हमारा मित्र देश है। मैं मंत्री महोदय से जो जानकारी लेना चाहता था उसे वह जानबूझ कर रोक रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या उनके पास रिदे से संलग्न बंगाल की खाड़ी की जासूसी गतिविधियों की जानकारी है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस प्रश्न का संबंध बंगलादेश की जल-सीमा में कतिपय मत्स्य नौकाओं की गतिविधियों से है। माननीय सदस्य के प्रश्न की मूल प्रश्न के साथ कोई संगति नहीं है।

श्री ए० के० एम० एसहाक : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है परन्तु यह समाचर भारत के महत्वपूर्ण समाचर-पत्रों में प्रकाशित हो चुका है कि उस जल-सीमा में ऐसी मत्स्य नौकाएं कार्य कर रही हैं। भारत सरकार ने इस बात का पता लगाने के लियें क्या उपाय किये हैं कि क्या ये मत्स्य नौकाएं वास्तव में वहां चल रही हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मूल प्रश्न कें उत्तर में हमने कहा है कि हमें बंगला देश से कोई चानकारी नहीं मिली है। हमने भी समाचर-पत्रों में यह समाचर देखा है कि कुछ मत्स्य नौकाएं बंगलादेश की जल-सीमा में मछलियां पकड़ रही हैं और कहा गया है कि वे जासूसी कर रही हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे ऐसा कार्य बंगलादेश की जल-सीमा में कर रही हैं। हम यहां बैठें कैसे कह सकते हैं कि वे क्या कर रही हैं। इस बात का पता लगाना बंगलादेश का काम है कि वे क्या कर रही है और वह जो उचित समझे कार्यवाही करें।

ट्रांसफार्मरों का निर्माण

*744. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एककों के नाम क्या हैं जो 'ट्रांसफार्मर' का निर्माण करते हैं तथा देश में एक-वार कितने ट्रांसफार्मरों का निर्माण होता है ?

(ख) क्या पांचवी योजना में ट्रांसफार्मर उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार ने ट्रांसफार्मर उद्योग के लिए स्थान का चयन करने की समस्या की जांच करने के लिये कोई दल नियुक्त किया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : —एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) विस्तृत व्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) और (ग) :— पांचवी पंच वर्षीय योजना में ट्रांसफार्मर उद्योग का विकास पांच वर्षों में देश के विद्युत विकास कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफार्मर की मांग में हुई बढ़ोत्तरी के अनुसार किया जायेगा । उपर्युक्त आधार पर गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के अतिरिक्त सरकार का विचार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कम्प-लेक्स में एक निर्माण करने वाले एकक को स्थापित करने का है। यद्यपि इस ट्रांसफार्मर एकक के स्थल के चयन के लिए सरकार द्वारा किसी भी दल की नियुक्ति नहीं की गई थी, अपितु भारत हेवी इलेट्रिक्क्ल्स लि० ने इसके लिए विस्तृत रूप से जांच कर ली है और ट्रांसफार्मरों का निर्माण करने के लिए इस एकक की स्थापना हेतु उचित स्थल का चयन कर लिया है।

अनुबन्ध

1973 में ट्रांसफार्मर एककों का उत्पादन

क्रम सं०	पार्टी का नाम	के० वी० ए० में 1973 में उत्पादन	मूल्य लाख (रुपये में)
1	2	3	4
1.	क्रामपटन ग्रीव्रज लिमिटेड, बम्बई . .	16,56,289	602.01
2.	भारत विजली लि०, बंबई	5,13,000	239.64
3.	एमको ट्रांसफार्मर लि०, बंबई .	3,17,000	229.78
4.	नेशनल एलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई	3,95,000	163.71
5.	नेशनल इलैक्ट्रिकल एंड लि० पूना	1,46,000	70.76
6.	एड़वानी ग्रोपरलिकन, पूना . . .	3,000	4.29

1	2	3	4
7.	मोटवानी मेन्यूफैक्चरिंग कं० बम्बई .	664	33.67
8.	जी० ई० सी० आफ इंडिया लिमिटेड, नैनी	4,92,000	349.72
9.	जी० ई० सी० आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता	1,18,000	81.56
10.	हिन्दुस्तान ब्राउन ब्रोवरी लि० बड़ोदा . .	1,37,000	72.88
11.	इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट कं० लि०, कलकत्ता	1,07,000	81.46
12.	हाक ब्रिज हेविहिक एंड इंजन लिमिटेड, मद्रास	8,51,000	339.18
13.	ट्रांसफार्मरस एंड स्विचगियर्स लि०, मद्रास	2,18,000	52.75
14.	ट्रांसफार्मरस एंड एलैक्ट्रिक लि०, अवांरगमेल्ली	9,11,000	240.48
15.	इंडियन ट्रांसफार्मरस लि० . . .	66,000	38.00
16.	केरल इलैक्ट्रिकल्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग कं०, एर्नाकुलम . .	36,000	27.51
17.	बीजी कारपोरेशन, पटियाला . . .	8,000	4.80
18.	गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री, बंगलौर . .	2,14,000	150.10
19.	किरलोस्कर इलैक्ट्रिकल कं० लिमिटेड, बंगलौर .	5,23,000	256.36
20.	एन० जी० ई० एफ०, बंगलौर . .	12,35,000	788.18
21.	इलैक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट कं० लि०, विशाखा-पत्तनम	2,27,000	158.56
22.	प्रदीप लैम्प वर्क्स, पटना . . .	14,000	16.12
23.	इलैक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री, रांची . .	1,35,000	14.75
24.	इलैक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट कं० लिमिटेड, सोनीपत	3,10,000	182.37
25.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, धूलरोट . .	11,000	50.48
26.	ग्वालियर कोबिल्स कं०, ग्वालियर . .	4,000	2.35
27.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल . .	28,25,000	611.00
28.	आटोमेटिक इलैक्ट्रिक प्रा० लि०, बम्बई . .	23,000	—
		114,95,000	4,832.47

या

114.95 लाख के० वी० ए० अनुमानित

श्री शक्ति कुमार सरकार : मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं वहा एक ट्रांसफार्मर बनाने वाला कारखाना है। मुझे यह पता नहीं है कि इस कारखाने का नाम सूची से क्यों निकाल दिया गया है। क्या मैं यह निष्कर्ष निकाल लू कि भारत सरकार इस कारखाने के साथ कुछ गड़बड़ करने का जानबूझ कर प्रयास कर रही है?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मुझे यह पता नहीं है कि माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में जो कारखाना है वह लघु एकक है या नहीं और जो पंजीकृत है या नहीं। कम्पनियों की जो सूची दी गई है वह पंजीकृत कम्पनियों की सूची है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम एककों को कम कर रहे हैं, जब तक माननीय सदस्य यह आरोप नहीं लगाते कि

वह बहुत बड़ा एकक है जो हमारे ध्यान से रह गया है। यदि माननीय सदस्य और जानकारी दें तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री शक्ति कुमार सरकार : उत्तर से आपको पता चलेगा कि पूर्वी क्षेत्र में केवल चार कारखाने हैं जो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं जबकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य क्षेत्रों ने अनेक कारखाने उनका उत्पादन कर रहे हैं। छोटी सिंचाई की सुविधाओं के लिये ट्रांसफार्मरों की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूर्वी क्षेत्र के कारखानों को आर्डर दे कर इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

श्री टी० ए० पाई : मैं इस प्रश्न का अभिप्राय नहीं समझा। समूचे देश में इस समूचे उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 45 लाख के० वी० ए० है और यदि पूर्वी क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ और कारखाने हैं तो यह संयोग की बात है। इस क्षमता में से केवल 1,14,-95,000 के० वी० ए० का उपयोग किया जा रहा है। जहा तक बिजली बोर्डों द्वारा ट्रांस फार्मरों के लिये आर्डर दिये जाने का संबंध है, यह बात निम्नतम भाव और किसी कारखानें द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल की किस्म पर निर्भर करती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माल पूर्वी क्षेत्र से लिया जाता है या पश्चिमी क्षेत्र से।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या हमारा देश ट्रांसफार्मरों के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर है? यदि नहीं तो क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में आत्म-निर्भर बनने की कोई योजना है?

श्री टी० ए० पाई : उत्पादन और क्षमता का लक्ष्य क्रमश: एक करोड़ तीस लाख के० वी० ए० और 2 करोड़ के० वी० ए० रखा गया है। वर्ष 1973-74 के 1 करोड़ 25 लाख टन के अपेक्षित स्तर की तुलना में उत्पादन के लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है। जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का समबन्ध है कि क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे, जिस योजना के साथ हम आगे बढ रहे हैं उससे देश आत्म-निर्भर हो जायेगा।

Shri Sarjoo Pandey : In view of the acute shortage of transformers in our country may I know what steps are being taken to meet their requirement ?

श्री टी० ए० पाई : यह कभी कमी कच्चे माल की कमी या उत्पादन में कमी के कारण हो जाती है परन्तु क्षमता में कमी नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं, पूरी करनी चाहिए।

भारत-चीन सीमा पर भारतीय तथा चीनी सेनाओं के बीच झड़पें

*745. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान भारतचीन सीमा पर भारतीय तथा चीनी सेनाओं के बीच कितनी बार झड़पें हुई थीं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : इस अवधि के दौरान भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच भारत-चीन सीमा पर कोई झड़प नहीं हुई है।

मिग-21 एम० में आयातित/स्वदेशी उपकरणों की प्रतिशतता

*747. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिग-21 एम० में उपयोग होने वाले आयातित उपकरणों की तथा देशीय उपकरणों की प्रतिशतता क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : 1974-75 में आरम्भ होने वाले मिग-21 एम० में कच्ची सामग्री से निर्माण स्तर पर आयतित अंश लगभग 40 प्रतिशत होगा।

श्री शंकर राव सावन्त : हमें बताया गया है कि वर्ष 1974-75 में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। पहला मिग-21 एम० कब बनेगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : चालू वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान कच्चे माल से मिग-21 एम० कारखाने में बनकर बाहर आ जायेगा और उसे स्क्वेड्रन सेवा में रख दिया जायेगा।

श्री शंकर राव सावन्त : यह मिग-21 एम० मिग-21 से किस प्रकार श्रेष्ठतर होगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा परन्तु इसके दो-तीन लाभ हैं। समें बेहतर हथियार प्रणाली, बेहतर रेंज और बेहतर सहन-शक्ति है।

विमानों की उड़ानें रोकने के कारण भारत से मुआवजा प्राप्त करने के लिए पाकिस्तानी दावा

†

*748. **श्री पी० गंगादेव**
श्री के० लकप्पा } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में हाल ही में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को देखा है कि विमानों की उड़ाने रोकने के कारण पाकिस्तान भारत से मुआवजा देने की मांग करेगा ;

(ख) क्या सरकार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस वक्तव्य की भी जानकारी है कि अगर भारत मुआवजा देने के लिये राजी नहीं होता तो पाकिस्तान मामले को फिर से अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई० सी० ए० ओ०) के समक्ष पेश करेगा ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। लेकिन, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के वक्तव्य से संबंधित इंटरव्यू की रिपोर्ट का पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आम तौर से खंडन किया है।

(ग) खंडन को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० गंगादेव : मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के वक्तव्य का पाकिस्तान के विदेश कार्यालय से आम तौर पर खंडन किया गया है परन्तु मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या उनके वक्तव्य का विशेष रूप से भी खंडन किया गया है या नहीं। संचार व्यवस्था पुनः चालू करने के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच शिष्टमंडल के आदान-प्रदान के लिये त्रिपक्षीय समझौते के उपबंध की तुलना में विमानों की उड़ाने रोकने के लिये पाकिस्तान को मुआवजे की अदायगी की संबंध में सरकार की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह सही है कि पाकिस्तान ने विमानों की उड़ाने आदि रोके जाने के कारण उसे हुई हानि के लिये दावे किये हैं परन्तु हमने भी वैसे ही दावे किये हैं। हमने भी फोकर फ्रैन्डशिप विमान, जो नष्ट हो गया था उसके संबंध में तथा पाकिस्तान को टालकर हमारी उड़ाने दूसरे रास्ते से ले जाने के कारण हुई हानि के संबंध में पाकिस्तान के विरुद्ध अपने दावे किये हैं। अतः दोनों ओर से दावे और प्रति दावे किये गये हैं। जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तब इस मामले को उठाया जायेगा।

श्री पी० गंगादेव : पाकिस्तान की सभी प्रकार की मांगों और इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई० सी० ए० ओ०) में उठाने की धमकी को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अभी यह बतायेंगे कि पाकिस्तान को यह समझाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है कि पाकिस्तान के प्रति भारत की सद्भावना उतनी ही कीमती है जितनी पाकिस्तान की सद्भावना भारत के प्रति हो सकती है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम उस समय से काफी आगे निकल चुके हैं जब यह मामला पहली बार आई० सी० ए० ओ० में उठाया गया था। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं जिनसे हमें आशा मिलती है कि इस मामले पर पाकिस्तान की ओर से पारस्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण विचार-विमर्श किया जायेगा और इसे सुलझाया जायेगा। अतः इस मामले को पुनः आई० सी० ए० ओ० में उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री पी० वेंकटासुब्बया। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। पांच मिंट शेष रहे हैं। अनुपस्थित सदस्यों में से कोई उपस्थित नहीं हुए हैं। हम अगला कार्य लेते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोयले की मांग तथा सप्लाई सम्बन्धी योजना आयोग समिति

*732. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की मांग तथा सप्लाई का उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग ने हाल ही में एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में एक विस्तृत नोट तैयार किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी मालवीय) : (क) योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० पाठक की अध्यक्षता में गठित लोक उद्यम कार्यवाही समिति ने हाल ही में कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कार्यप्रणाली में सुधार की दृष्टि से उनका अध्ययन किया था ;

(ख) और (ग) मंत्रालय को समिति की अंतरिम रिपोर्ट का मसौदा प्राप्त हो गया है, जो विचाराधीन है ।

Talks on Arms Limitation between U. S. S. R. and U. S. A.

*733. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Soviet Russia and U.S.A. have agreed to discuss 'arms limitation'; and

(*b*) the reaction of Government of India thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (*a*) Yes, Sir. Bilateral talks between the Government of the Soviet Union and the United States for limitation of strategic arms began on 17th November 1969, and have since then been continuing with certain intervals.

(*b*) The Government of India considers that these talks have made an important contribution to detente. The Government of India will welcome any substantive steps that might be taken towards the achievement of the highest priority objective which the international community has set before itself *viz.*, nuclear disarmament.

कोक्कर कोयले की कम सप्लाई के कारण इस्पात संयंत्रों की कोक भट्टी बैटरियों का क्षतिग्रस्त हो जाना

*735. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न उपक्रमों के कार्यकारी मुख्य अधिकारियों की हाल ही में हुई बैठक में यह रहस्योद्घाटन किया गया था कि कोककर कोयले की कम सप्लाई के कारण इस्पात संयंत्रों की कोक भट्टी बैटरियों को गम्भीर क्षति पहुंची है तथा करोड़ों रुपयों को हानि होने का अनुमान है; और

(ख) इस संकट के कारण इस्पात के उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं। फिर भी यह आशंका व्यक्त की गई थी कि वर्ष 1973-74 के दौरान कई अवसरों पर कोयले के स्टाक में अत्यधिक कमी हो जाने तथा उसके खतरे के स्तर पर पहुंच जाने के कारण इस्पात कारखानों में कोक ओबन पुशिंग में जानबूझकर कमी करने से कोक ओवन बैटरियों के क्षतिग्रस्त होने का भय था क्योंकि तापीय झटकों के कारण कोक ओवन बैटरियों के क्षतिग्रस्त होने का भय रहता है। तथापि अब तक यह देखने में नहीं आया है कि इस कारण से कोक ओवन बैटरियों को वास्तव में कोई क्षति हुई है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खनिजों के लिये भू-भौतिक और भू-रासायनिक सर्वेक्षण

*736. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री गजाधर मांझी } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने पांचवीं योजना के दौरान अज्ञात खनिजों के लिये लक्षित क्षेत्रों का पता लगाने के लिये भू-भौतिक और भू-रासायनिक सर्वेक्षण हेतु समूचे देश के सामान्य और विशेष मानचित्रण की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) औ (ख) : भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के क्रमबद्ध मानचित्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के लगभग आधे भाग का 1:63, 360/1 : 50,000 तथा बड़े पैमाने पर पहले ही मानचित्रण किया जा चुका है। पांचवीं योजना के दौरान अधिक भू-वैज्ञानिकों को नियुक्त कर इस काम को और अधिक तेज

किया जायगा । इसके अतिरिक्त, चुने हुए क्षत्रों में भू-वैज्ञानिक, भूभौतिक और भूरासायनिक अध्ययन की विभिन्न तकनीकों से युक्त समेकित सर्वेक्षण भी किया जायगा । क्रमबद्ध मान-चित्रण व समेकित सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर क्षेत्रवार खनिज निर्धारण का कार्यक्रम अपनाया जायगा जिसमें समुचित पैमाने पर मानचित्र बनाने और भूछेदन का काम भी शामिल होगा ।

जबरन छुट्टी के मुआवजे में वृद्धि

*739. **श्री ई० वी० विख पाटिल :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जबरन छुट्टी के मुआवजे को जो इस समय कुल मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत है बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने श्रम मंत्री सम्मेलन द्वारा जबरन छुट्टी के संबंध में की गई सभी अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित करने का निर्णय भी किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस निर्णय को कब तक लागू किया जायगा ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) नवम्बर, दिसम्बर, 1973 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 24वें सत्र में लिये गये निर्णयों पर, जिनमें जबरी छुट्टी के मुआवजे की प्रमात्रा को बढ़ाना भी शामिल है, अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

फार्मेसी में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव

741. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मेसी में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त व्यक्तियों की सेवाओं का, यदि आवश्यक हो तो अग्रेतर अल्पावधि प्रशिक्षण देने के बाद ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा संबंधी योजनाओं में उपयोग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विलम्ब से विवाह करने के लिये प्रोत्साहन

*742. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में विवाह योग्य आयु की सीमा बढ़ा देने से जन्म दर में काफी कमी आ जायगी ।

(ख) यदि हां, तो क्या विलम्ब से विवाह करने के लिय कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार किया जायगा अथवा ऐसा प्रोत्साहन दिया जायगा; और

(ग) यदि हां, तो ये प्रोत्साहन क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इससे जन्म दर में कुछ हद तक कमी हो जाने की संभावना है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात उत्पादन की भारती प्रक्रिया

***746. डा० कर्ण सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब भारती इस्पात उत्पादन प्रक्रिया पर पुनः विचार कर रही है जिससे अत्यन्त कम कीमत पर इस्पात का उत्पादन किया जा सकता है और क्या एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और

(ग) क्या 'डेमाग' नामक एक प्रसिद्ध जर्मन इस्पात फर्म के प्रसिद्ध धातु-वैज्ञानिक डा० कोईंग ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारती प्रक्रिया व्यवहार्य है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारती प्रक्रिया, जिसे सरकार द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने तकनीकी तौर पर व्यवहार्य नहीं माना है, के आधार पर प्रोयोगिक संयंत्र स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 'भारती प्रक्रिया' की शक्यता के बारे में धातुकर्मविज्ञ डा० कोइंग द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

पाक स्ट्रेट्स के कच्चातीबू द्वीप पर प्रभुसत्ता

***749. श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाक स्ट्रेट्स के विवादोस्पंद कच्चातीबू द्वीप पर श्रीलंका की प्रभुसत्ता स्वीकार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यह मामला इस समय किस स्थिति में है और उसके पक्ष में सरकार के पास क्या तर्क है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच कच्चातीबू द्वीप पर प्रभुसता का प्रश्न अभी बातचीत का विषय बना हुआ है । माननीय सदस्य महोदय को मालूम होगा कि भारत और श्रीलंका, दोनों ने इस मामले को मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना से तय करने के लिये अपनी-अपनी इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

बोकारो स्टील लिमिटेड में बोकारो होटल

7137. **श्री स्वर्ण सिंह सोधी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई ठेकेदार है जो बोकारो स्टील लिमिटेड में बोकारो होटल का तब से कैयर-टेकर है जब से वह होटल बना है और कारोबार पर एकाधिकार किए हुए है ;

(ख) क्या उक्त ठेकेदार बोकारो स्टील लिमिटेड में आने वाले प्रत्येक प्रबन्ध निदेशक और चेयर मैन के साथ सामाजिक और पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित कर लेता है और भ्रष्ट प्रक्रियाओं में लिप्त हो जाता है तथा अपने ठेके का नवीकरण करवा लेता है,

(ग) क्या वह बोकारो स्टील के अधिकारियों की साठ-गांठ से रूसी व्यक्तियों द्वारा लिए गए कमरों को छोड़कर शेष समुचे होटल का इस्तेमाल करता है और ग्राहकों द्वारा लिए गए कमरों का कोई उचित लेखा नहीं तैयार करता तथा उसके मित्र, और रिश्तेदार वहां निःशुल्क ठहरते हैं और चले जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसकी फर्म के ठेके को समाप्त करने और उन्हें वहां से हटाने तथा बोकारो होटल को राष्ट्रीय हित में विभागीय रुप से चलाने न कि किसी ठेकेदार या ऐजेन्सी के माध्यम से चलाने के लिए तत्काल क्या कदम उठाने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोद हंसदा) : (क) बोकारो स्टील लि० के बोकारो होटल की बिल्डिंग का कुछ भाग अब एक प्राइवेट कम्पनी को बोकारो इस्पात कारखाने में आने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं के लिए एक होटल तथा विश्राम गृह चलाने हेतु पट्टे पर दिया हुआ है। इसके अलावा स्टील सिटी में एक होस्टल और एक अतिथि-गृह सीधे बोकारो स्टील लि० द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) : बोकारो स्टील लि० और प्राइवेट कम्पनी में हुआ समझौता दिसम्बर, 1966 से लेकर 10 वर्ष के लिए है। अत : करार के नवीकरण का प्रश्न नहीं उठा है। चूंकि पिछले कुछ महीनों में इसकी सेवा का स्तर खराब हो गया है और पट्टेदार ने किराये का भुगतान भी नियमित रूप से नहीं किया है, अतः बोकारो स्टील लि० ने करार को समाप्त करने तथा वैकल्पिक प्रबन्ध करने का निश्चय किया है।

अंडमान में एक सैनिक अधिकारी द्वारा एक असैनिक कर्मचारी को पीटा जाना

7138. **श्री के० नारायण राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीने पूर्व अंडमान में एक लैफ्टिनेन्ट ने नौसेना के एक असैनिक कर्मचारी को हिरासत में रख कर पीटा था और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सम्बन्धित अधिकारियों से इस घटना के बारे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। उसके प्राप्त होने पर एक विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

विदेशी सहयोग से राज्यों में संयुक्त क्षेत्र में स्कूटर कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन

7139. **श्री गजाधर माझी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है, जिनमें विदेशी सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में स्कूटर कारखाने स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रोत्साहन दिया है; और

(ख) शेयर पूंजी सहित अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) किसी भी राज्य में विदेशी सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में स्कूटर एककों की स्थापना नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Indian Doctors in France

7140. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state whether Government will ascertain through the Indian Embassy in France the present number of Indian doctors in that country ?

Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : Yes, Sir.

Persons of Indian Origin in Sri Lanka

7141. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to ascertain the present number of persons of Indian origin in Sri Lanka through the Indian Embassy there; and

(*b*) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (*a*) & (*b*). According to the Government of Sri Lanka, in 1964 there were about 975,000 persons of Indian origin in Sri Lanka, Of this number, in accordance with the Indo-Sri Lanka Agreements of 1964 and 1974, India is to accept a total of 600,000 persons together with their natural increase, and Sri Lanka is to grant citizenship to the remainder of 375,000 persons together with their natural increase. Up to the end of March 1974, 132,160 persons, inclusive of their natural increase, had been repatriated to India and, up to the end of February 1974, 75,927 persons inclusive of their natural increase, had been granted Sri Lanka citizenship. With the full implementation of the 1964 and 1974 Agreements the two countries have finally settled the problem of all persons of Indian origin in Sri Lanka.

नौसेना की विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी कमान्ड में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को विनियमित करना

7142. **श्री के० नारायण राव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना की विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी कमान्ड में कार्य कर रहे सैंकड़ों नैमित्तिक श्रमिकों को विनियमित करने का प्रश्न इस कारण से रुका हुआ है कि इन की भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नहीं की गई थी यद्यपि वे सभी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं और 1 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि से सेवा में है;

(ख) यदि हां, तो रिक्तियों के होते हुए और इस बात के होते हुए भी कि इन सभी की भर्ती सेवा कीं आवश्यकता के कारण और जंगी जहाजों की आवश्यक मरम्मतों आदि के लिए की गई थी उन्हें विनियमित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन्हीं परिस्थितियों में भर्ती किये गये लगभग 200 नैमित्तिक श्रमिकों को वर्ष 1970-71 के दौरान नौसेना अधिकारियों द्वारा वरीयता को आधार बना कर किस प्रकार विनियमित कर दिया गया था ; और

(घ) क्या सरकार कोई निश्चित नीति बना रही है जिससे कि नैमित्तिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के पश्चात् नियमित किया जा सके हांलाकि उनकीं सेवा में प्रत्येक तीन महीनों के बाद 1–2 दिन का कृत्रिम व्यवधान आया हो ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नौसेना दक्षिणी कमान्ड के मासिक आधार पर वेतन पाने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों पर भुगतान

7143. **श्री के० नारायण राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० डी० एस० (आर० पी०) नियम, 1973 के मासिक आधार पर वेतन पाने और नैमित्तिक कर्मचारियों को अपनी परिधि से बाहर नहीं रखा है और इसलिए दक्षिणी नौसेना कमान तथा रेलवे जैसे केन्द्रीय विभागों के नैमित्तिक कर्मचारियों को तदनुरूप भुगतान किया गया है ;

(ख) क्या पूर्वी नौसेना कमान प्रतिष्ठान, विशाखापटनम में मासिक आधार पर प्रतिरक्षा प्राक्कलन में से वेतन पाने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों पर भुगतान न करने तथा बकाया राशि न देने के कारण उनमें पर्याप्त असंतोष व्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो सी० डी० एस० (आर० पी०) नियम, 1973 के बावजूद भी तथा द्वितीय वेतन आयोग के बाद ऐसे कर्मचारियों को किये जाने वाले भुगतान और मैरीन स्थित समकक्षी नौसेना प्रतिष्ठान में अब क्रिये जा रहे भुगतान के बावजूद भी विशाखापटनम के नैमित्तिक कर्मचारियों को भुगतान न किये जाने के क्या कारण है; और

(घ) इस विषय पर मंत्रालय का निर्णय क्या है तथा विशाखापटनम के नैमित्तिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों पर भुगतान करने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) जी नहीं श्रीमन्, मासिक आधार पर वेतन पाने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को उन नियमों की परिधि से विशेष रूप से बाहर नहीं रखा गया है, परन्तु नियम इस बात पर मौन है। दक्षिणी नौसेना कमान के ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों को, यह समझतें हुए कि ये नियम स्वयमेव उन्हें लागू होते हैं, प्रारम्भ में, इन नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार बकाया का भुगतान किया गया था। तथापि, रक्षा लेखा के नियन्त्रक (नौसेना) ने बाद में इस आशय के अनुदेश जारी किए कि इस विषय पर सरकारी आदेशों का स्पष्टीकरण आने तक ऐसे कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतन मानों के अनुसार भुगतान किया जाता रहे और सी० डी० एस० (आर०

पी०) नियम, 1973 के अधीन भुगतान न किया जाए। इन अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, सभी नौसेना प्रतिष्ठानों नैमित्तिक कर्मचारियों को केवल उनके वर्तमान वेतन दर पर भुगतान किया जा रहा है।

1960 में सरकार द्वारा द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें मान लिए जाने और रक्षा सेवाओं में असैनिक (संशोधित वेतन) नियम 1960 जारी कर दिए जाने के पश्चात् उन नियमों और उनके अधीन अधिसूचित वेतन मानों को मासिक आधार पर वेतन पाने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों पर लागू करते हुए फरवरी, 1961 में सरकारी आदेश जारी किए गए थे। अब 1973 के नियमों के संदर्भ में इसी तरह के आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इस बारे में कुछ अशान्ति रही है; परन्तु ऐसी आशा है कि स्पष्टीकरण देते हुए उपर्युक्त अपेक्षित आदेशों को शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा ?

Increase in Production of Jabalpur Gun Carriage Factory, MP

7144. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) whether production in Jabalpur (MP) Gun Carriage Factory has gone up; and

(*b*) if so, how it compares with the production for the year 1972 ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) and (*b*) : The Gun Carriage Factory, Jabalpur produces a variety of items including weapons, general stores and vehicles. The overall level of production during 1973-74 recorded a slight fall when compared to 1972-73. It was mainly due to the transfer of the assembly of Shaktiman vehicles to the Vehicles Factory, Jabalpur, in accordance with the planning of the latter project.

Stock Maintenance Employees in Jabalpur Gun Carriage Factory

7145. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) the number of stock maintenance employees in Jabalpur Gun Carriage Factory during the last year in different grades including gazetted grades;

(*b*) the number among them of matriculate and middle class pass, under-middle and uneducated employees in each grade including Gazetted grade;

(*c*) their ratio fixed for various grades; and

(*d*) the ratio of clerical cadre of this factory and the number of employees in various grades including gazetted grades during the said period ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (*a*) The total number of Stock Maintenance employees in Jabalpur Gun Carriage Factory last year was 358. Their gradewise break-up is as below :—

(*i*) Assistant Manager	1
(*ii*) Store Holder	2
(*iii*) Assistant Store Holder	4
(*iv*) Chargeman	3
(*v*) Supervisor 'A' Gde.	14
(*vi*) Supervisor 'B' Gde.	25

(*vii*) Assistant Store-keeper	34
(*viii*) Office Superintendent	1
(*ix*) Upper Division Clerk	10
(*x*) Lower Division Clerk	14
(*xi*) Checker	18
(*xii*) Record Supplier	3
(*xiii*) Industrial employees	229
Total	358

(*b*) The required information about acedemic qualifications is as below :

(*i*) No. of Tenth class passed	1
(*ii*) No. of Middle class passed	29
(*iii*) No. of Below middle class passed	15
(*iv*) Uneducated	Most of the Industrial employees are uneducated.

(*c*) The information is being collected.

(*d*) The ratio of clerical cadre in the Stock Maintenance side is 12% of the entire staff. The ratio of clerical in the whole Factory is 14% of the total number of employees in various grades excluding industrial workers.

मध्य प्रदेश स्थित कपड़ा मिलों में कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि सम्बन्धी शिकायतें

7146. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदानों के बारे में मध्य प्रदेश के कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-सम्भव सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कोयले की कीमत

7147. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह प्रस्ताव किया गया है कि कोयले की कीमतों में किसी भी प्रकार के संशोधन के प्रश्न पर विचार करते समय प्रस्तावित अन्तर्मंत्रालयी समिति राष्ट्रीकृत उद्योगों के लागत ढांचे पर विचार करेगी और यह बढ़े हुए मूल्यों का कोयले पर आधारित उद्योगों के कार्यकारण और सामान्य मूल्य-स्तर पर प्रभाव के प्रश्न पर विचार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : जी हां, समिति द्वारा इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है।

दिल्ली में अस्पतालों की कमी

7148. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में अस्पतालों की कमी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का कार्यवाही करने का क्या विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) और (ख) दिल्ली में अस्पतालों की कोई कमी नहीं है । फिर भी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पांच सौ पलंगों वाले दो नये अस्पताल खोलने के बारे में सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बाद दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में पंजीकृत किये गये बहिरंग रोगी

7149. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में 31 दिसम्बर, 1973 को कुल कितने वाहिरंग रोगी पंजीकृत किये गये ; और

(ख) क्या जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बाद बहिरंग रोगियों की संख्या में कमी हो गई है और यदि हां, तो 1 मार्च, 1974 को रोगियों की संख्या में कितनी कमी हो चुकी थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र भेज दी जायेगी ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई औषधियों को देने में विलम्ब

7150. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई औषधियां दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं ;

(ख) क्या रोगियों को ये औषधियां प्राप्त करने में कई दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) विशेषज्ञों द्वारा बताई गई दवाइयां औषधालयों में आसानी से नहीं मिलती यह बात सही नहीं है । यदि किसी दिन कोई विशेष दवाई तुरन्त उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर समान गुणकारी दूसरी दवाई दे दी जाती है और साथ ही विशेषज्ञों द्वारा बताई गई दवाईयों को प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जाती है।

दिल्ली क्लाथ मिल्स में श्रमिक-प्रबन्ध विवाद

7151. श्री एम० कतामुतु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल्स का श्रमिक-प्रबन्धक विवाद श्रम मंत्री को भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) अनुमानत: संकेत डी० सी० एम० केमिकल वर्क्स, दिल्ली में हुए विवाद की ओर है जिस से मुख्यत: दिल्ली प्रशासन ताल्लुक रखता है। इस महवपूर्ण एकक में सामान्य स्थिति बहाल करवाने के लिए केन्द्रीय उप श्रम मंत्री प्रयास करते रहे हैं।

श्रम ब्यूरो में कम्प्यूटर इन्वेस्टीगेटर्स

7152. श्री वसन्त साठे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1974 को श्रम ब्यूरों में कम्प्यूटर इन्वेस्टीगेटर ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के कितने पद थे ;

(ख) उनमें से अब तक कितने पदों को श्रेणी-वार स्थायी बना दिया गया है;

(ग) क्या स्थायी पदों की प्रतिशतता बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

	कम्प्यूटर	इन्वेस्टीगेटर	
		ग्रेड-1	ग्रेड-2
पदों की संख्या जैसी की स्थिति 31 मार्च 1974 को थी . . .	144	46	157
स्थायी किये गए पदों की संख्या . .	55	16	42

(ग) और (घ) नियमों के अधीन अस्थायी पदों के केवल एक भाग को ही स्थायी किया जा सकता है। शेष उपयुक्त पदों को भी स्थायी घोषित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

संयुक्त साइफर ब्यूरो में कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या

7153. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रक्षा मंत्री संयुक्त साइफर ब्यूरो में कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या के बारे में 25 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त असंगति को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसे कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) जी नहीं श्रीमन् । कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री ने जो स्थिति लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4370, दिनांक 12 दिसम्बर, 1973 के उत्तर में बताई थी, वही है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में प्रशिक्षु पाठ्यक्रम

7154. **श्री वयालार रवि :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलामसारी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने में कुल कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षु पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उस कंपनी के स्थायी रिक्त पदों पर उनमें से कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या कलामसारी स्थित नये प्रिंटिंग मशीन कारखाने में इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का सरकार का विचार है ; और हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिये सरकार का अन्य क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जिन व्यक्तियों ने एच० एम० टी० के कलामसारी स्थित एकक में प्रशिक्षु पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है उनकी कुल संख्या 149 है। उनमें से 27 व्यक्तियों को स्थायी नियुक्ति प्रस्ताव भेजा गया था । 26 व्यक्तियों (13 मशीनी औजार डिवीजन में और 13 छपाई मशीन डिवीजन में) ने कार्य ग्रहण कर लिया है और एक ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है।

(ख) पात्रता और उपयुक्तता की शर्त को ध्यान में रखते हुए इन प्रशिक्षुओं को वरीयता दी जायेगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राज्य अमरीका के कांग्रेस सदस्यों द्वारा डियागो गार्सिया विरोधी आन्दोलन

7155. **श्री एस० एम० जोजफ :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस डियागो गार्सिया विरोधी प्रस्ताव के लिये तैयार हो रही है ;

(ख) क्या विदेश संबंधों संबंधी समिति के कई सदस्य ऐसा कानून पुनः बनाने की योजना बना रहे हैं जिसमें विदेश में नए सैनिक अड्डों संबंधी कोई करार सीनेट को प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि संधि में दो-तिहाई मत की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या सोवियत संघ तथा चीन भी हिन्द महासागर क्षेत्र में नौसैनिक शक्ति बढ़ाने के विरोध में हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत, सोवियत संघ और चीन ने अमरीका को, यदि वह अपनी आयोजित योजना पर जोर देता है, उत्पन्न होने वाले परिणामों के बारे में बता दिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जिनमें यह कहा गया है कि दियागो गार्सिया में अमरीकी कार्रवाई का अमरीकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने विरोध किया है।

(ख) यह भी कहा गया है कि कुछ कांग्रेसजन इस मत के भी हैं कि डियागो गार्सिया पर हुए अमरीका-यू०-के० करार को एक संधि की तरह अनुसमर्थन के लिए सीनेट के पास भेजा जाय जिस पर दो-तिहाई बहुमत का अनुमोदन आवश्यक होता है।

(ग) चीन लोक गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किया गया है। 29-11-73 की भारत सोवियत संघ संयुक्त घोषणा में सोवियत संघ ने निम्नलिखित स्थिति से सहमति व्यक्त की थी :

दोनों पक्षों ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि वे समान आधार पर अन्य सम्बद्ध राज्यों के साथ हिन्द महासागर को एक 'शांति क्षेत्र' बनाने के प्रश्न का न्यायोचित समाधान खोजने की दशा में भाग लेने को तैयार हैं।

(घ) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि चीन लोक गणराज्य और सोवियत समाजावादी गणतन्त्र संघ ने इस मामले में अमरीका को अपने विचारों से अवगत करा दिया है अथवा नहीं। दियागो गार्सिया में अपनी सैनिक सुविधाओं के विस्तार करने के अमरीका के ताजा प्रस्ताव पर हमने अमरीकी सरकार को अपनी गहरी चिन्ता से अवगत करा दिया है।

कृषि श्रमिकों की मजूरी तथा अन्य मामलों संबंधी समस्यायें

7156. श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री पी० ए० सामिनाथन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेत मजदूर यूनियन की आम परिषद ने जिसकी नई दिल्ली में बैठक हुई थी कृषि श्रमिकों की मजूरी एवं अन्य मामलों सम्बन्धी समस्याओं के प्रति केन्द्र तथा राज्य सरकारों के उपेक्षा के रूख की निन्दा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन बहुत ही कम और जीवन निर्वाह लागत से असम्बद्ध थे और राज्य सरकारों द्वारा इस न्यूनतम मजूरी को भी लागू नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जिस कार्यवाही का उल्लेख किया गया है, उसके सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) कृषि में रोजगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आता है, और राज्य सरकारों के लिए 'समुचित सरकार' की हैसियत में, उचित अन्तरालों के बाद न्यूनतम मजदूरियों का संशोधन करना और अधिसूचित मजदूरी-दरों को यथोचित रूप से लागू करवाना भी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिये उन्हें समय-समय पर सलाह दी गई है। कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों उदाहरणार्थ तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी ने कृषि सम्बन्धी श्रमिकों की मजदूरियों को सुधारने के लिये विशिष्ट कानून बनाये हैं।

पश्चिम एशियाई देशों द्वारा भारत में संयंत्रों की स्थापना

7157. **श्री धामनकर**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विचाराधीन एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत कुछ पश्चिम एशियाई तेल समृद्ध देश भारत में कुछ ऐसे संयंत्र स्थापित करने में वित्तीय रूप से भाग लेंगे जिनका समूचा उत्पादन उन देशों को निर्यात करने के लिये आरक्षित रहेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस अवस्था में है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 20-21 फरवरी, 1974 को तेहरान में आयोजित हिन्द-ईरान संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में ईरान ने कुदरैमुख कच्चा लोहा खानों का विकास करने, गारा ले जाने के लिये एक पाइप लाईन बिछाने, मंगलौर बन्दरगाह का विकास करने और पैलिटाइजेशन प्लाँट लगाने के लिये ऋण देने की सहमति दे दी थी। एलूमिना का उत्पादन करने के लिये एक और भारत-ईरानी परियोजना पर विचार हो रहा है। आशा की जाती है कि इन दोनों परियोजनाओं का अधिकांश उत्पाद दीर्घ-कालिक आधार पर ईरान को निर्यात किया जाएगा।

(ख) ईरान का एक दल कुदरैमुख कच्चा लोहा परियोजना पर आगे विचार-विमर्श करने के लिये भारत आया। इस मामले पर अभी विचार हो रहा है। प्रस्तावित एलूमिना प्लांट के लिए ईरानी दल के जल्दी ही भारत आने की आशा की जाती है।

बिहार के रामगढ़ कोयला क्षेत्रों के कोयला कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

7158. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रामगढ़ और अन्य कोयला क्षेत्रों के कर्मचारी बिहार सरकार द्वारा भुगतान के समय जबरदस्ती व्यावसायिक कर वसूल करने के विरुद्ध 16 मार्च, 1974 से हड़ताल पर हैं; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या कोयला कर्मचारियों को व्यावसायिक कर से छूट देने अथवा इसे कुछ समय तक स्थगित रखने के बारे में बिहार सरकार से अनुरोध करने का सरकार का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) यद्यपि, बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश में उल्लेख था कि नियोक्ताओं द्वारा भुगतान के समय व्यवसाय-कर की कटौती की जाएगी, परन्तु जबरन वसूली नहीं की गई। तथापि, कुछ कोयला खानों के कर्मचारियों ने व्यावसाय-कर की वापसी पर जोर देने के लिये 16 मार्च, 1974 को हड़ताल की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि बिहार सरकार ने अब अध्यादेश वापस ले लिया है।

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण उड़ीसा द्वारा नये खनिजों का पता लगाना

7159. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान (उड़ीसा सर्किल) ने खनिजों का पता लगाने के लिये राज्य के विशेषकर दक्षिणी भाग का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण प्रतिवेदन सम्बद्ध अधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं;

(ग) चौथी योजना में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितनी खानों में कार्य आरम्भ किया गया है और पांचवीं योजना में इस बारे में क्या प्रस्ताव है; और

(घ) उन खानों के नाम क्या हैं और वे किन-किन जिलों में स्थित हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था पुरी और गंजम जिलों में पहले ही क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण कर चुकी है। कालाहांडी और कोरापुट जिलों में मान-चित्रण हो रहा है। गंजम, कालाहांडी, पुरी और कोरापुट जिलों में जिन खनिजों के होने की पहले सूचना मिली थी, उनकी आर्थिक क्षमता जानने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किया गया है, केवल वे मामले ही बाकी हैं जिनके बारे में खोज कार्य चल रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टाटा चैसिस की डीलरशिप और एजेंसियों पर एकाधिकार

7160. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार राज्य में कोई ऐसा परिवार है जिसका टैल्को लिमिटेड, जमशेदपुर द्वारा निर्मित टाटा चैसिस की डीलरशिप ऐजेन्सियों पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भिन्न-भिन्न फर्मों के नाम से एकाधिकार है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माताओं और उनके वितरकों, तथा विक्रेताओं को टाटा काया कमर्शियल वेहीकल्स चैसिस की डीलरशिप/ऐजेन्सियों को वापस लेने और उन्हें रद्द करने तथा एक परिवार को केवल एक ही ऐसी डीलरशिप देने के लिए सरकार का तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि देश के विभिन्न राज्यों में इस व्यापार में चोर-बाजारी को रोका जा सके तथा एक परिवार का एकाधिकार समाप्त किया जा सके?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्यिक गाड़ियों के वितरण के लिए डीलरशिप/ऐजेन्सियां देने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निर्माताओं की है। फिर भी, मैं० टेल्को से इस बात का पता लगा लिया गया है कि बिहार में किसी भी एक परिवार का बिहार, बंगाल और उड़ीसा में टाटा चैसिसों का वितरण करने में डीलरशिप पर एकाधिकार नहीं है।

तिब्बत तथा बर्मा के क्षेत्रों में चीनी सेनाओं का जमाव

7161. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारतीय उत्तर-पूर्व सीमा के साथ लगने वाले तिब्बत तथा बर्मा क्षेत्र के साथ अथवा अन्दर सशस्त्र सेनाओं का हाल ही में जमाव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) चीन द्वारा सामरिक महत्व के क्षेत्रों में सेना के ऐसे जमाव करने का क्या उद्देश्य है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) चीन के द्वारा हमारे उत्तर-पूर्व सीमा के साथ लगने वाले तिब्बत तथा बर्मा क्षेत्र के साथ अथवा अन्दर सशस्त्र सेनाओं के नए जमाव का

कोई संकेत नहीं है। तथापि चीन ने तिब्बत में 1,00,000 से अधिक सैनिकों को नियोजित कर रखा है ।

सरकार सीमा पार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है।

गोल मार्किट स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय के प्रभारी डाक्टर के विरुद्ध शिकायतें

7162. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्किट, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय के प्रभारी डाक्टर का व्यवहार रोगियों के प्रति बहुत अभद्र है और वह सामान्यतया कार्य के घंटों में औषधालय में नहीं होता ;

(ख) क्या उसके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उसके स्थान पर उस औषधालय में किसी अन्य वरिष्ठ डाक्टर को नियुक्त किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) जी नहीं । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय, गोल मार्किट के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अभद्र व्यवहार के सबन्ध में दो वर्षों में केवल दो किशायतें मिली थीं । इन शिकायतों को जांच की गई और आवश्यक कार्यवाही की गई।

(ग) और (घ) इस समय चिकित्सा अधिकारी को तब तक बदलने का कोई विचार नहीं है जब तक या तो उनका अपना सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता अथवा प्रशासनिक दृष्टि से उनका बदलना जरूरी नहीं होता ।

दिल्ली नगर निगम नरेला (दिल्ली) के क्षय रोग अस्पताल के कार्यकरण की जांच

7163. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरेला, दिल्ली में स्थित नगर निगम के नव निर्मित क्षय रोग अस्पताल के कार्यकरण के बारे में कोई जांच आरम्भ की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) दिल्ली नगर निगम ने एक विभागीय जांच कराई थी।

(ख) कोई गलत बात नहीं पाई गई।

Board of Tibbia College

7164. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published on the 22nd March regarding bungling in the board of Tibbia College;

(b) if so, whether Government have also received a complaint in this regard;

(c) whether Government have conducted enquiry in regard to these complaints; and

(d) if so, the outcome thereof and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa): (a) A letter purperting to be from one Satya Prakash of the Tibbia College, addressed to the Editor, Hindustan (Hindi) was published in that paper on the 22nd March, 1974 about the general state of affairs of the Institution.

(*b*) No specific complaint, in this regard, has been received either by the Delhi Administration or by the Government of India.

(c) & (d) Do not arise.

कोयला और इस्पात के आवागमन के लिए आपतकालीन योजना

7165. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री वी० मयावन } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और इस्पात के आवागमन में शीघ्रता लाने के लिये रेलवे तथा इस्पात मंत्रालयों ने कोई आपतकालीन योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या इस कार्य के लिये कोई समिति भी नियुक्त की गई थी और क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्च, 1974 में इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन उपक्रमों के मुख्य प्रबन्धकों की बैठक में कोयले तथा इस्पात के यातायात के बारे में विस्तृत रूप से विचार विनिमय किया गया है। इस योजना में कोयला खानों/शोधन शालाओं से इस्पात कारखानों को कोयला ले जाने और कोयले का उत्पादन करने वाले संगठनों, रेलवे तथा इस्पात कारखानों द्वारा इस बारे में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है।

(ग) इस्पात और खान मंत्री द्वारा मुख्य प्रबन्धकों की मार्च 20 से 22 मार्च, 1974 तक बुलाई गई बैठक का कार्यवृत तैयार कर लिया गया है।

(घ) रेलवे से परामर्श करके विभिन्न आधारों पर कोयले, लौह, खनिज, चूना पत्थर तैयार इस्पात आदि को परिवहन सम्बन्धो आवश्यकताओं का पता लगा लिया गया है।

स्कूटरों के उत्पादन के लिये आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इंडिया द्वारा विस्तार

7166. **श्री सरजू पांडे**
श्री एम० कतामुतु } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विस्तार किया जा रहा है ;

(ख) नई योजना के अन्तर्गत कब तक स्कूटरों का उत्पादन होने की संभावना है ।

(ग) क्या आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया स्कूटर के मूल्यों में वृद्धि करना चाहता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) फर्म द्वारा दिये गये संकेतों के अनुसार उन्हें 1974-75 में 40,000 से 45,000 स्कूटरों और 1975-76 में 60,000 स्कूटरों का निर्माण करने की आशा है।

(ग) और (घ) इस वर्ष के आरम्भ में फर्म द्वारा मूल्य वृद्धि के लिये किये गये निवेदन पर विचार करने के उपरान्त सरकार ने लम्ब्रेटा 150 सी० सी० स्कूटर के कारखाने से निकलते समय खुदरा बिक्री मूल्य में 883 रुपये की वृद्धि को अनुमति दी है।

राज्यों को एल्यूमीनियम का नियतन

7167. **श्री डी० जो० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विकास आयुक्त ने विभिन्न राज्यों को एल्यूमिनियम के नियतन का कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात को कितना एल्यूमिनियम नियत किया गया है;

(ग) क्या देश में एल्यूमिनियम की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) एल्यूमिनिम के वितरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। किन्तु ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के मामले में जिसका उपयोग मुख्यत: कैबुल/कंडक्टर निर्माण में होता है, उसके वितरण पर विगत कुछ वर्षों, से अनौपचारिक नियन्त्रण है।

ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम का नियतन लघु उद्योग विकास आयुक्त, तथा अन्य प्रायोजी प्राधिकारियों को प्रति वर्ष किया जाता है। लघु उद्योग विकास आयुक्त बाद में विभिन्न राज्य उद्योग निदेशकों को कोटा नियत करता है।

(ख) 1974-75 में 877 टन।

(ग) जी हां।

(घ) एल्यूमिनियम की कमी मुख्यत: एल्यूमिनियम प्रदावकों को पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने के कारण है। सरकार ने एल्यूमिनियम उत्पादन हेतु बिजली की पूर्ति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिये संबद्ध राज्य बिजली बोर्डों/सरकारों से बातचीत की है।

विदेश मंत्रालय में नीति आयोजन समिति का कार्यकरण

7168. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मंत्रालय में नीति आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है;

(ख) इस समिति के मुख्य कृत्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस समय यह अपना कार्य कर रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जैसा कि हाल में गठन हुआ है विदेश सचिव विदेश मंत्रालय में नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष हैं।

(ख) इस समिति के मुख्य कार्य ये हैं :—

(1) विश्व की बदलती हुई स्थिति के संपूर्ण संदर्भ में भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करना और

(क) भारत की घटनाओं के सम्बन्ध में और

(ख) भारत के सीमावर्ती देशों के संदर्भ में ;

(2) समिति निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाएगी और भारत की विदेश नीति के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये दीर्घावधि कार्यक्रमों की भी जांच करेगी ;

(3) नीतियों की समीक्षा करते हुए यह समिति इन नीतियों की राजनीतिक सैनिक और राजनीतिक-आर्थिक पहलुओं पर आवश्यक विचार करेगी।

(4) समिति अपनी सिफारिशों विदेश मंत्री को देगी।

(ग) जी हां।

लोहे की कतरनों का आयात

7170. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या इस्पात और खान** मंत्री लोहे की कतरनों आदि के आयात के बारे में 7 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आयात की शर्तें क्या हैं तथा इस समय लोहे की करतनों की आन्तरिक उपलब्धता तथा क्षमता को ध्यान में रखते हुए कुल मांग क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : फेरस स्क्रैप के आयात तथा छड़ों और गोल छड़ों के निर्यात की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

तेल 'रिगों' का निर्माण

7171. **श्री भामनकर : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल 'रिगों' का निर्माण करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी अन्य देश से सहयोग मांगा गया है; और

(ग) क्या 'रिगों' की खरीद करने हेतु अमरीका के दौरे पर गए दल ने उस देश को क्रयादेश दे दिये हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार 6,000 मीटर तक खुदाई करने के लिये तेल की खुदाई करने के रिगों का देश में निर्माण करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी की कुछ फर्मों के साथ सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए सांविधिक मजूरी बोर्ड

7172. श्री धामनकर
श्री नवल किशोर शर्मा } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए सांविधिक मजूरी बोर्ड की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) यह विचाराधीन है।

Production of Scooters

7173. Dr. Grovind Das Richharia
Shri Probodh Chandra } : Will the Minister of **Heavy Industries** be please to state :

(*a*) the annual production of Lambretta and Vespa (Bajaj) scooters during the last three years separately; and

(*b*) whether keeping in view the considerable rise in prices of petrol, Government propose to give concession in excise duty and other taxes on scooters with a view to providing relief to scooter buyers and if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (*a*) The information is given as under :—

Model of Scooter	Production in Nos.		
	1971	1972	1973
Lambretta	24504	20851	24768
Bajaj (Vespa)	39798	40332	50361

(*b*) While the rate of Central Excise duty applicable to scooters has not been increased but maintained at 9% ad valorem, Government has reduced with effect from 18-1-1974 the excise duty on tyres and tubes intended for scooters from 50% to 25% ad valorem as a measure of relief to the users of scooters who were hit by the increase in the price of petrol. No further relief is contemplated at present.

Purchase of Seismological Survey Ships for Geological Survey

7174. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) whether India is considering the question of purchasing "seismological survey ships" for carrying out geological survey; and

(*b*) if so, the time by which it will be purchased and the main features thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (*a*) There are no immediate plans of acquiring "seismological survey ships" for the Navy.

(*b*) Does not arise.

मध्य प्रदेश में लघु इस्पात संयंत्र

7175. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री राम सहाय पांडे } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हाल ही में लघु इस्पात संयंत्र का शिलान्यास किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता कितनी होगी और संयंत्र पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा):

(क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपक्षीय बैठक के पश्चात् भारतीय प्रधान मंत्री को पाकिस्तान का आमंत्रण

7176. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, में दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय बैठक के पश्चात् पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भारतीय प्रधान मंत्री को आमन्त्रण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निमंत्रण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती

7177. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों से सेना, नौसेना तथा वायु सेना के लिये भर्ती हेतु समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये संसद में जोरदार मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मांगों की प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान (एक) विभिन्न राज्यों में भर्ती केन्द्र खोलने (दो) भर्ती एजेन्सियों का गठन करने और सेना-नौसेना तथा वायु सेना में राज्य-वार भर्ती के आंकड़ों सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सेना की उन रेजिमेंटों या यूनिटों में भर्ती के संबंध में संशोधन करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं जिन्हें तकनीकी रूप से "एक वर्ग" निश्चित वर्ग "तथा" "मिश्रित वर्ग" की रेजिमेन्ट तथा यूनिट के नाम से पुकारा जाता है, जिनके लिए कार्मिकों को कुछ निर्धारित जातियों या

वर्गों में से भर्ती किया जाता है। इन वर्ग रेजिमेन्टों/यूनिटों के अन्तर्गत लगभग 40 प्रतिशत सेना आती है। सेना की शेष रेजिमेन्टों/यूनिटों के साथ-साथ नौसेना तथा वायु सेना जिनका "सर्व वर्ग" गठन है, के सम्बन्ध में 1953 से अपनाई गई भर्ती नीति इस प्रकार है कि भर्ती क्रमश: विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 17-25 वर्ष आयु ग्रुप की मुख्य संख्या के अनुपात के अनुरूप की जाती है।

(ग) (I) **भर्ती केन्द्र**

(क) **सेना तथा नौसेना** : सेना तथा नौसेना के लिये भर्ती करने के लिये एक संयुक्त भर्ती संगठन है। संगठन के 9 भर्ती क्षेत्र हैं, तथा विभिन्न राज्यों में 50 शाखा भर्ती कार्यालय हैं।

(ख) वायुसेना विभिन्न राज्यों से भर्ती करने के लिये वायुसेना के 12 भर्ती केन्द्र हैं।

(II) **संगठन** : भर्ती संगठनों का मोटे तौर पर प्रत्येक का उनके कार्यों तथा उनके द्वारा की जाने वाली विशिष्ट भर्ती के अनुसार अन्तर होता है।

(III) 1971-72 तथा 1972-73 वर्ष के सेना तथा नौसेना की भर्ती के राज्यवार आंकड़े तथा केवल 1971-72 के वायुसेना की भर्ती के आंकड़े अनुबन्ध I में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6740/74]। शेष आंकड़े सुलभ उपलब्ध नहीं हैं। इनको एकत्रित किया जा रहा है तथा सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों में विदेशी विशेषज्ञ

7178. **श्री समर गुह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में विदेशी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं; और यदि हां, तो कितने तथा किस प्रकार के उद्योगों में वे कार्य कर रहे हैं तथा उन विदेशी विशेषज्ञों का देशबार ब्यौरा क्या है तथा उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

(ख) क्या उन्हें सरकार द्वारा सीधे-सीधे वेतन दिया जाता है अथवा उन देशों के दूतावासों के माध्यम से दिया जाता है जिनके ये नागरिक हैं तथा उन्हें प्रतिमास अथवा प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि दी जाती है; और

(ग) क्या विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्त करने से सरकारी क्षेत्र के एककों के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और यदि हां तो वर्ष 1971-73 के दौरान सरकारी क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक एकक को हुए लाभ-हानि सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'सोवियत विशेषज्ञ भारतीय अर्थ-व्यवस्था में प्रगति लायेंगे' संबंधी समाचार

7179. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के एक दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 22 मार्च, 1974 में "सोवियत एक्सपर्टस् टू बुस्ट इंडियन इकानोमी" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या ये विशेषज्ञ कोयला खानों के विकास तेल संसाधनों का अनुमान लगा जहाज निर्माण आदि मामलों पर तकनीकी सलाह देंगे; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त सोवियत विशेषज्ञों के नाम तथा उनकी विशेष योग्यतायें क्या हैं और

(घ) उनके तकनीकी ज्ञान से लाभ उठाने की शर्तें क्या हैं और उन्हें भारत में क्या लाभ और सुविधायें प्राप्त होंगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जो विशेषज्ञ पहले आ चुके हैं उन्होंने निम्नलिखित परियोजनाओं में कार्य किया : भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स; भेड़ और बकरी पालन और चकंदर की खेती से संबद्ध परियोजनाएं; बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार; सिंगरोली रानी गंज और कौरवा कोयला क्षेत्र; भिलाई इस्पात संयंत्र; तेल एवं प्राकृतिक गैस; मलाजखंड परियोजना; और "बालको" की एल्युमिना परियोजना।

(ग) दिसम्बर, 1973 से जो सोवियत विशेषज्ञ भारत आये हैं उन सभी की एक सूची संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6741/74] इनमें से प्रत्येक की विशेष योग्यताएं तो तत्काल सुलभ नहीं हैं परन्तु वे उन्हीं क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं जिनके संबंध में वे भारत आये थे।

(घ) सोवियत विशेषज्ञों को इन शर्तो पर रखा गया :--

(1) दोनों सरकारों के बीच सहमत मासिक पारिश्रमिक;

(2) भारत में उनके आवास के दौरान धन्धे से सम्बद्ध जोखिम और दुर्घटना के लिए बीमा;

(3) मास्को से नई दिल्ली और वापसी हवाई यात्रा खर्च;

(4) नई दिल्ली से भारत में कार्य स्थल तक और वापसी के लिए यातायात सुविधाएं और अन्य सभी सरकारी यात्राओं के लिए भी;

(5) सुसज्जित मकान;

(6) भारत में उनके आवास के दौरान चिकित्सा सुविधाएं।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

7180. श्री नवल किशोर शर्मा
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के इस्पात उत्पादक कारखानों के विभिन्न प्रमुख अधिकारियों की हाल की हुई बैठक में देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में निर्णय लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो 1974-75 के दौरान देश में कितने इस्पात का उत्पादन होगा ;

(ग) इससे देश में इस्पात की मांग कहां तक पूरी होगी तथा कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादन में वृद्धि होने के पश्चात् भी अनुमानतः कितने इस्पात का आयात करना पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) अनुमान लगाया गया है कि 1974-75 में देश की साधारण इस्पात की मांग लगभग 73 लाख टन होगी । सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारियों की मार्च 1974 में हुई बैठक में मुख्य इस्पात उत्पादकों के लिए वर्ष 1974-75 में इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 50·44 लाख टन निश्चित किया गया है । लघु इस्पात संयंत्रों आदि से लगभग 10 लाख टन उत्पादन होने की संभावना है । यदि अपेक्षित विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुई तो शेष अन्तर जो लगभग 10 लाख टन है, आयात द्वारा पूरा किए जाने की संभावना है ।

कोयला खानों में एक दिन में चार पारियां

7181. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री तरुण गोगोई : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कोयला खानों में एक दिन में चार पारियां चलाई जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला खानों के नाम क्या है जहां यह व्यवस्था लागू की जा रही है;

(ग) देश में कोयले और कोयले से पैदा की जाने वाली गैस की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी व्यवस्था कोयले के उत्पादन में कहां तक सहायक होगी; और

(घ) यदि कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों को कोई प्रोत्साहन देने की पेशकश की गई है तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (घ) यह तय किया गया है कि मजदूर संघों के साथ सलाह करके कुछ उपयुक्त इलाकों में चार पारी प्रणाली लागू की जाए । चूंकि इस प्रणाली से कोयला-स्थल पर लगातार काम होगा अतः इससे उत्पादन में वृद्धि होगी । कोयला खान प्राधिकरण पूर्वी प्रभाग की चुनी हुई खानों में इस प्रणाली को परीक्षण के रूप में लागू करने की दृष्टि से योजना के ब्यौरे तैयार कर रहा है ।

नीलोखेड़ी-स्थित इंजीनियरिंग वर्कशाप में जैटोर ट्रैक्टरों का उत्पादन का बन्द होना

7182. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री डी० डी० देसाई : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलोखेड़ी-स्थित राज्य द्वारा चलाई जाने वाली इंजीनियरिंग वर्कशाप में जैटोर टैक्टरों का उत्पदान तथा पुर्जे जोड़ने का कार्य ठप्प हो गया है; यदि हां, तो उस के क्या कारण है;

(ख) क्या किन्हीं अन्य विदेशी फर्मों के सहयोग से ट्रैक्टरों का उत्पादन करने के लिए सरकार का विचार आशय-पत्र जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। नीलोखेड़ी-स्थित राज्य द्वारा चालई जाने वाली इंजीनियरिंग वर्कशाप आयातित जीटर ट्रैक्टरों के पैकों को केवल पुर्जे जोड़ने का काम कर रही थी। चूंकि मे० हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने इन ट्रैक्टरों का नियमित निर्माण आरम्भ कर दिया है इसलिए नीलोखेड़ी में पुर्जे जोड़ने का काम जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1973 के दौरान खनिज उत्पादन

7183. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के दौरान देश में खनिज उत्पादन की कीमत स्थिर रही ;

(ख) यदि हां, तो देश में उत्पादित लौह-अयस्क, मैंगनीज, लवण आणविक खनिजों के आंकड़ें क्या हैं; और

(ग) आगामी दो वर्षों में देश में खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं, 1973 में खनिज उत्पादन का मूल्य 488,70 लाख रुपए था जबकि 1972 में वह केवल 480,77 लाख रुपए था;

(ख) 1973 के दौरान लौह-अयस्क, मैंगनीज-अयस्क तथा पहाड़ी नमक का उत्पादन क्रमशः 346.50 लाख टन, 14.50 लाख टन और 3,598 टन था। आणविक खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान देश में खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, खानों की वर्तमान क्षमता का विस्तावर, काम की कई पारियां, विस्फोटकों, इस्पात और सीमेंट जैसी महत्वपूर्ण चीजों की पूर्ति का सुनिश्चय, उत्पादन में अनाश्वयक देरी को दूर करने के लिए मानकीकृत मशीनों की प्राप्ति के लिए अग्रिम कार्यवाही, प्रबन्ध में सुधार आदि शामिल हैं।

वर्ष 1973-74 के दौरान कारों और स्कूटरों की कीमतों में वृद्धि की अनुमति

7184. श्री रनेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के दौरान देश में कार-निर्माताओं को कितनी मूल्य वृद्धि करने की अनुमति दी थी; और

(ख) 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के दौरान देश में स्कटर तथा मोटर साइकिल निर्माताओं को कितनी मूल्य वृद्धि करने की अनुमति दी गई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जानकारी निम्न प्रकार है :—

निर्माता का नाम	मोटर कार का विवरण	कितनी मूल्य वृद्धि करने की अनुमति दी गई
1. मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपाड़ा, जिला हुगली (प० बंगाल)	अम्बेसेडर	1130 रुपये
2. मै० प्रीमियर आंटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई	प्रीमियर प्रेसिडेंट	1524 रुपये
3. मै० स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास	स्टैंडर्ड गजल	1301 रुपये

(ख) स्कूटरों और मोटर साइकिलों की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। किन्तु स्कूटरों के बिक्री मूल्यों पर सरकार का अनौपचारिक नियंत्रण है। 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि में स्कूटर निर्माताओं को मूल्य में जितनी वृद्धि करने के लिए अनुमति दी गई है वह निम्न प्रकार है :—

निर्माता का नाम	स्कूटर का विवरण	कितनी मूल्य वृद्धि करने की अनुमति दी गई है
1. मै० आंटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	लम्ब्रेटा 150 सी सी	898 रुपये
2. मै० बजाज आटो लिमिटेड, पूना	बजाज	249 रुपये
3. मै० एस्कार्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद	राजदूत	351 रुपये

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को घाटा

7185. **श्री बी० बी० नायक : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष 1971-72 के अन्त तक 44.84 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था;

(ख) इस संस्था में किए गए पूंजी निवेश के अनुपात में कितने प्रतिशत कम उत्पादन हुआ;

(ग) क्या घाटे के कारणों का विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। परन्तु 44.84 करोड़ रुपये का घाटा मूल्य ह्रास के लिये 68.66 करोड़ रुपये और सरकारी ऋणों पर ब्याज के लिये 23.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के पश्चात् हुआ है।

(ख) 31-3-1972 को हिन्दुस्तान स्टील लि० में इक्विटी तथा ऋणों के रूप में सरकार के कुल 1042.7 करोड़ रुपये लगे हुए थे। मूल्य ह्रास तथा सरकारी ऋणों पर ब्याज की व्यवस्था करने से पूर्व 47.37 करोड़ रुपये का सकल लाभ था, लेकिन मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् 21.29 करोड़ रुपये की हानि थी । तदनुसार, सरकारी निवेश पर लगभग 2 प्रतिशत की हानि (नेगेटिव यील्ड) हुई।

(ग) जी, हां।

(घ) इस हानि के मुख्य कारणों में इस्पात कारखानों की स्थापित क्षमता का अपर्याप्त उपयोग तथा विशेष रूप से जुलाई, 1971 में स्टील मेल्टिंग शाप की छत गिर जाने के कारण, राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन में भारी कमी होना तथा लागत में वृद्धि के कुछ कारणों का प्रभाव होना था।

भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए सेना अधिकारी

7186. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उन सेना अधिकारियों के नाम तथा पद नाम क्या हैं जिन पर गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है;

(ख) प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप का स्वरूप और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या है?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) सुरक्षा, जनहित और सेवा अफसरों के मनोबल को बनाए रखने की दृष्टि से उन थल सेना अधिकारियों के नाम और पदनाम बताना जिन पर कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं तथा प्रत्येक के विरुद्ध लगाए गए विशिष्ट आरोपों का ब्यौरा देना वांछनीय नहीं है 1971 से 1973 तक के तीन वर्षों के दौरान थल सेना अफसरों पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए थे वे मुख्यतः पैसे के गबन, अवैध परितोषण, विश्वास भंग, धोखाधड़ी की मंशा, अनुचित पक्षपात करने तथा झूठे दावे प्रस्तुत करने से संबंधित थे। ऐसे अफसरों की संख्या व रैंक और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाही का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम स०	रैंक	कड़ी कद और जुर्माना	भर्त्सना सहित पदच्युत	बरखास्त	सेवा वा अधि-हरण	घोर अ-प्रन्नता	बरी	कार्रवाई चल रही है	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ब्रिगेडियर	—	—	1	—	—	—	—	1
2.	कर्नल	—	1	—	—	—	—	1	2
3	लैफ्टि० कर्नल	—	—	1	1	—	2	2	6
4.	मैजर	1	1	4	2	1	1	12	22
5.	कैप्टन	—	3	4	—	3	1	7	18
6.	लैफ्टि०	—	1	—	1	—	1	2	5
7.	2/लैफ्टि०	—	—	2	—	—	1	—	3
8.	जे० सी० ओ०	—	—	—	1	—	2	2	5
	जोड़	1	6	12	5	4	8	26	62

आल इण्डिया अलेम्बिक एम्पलाईज फैडरेशन जयपुर से ज्ञापन

7187. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आल इडिया अलेम्बिक एम्लाईज फैडरेशन, सोमानी भवन, स्टेशन रोड, जयपुर से दिनांक 1 सितम्बर, 1973 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें मैसर्स अलेम्बिक कैमिकल वर्कस कम्पनी लिमिटेड, बड़ौदा के विरुद्ध श्रमिक विरोधी प्रक्रियाओं के आरोप लगाए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का विषय विवरण क्या है ; और

(ग) उस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :(क) जी हां।

(ख) और (ग) यह प्रतीत होता है कि आरोप मुख्यतया कम्पनी कार्य विभाग से सरोकार रखते हैं। ज्ञापन की एक प्रति उस विभाग को प्रेषित की गई है।

अन्दमान और निकोबार नौसेना प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों द्वारा एसोशिएशन बनाया जाना

7188. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री के० एन० राव } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार के नौसेना प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों को 1965 से कोई ऐसोसिएशन या यूनियन बनाने अथवा उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है जबकि अन्य सभी कर्मचारियों को ऐसा करने की अनुमति है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : **(क) और (ख)** जी नहीं श्रीमन्। 1962 में राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान नौसेना के असैनिक कर्मचारियों को अनुशासन के प्रयोजन के लिए नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन रखा गया था, परन्तु बाद में 1965 में जारी किए गये आदेशों के अधीन उन्हें ट्रेड यनियन/संघ बनाने अथवा उनमें सम्मिलित होने की अनमति दे दी गई थी। तथापि, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और अस्पतालों और नौसेना प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को इन प्रतिष्ठानों की विशेष और मर्म स्थिति के कारण ट्रेड यूनियन/संघ बनाने अथवा उनमें सम्मिलित होने के लिए ऐसी अनुमति नहीं दी गई थी। ये व्यवस्थाएं लागू हैं।

केन्द्रीय नागरिक परिषद् द्वारा नकली औषधियों के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव

7189. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नागरिक परिषद् की खाद्यान्न तथा औषध अपमिश्रण विषयक सलाहकार परिषद् ने जिसकी अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, 30 अगस्त, 1973 को बैठक की थी और क्या उसने नकली औषधियों की बुराई का सामना करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं : और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) यह बैठक श्री गुलजारी लाल नन्दा की अध्यक्षता में हुई।

(ख) और (ग) इस बैठक में दिए गए सुझावों और की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिय गये सुझाव	की गई कार्यवाई
1	2
दवाइयां	
1. जिन स्थानों और मकानों में नकली दवाइयां बनाई जाती हैं उन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए राज्य के सी० आई० डी० में एक गुप्तचर कक्ष की स्थापना की जाए।	(1) और (2) राज्यों से यह बार-बार कहा गया है कि वे गुप्तचर-सह कानूनी प्रभागों की स्थापना कर पुलिस के साथ पूरा सहयोग करके नकली दवाइयों का पता लगायें और पूर्णकालिक औषधि नियंत्रण तथा पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त निरीक्षकों को आकर्षक वेतन-मान देकर नियुक्त करके औषधि नियंत्रण संगठन का काम सुचारु रूप से चलायें।
2. प्रवर्तन मशीनरी को अधिक प्रभाव-कारी बनाने के लिये उसे और सशक्त किया जाए	
3. नकली दवाइयों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनाम दिये जाएं।	(3) महाराष्ट्र जैसे कुछेक राज्यों में सूचना देने वालों को नकद इनामों की मंजूरी देने की योजनाएं पहले से ही हैं। अन्य राज्यों के औषधि नियंत्रक प्राधिकारियों को भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने की सलाह दी गई है।
4. पुराने पात्रों को इस प्रकार तोड़ फोड़ या खराब किया जाए कि वे नकली दवाइयों के लिए इस्तेमाल के योग्य न रहें।	(4) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो जनता की जानकारी के लिए ऐसे दस्ती इश्तहार तैयार करने पर विचार कर रहा है जिसमें इस बात का भी उल्लेख रहेगा।

1	2
5. छोटे छोटे लाइसेंस शुदा दवाई निर्माताओं की जगहों का बार-बार निरीक्षण किया जाए ।	(5) राज्य के औषधि नियंत्रक प्राधिकारी छोटे-छोटे दवा निर्माताओं पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं । जोनल कार्यालयों से सम्बद्ध केन्द्रीय औषधि निरीक्षक भी जीवन रक्षी दवाएं जैसे एण्टीवायटिक ट्रान्सफ्यूशन सोलूशन, नेत्र सोलूशन आदि बनाने वाली छोटी छोटी फर्मों का बार-बार निरीक्षण करने में उनकी सहायता कर रहे हैं ।
6. चिकित्सकों द्वारा चलाये जा रहे औषधालयों का निरीक्षण किया जाए ।	(6) इस बात को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के ध्यान में लाया गया है जहां से इस प्रकार के घोटालों की सूचना मिली है तथा औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है ।
7. चिकित्सकों को यह सलाह दी जाए कि वे अपनी दुकानों पर आने वाले एजेंटों से दवाइयां खरीदते समय सचेत रहें ।	(7) इण्यिडन मेडिकल एसोशिएशन को इससे पहले भी यह सलाह दी गई थी कि वे अपने सदस्यों को हिदायत कर दें कि वे केवल प्रतिष्ठित कैमिस्टों से ही दवाइयां खरीदा करें । फिर भी, इण्डियन मेडिकल एसोशिएशन और अन्य व्यावसायिक संघों को इस विषय में एक और पत्र भेज दिया गया है।
8. जब कभी भी चिकित्सकों को किसी दवाई की शुद्धता पर सन्देह हो तब उन्हें उसकी सूचना तुरन्त दे देनी चाहिए ।	(8) नागारिकों को केन्द्रीय परिषद् को भेजे गए इस मंत्रालय के नोट में इस एक एहतियाती उपाय का भी उल्लेख किया गया है । यह पता चला है कि यह परिषद् जनता के मार्ग दर्शन के लिए एक पैम्फलेट निकाल रही है ।
9. अप्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रैक्टिस करने से रोका जाए ।	(9) गैर-पंजीकृत चिकित्सकों की प्रैक्टिस को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम द्वारा विनियमित किया गया है ।

1	2
10. दवाइयों के वे सरकारी भण्डार और बड़े-बड़े अस्पताल जो प्रचुर मात्रा में दवाइयां खरीदते हैं उनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाए ।	(10) राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों को ऐसे निरीक्षण बार-बार करने के लिए कह दिया गया है । जोनेल कार्यालयों से सम्बद्ध केन्द्रीय औषधि निरीक्षकों द्वारा भी निरीक्षण किए जाते हैं ।
11. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत नकली दवाइयों के अपराधों में दी जाने वाली सजा को और अधिक कड़ी बना दिया जाए ।	(11) नकली दवाइयों को बनाने और बेचने के अपराध दण्डनीय हैं जिसमें कम से कम एक वर्ष कैद की सजा है जो बढ़ा कर 10 वर्ष तक की जा सकती है और साथ ही अपराधी पर जुर्माना भी किया जा सकता है । पता चला है कि नागरिकों की केन्द्रीय परिषद् की कानूनी उप-समिति ने इस अधिनियम में संशोधन करने के कुछ सुझाव दिए हैं जिन पर नागरिकों की केन्द्रीय परिषद् विचार कर रही है ।

पांचवीं योजना अवधि के बाद ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता

7190. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना अवधि के बाद देश में कुल कितने ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) उस समय ट्रांसफार्मरों की मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं योजना अवधि के पश्चात् ट्रांसफार्मरों की होने वाली मांग का अभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । पांचवीं योजना अवधि के बाद ट्रांसफार्मरों की मांग छठी योजना अवधि में बिजली उत्पादन का विस्तार करने और पांचवीं योजना अवधि में उत्पादन की जाने वाली क्षमताओं पर निर्भर रहेगी । छठी योजना अवधि के लिये ट्रांसफार्मरों की मांग का विस्तृत मूल्यांकन पांचवीं योजना के अन्त में किया जायेगा और उसी समय आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के लिए कदम उठाये जायेंगे ।

ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के लिए स्थल का चयन

7191. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ट्रांसफार्मरों के निर्माण हेतु उचित स्थल चयन की जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अन्ततः कौन-सा स्थल चुना है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल में किन्हीं स्थलों की जांच की गई थी ; यदि हां, तो उन स्थलों के नाम क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने तकनीकी-आर्थिक आधार पर जिसमें भोपाल एकक के निकट होने और अब स्थापना संबंधी सुविधाएं जैसे जल, परिवहन और कुशल श्रमिक भी सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश में झांसी के निकट स्थल का चयन किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ट्रांसफार्मर कारखाने के लिए स्थल के चयन का मुख्य उद्देश्य भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के भोपाल स्थित एकक से थोड़ी दूरी पर होना था इस एकक से आवश्यक इंजीनियरी और तकनीकी सहायता प्राप्त करने में सुविधा हो, जहां पहले से ही विभिन्न श्रेणियों के ट्रांसफार्मरों का निर्माण हो रहा है ? पश्चिम बंगाल में किसी भी स्थल पर इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध न होतीं।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का उत्पादन

7192. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का संयंत्र-वार उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसकी क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रूप रेखा संयंत्र-वार क्या है ; और

(घ) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कोई राज सहायता दी गई है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का संयंत्र-वार उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

	1971-72	1972-73	1973-74 (अनुमानित)
भोपाल	42.43	56.76	77.0
हरद्वार	13.10	23.10	44.0
हैदराबाद	16.20	21.52	45.1
तिरुचि	33.60	43.09	65.0
	105.33	144.47	231.1
अन्तर एकक स्थानान्तरण को निकालने के पश्चात् योग	103	141	228

(**ख**) **और** (**ग**) चौथी और पांचवीं योजना की अवधि में योजना प्रस्तावों के भाग के रूप में निम्नलिखित मुख्य विस्तार योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं :—

(1) तिरुचि एकक का विस्तार ; इसकी निर्माण क्षमता 750 मेगावा० से बढ़ाकर 2500 मे० वा० तक करके;

(2) सूट ब्लावरों का निर्माण ;

(3) एयर प्रिहीटरों का निर्माण ;

(4) इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों का निर्माण;

(5) हैवी ड्यूटी पंखों का निर्माण ;

(6) बाल्व उत्पादन का विस्तार ;

(7) स्विचगियर निर्माण का विस्तार ;

इनके अतिरिक्त भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड मध्यम श्रेणी के ट्रांसफार्मरों का निर्माण करने के लिए भी झांसी में एक कारखाना भी स्थापित कर रहा है।

(घ) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भोपाल एकक [जोकि पहले हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से थी] को उसके द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज में राहत के तौर पर राजसहायता दी गई थी।

राज सहायता के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

1971-72 कुछ नहीं

1972-73 217 लाख रुपये

1973-74 217 लाख रुपये

पांचवीं योजना में बिहार के पालामऊ जिले में एक नए भारी उद्योग की स्थापना

7193. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं योजना के दौरान बिहार के पालामाऊ जिले में एक नए भारी उद्योग की स्थापना करने पर विचार कर रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बिहार के पालामऊ जिले में सरकारी क्षेत्र में किसी भारी उद्योग के स्थापित करने का इस समय कोई विचार नहीं है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पालामऊ जिले की बाक्साइट खानों में से बाक्साइट निकालना

7194. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालामऊ जिले की बाक्साइट खानों को बाक्साइट निकालने के लिए अल्यूमिनियम उद्योगों को दिया गया था और निर्णय किया गया है कि भविष्य में उस जिले में कोई एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित नहीं किया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 में इन उद्योगों को खानें दिए जाने और उस जिले में एल्यूमिनियिम उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव को रद्द करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) विद्यमान चार एल्यूमिनियम उत्पादकों में से तीन के पास बिहार के रांची पालामऊ क्षेत्र में बौक्साइट का खनन पट्टा है। ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है कि पालामऊ जिले में कोई एल्यूमिनियम कारखाना नहीं लगाया जाएगा

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में फ्लूरोसिस बीमारी

7195. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं कि आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में फ्लूरोसिस नामक बीमारी के कारण हजारों की संख्या में युवा तथा किशोरावस्था वाले लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए हैं ;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि नागार्जुन सागर में बड़ी मात्रा में जल संसाधनों का संचित करने से भूमिगत जल का स्तर ऊंचा हो गया है और इस प्रकार मिट्टी में खारापन बढ़ गया है जिससे पौधे खाद्यानों में बड़ी मात्रा में मोलिविडनम ले लेते हैं; और

(ग) विरुपता (डिफारमिटी) की इस मानव द्वारा पैदा की गई समस्या को हल करने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। मह दावा राष्ट्रीय पोष्ण संस्थान, हैदराबाद, का है जिन्होंने इस पर अध्ययन किया है।

(ग) राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने इस समस्या को सुलझाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है।

वर्ष 1974-75 के दौरान ट्रैक्टरों की मांग तथा उत्पादन

7196. **डा० कर्णी सिंह : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में देश में ट्रैक्टरों की अनुमानित मांग कितनी होगी;

(ख) इस वर्ष के दौरान ट्रैक्टरों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेचे गए अधिकांश ट्रैक्टर अपयक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके पूर्ण उपयोग के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार 1974-75 में 45,000 ट्रैक्टरों की मांग होगी। आशा है कि यह मांग देसी उत्पादन से पर्याप्त रूप से पूरी हो जायेगी।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दवाइयों में मिलावट के मामले

7197. **श्री शंकरराव सावंत : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नकली दवाइयों और दवाइयों में मिलावट करने के संबंध में कितने मुकद्दमें चलाए गए;

(ख) कितने मामलों में दोष सिद्ध हुआ और कितने मामले विमुक्त हुए; और

(ग) इन में से प्रत्येक वर्ष में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के कारण कुल कितनी राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) सचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अफ्रीकी-एशियाई देशों के बारे में लाहौर में हुए इस्लामी सम्मेलन की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

7198. **श्री शंकरराव सावंत : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी में लाहौर में हुए इस्लामी सम्मेलन की अफ्रीकी-एशियाई देशों में और विशेषकर भारत में क्या राजनीतिक प्रतिक्रियायें हुई हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : लाहौर में आयोजित दूसरे इस्लामी शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया विवाद में अरब पक्ष को प्रबल समर्थन मिला था। इसी शिखर सम्मेलन में बंगलादेश और पाकिस्तान ने परस्पर एक-दूसरे को मान्यता प्रदान की थी और इस तरह उपमहाद्वीप में संबंध सामान्य बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया भारत सरकार इन दोनों कदमों का स्वागत करती हैं क्योंकि ये इन दोनों मसलों पर भारत के निरंतर और प्राय: दोहराए गए निश्चय के अनुरूप हैं।

शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों को अपनी-अपनी वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायता देने के तरीकों पर भी विचार किया। जाहिर है कि यह भारत के हित का मामला है।

महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल

7199. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन से सैनिककरण स्कूल चलाए जा रहे हैं।

(ख) इन स्कूलों में प्रवेश पाने की शर्तें क्या हैं तथा विद्यार्थियों से कितनी फीस ली जाती है ;

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौनसे सैनिककरण स्कूलों को रक्षा मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में केवल एक सैनिक स्कूल सतारा, महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है।

(ख) प्रत्येक वर्ष सैनिक स्कूलों में 9 तथा 10 वर्ष की मध्य आयु के लड़कों को अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के द्वारा कक्षा पांच में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश कड़ाई से योग्यतानसार दिया जाता है, केवल सफल अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रवेश उनकी योग्यता सूची में स्थिति पर ध्यान दिए बिना दिया जाता है। 67% स्थानों को प्रत्येक स्कूल में उस राज्य के लड़कों के लिए आरक्षित रखा जाता है जिसमें वह स्कल स्थित है। यदि कोई कमी हो तथा बचे हुए स्थानों की अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लड़कों को पेशकश की जाती है।

सैनिक स्कूल, सतारा में प्रथम वर्ष में कुल प्रभार जिसमें शिक्षा शुल्क, छात्रवास तथा सम्बन्धित व्यय शामिल हैं 2450 रुपये होता है तथा बाद के वर्षों में प्रति वर्ष 2300 रुपये होता है। सतारा सैनिक स्कूल के लगभग 95 प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी छात्रवृत्ति जिससे सम्पूर्ण व्यय केवल जेब खर्च को छोड़कर पूरा हो जाता है। उन माता पिता/अभिभावकों के लड़कों को प्रदान की जाती है जिनकी आय 400 रुपए या उससे कम है। राज्य सरकार के द्वारा माता पिता/अभिभावकों की अधिकतम 1200 रुपए प्रति माह तक आय के आधार पर तीन चौथाई छात्रवृत्ति, आधी छात्रवृत्ति तथा एक चौथाई छात्रवृत्ति भी मंजूर की जाती है। कुछ पूरी छात्रवृत्तियां पूर्णतया प्रवेश परीक्षा में योग्यता सूची या अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लड़कों के लिए उपलब्ध रहती हैं।

रक्षा मंत्रालय के द्वारा सीमित संख्या में सेवारत या सेवानिवृत सैनिकों के लड़कों के लिए भी उपलब्ध की जाती हैं।

(ग) महाराष्ट्र में राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला कोई सैनिक स्कूल नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, श्रीमन्।

विदेश मंत्री का अल्जीयर्स का दौरा

7200. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अल्जीयर्स में हाल ही में हुई तटस्थ देशों के समन्वय ब्यूरो की बैठक में भाग लिया था; और

(ख) वहां पर हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस बैठक में "मध्य-पूर्व तथा फिलिस्तीन से संबद्ध प्रश्न पर एक घोषणा" और "अन्तिम दस्तावेज़" स्वीकार किया गया था। इन दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारत तथा यूरोप में रुके लगभग 500 यूगैन्डा एशियाई लोगों का ब्रिटेन में प्रवेश

7201. **श्री पी० वकटा सुब्बया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की नई लेबर सरकार का विचार भारत उपमहाद्वीप तथा यूरोप में रुके लगभग 500 यूगंडा एशियाई लोगों को, जो अपने संबंधियों के पास ब्रिटेन जाने की प्रतीक्षा में हैं, ब्रिटेन में प्रवेश करने संबंधी अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार को उस ब्यान के बारे में मालूम हुआ है जो यूनाइटेड किंगडम के गृह मंत्री ने 19 मार्च को हाउस आफ़ कामन्स में दिया था और जिसके अनुसार युनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऐसी स्त्रियों के पतियों को यूनाइटेड किंगडम में बसने के लिए प्रवेश की इजाजत देने का निर्णय किया है जिनके पास यूनाइटेड किंगडम के पासपोर्ट हैं और जो निष्कासन के समय खुद तो साधारणतः उगांडा में रहते थे किन्तु जिनकी पत्नियां यूनाइटेड किंगडम में रहती थीं या रहने लगी हैं। 21 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे युवाओं को भी प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय किया गया है, जो विदेशों में पढ़ रहे हैं तथा हाल तक पढ़ते रहे हैं, ताकि वे अपने ऐसी माता या पिता के पास आ सकें जिसके पास यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट है और जो निष्कासन के समय साधारणतः उगांडा का ही निवासी था।

(ग) भारत सरकार इस निर्णय का स्वागत करती है और आशा करती है कि जो परिवार बिखर गए हैं शीघ्र ही पुनः एक हो जाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा आयोग

7202. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापित करने के संबंध में 21 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 234 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन तथा निदेश पद तैयार कर लिए गए हैं; और

(ख) कब तक इसकी घोषणा कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) : यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए पदों का आरक्षण

7203. **श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम दिनांक 9 सितम्बर 1966 के अनुसार गत तीन वर्षों में सेवा मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य

सेवा में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती में कुछ पद रक्षित रखे गए थे;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० ओ० ग्रेड में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक विज्ञापन में पृथक-पृथक सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए कितने पदों का आरक्षण किया गया था;

(घ) प्रत्येक विज्ञापन के आधार पर कितने सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भर्ती किया गया; और

(ङ) अर्हता प्राप्त युद्ध सेवा वाले योग्य आवेदकों के अभाव के कारण प्रत्येक भर्ती में कितने आरक्षित रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) 1971 में संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई 225 पदों की मांग के मुकाबले आयोग ने विज्ञापन संख्या 6 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए आरक्षित 109 पदों को विज्ञापित किया था। इनके अलावा, 1973 में विज्ञापन संख्या 39 में 445 पद विज्ञापित किए गए थे।

(ग) सेवा मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए 1971 में विज्ञापन संख्या 6 में 74 पद और 1973 में विज्ञापन संख्या 39 में 135 पद आराक्षित किए गए थे।

(घ) 1971 में विज्ञापित 74 पदों के मकाबले संघ लोक सेवा आयोग ने 7 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। 1973 में विज्ञापित 445 पदों के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) 1971 में	67 पद
1973 में	अभी तक मालूम नहीं क्योंकि अभी सघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें आनी शेष हैं।

हिन्द महासागर के बारे में अमरीका का नया दृष्टिकोण

7204. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्द महासागर के बारे में अमरीका के नए दृष्टिकोण के संबंध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका ने रूस को हिन्द महासागर को प्रभावरहित क्षेत्र रखने के बारे में संकेत दिया है जो भारत तथा अन्य देशों से इस संबंध में हाल ही में रखे गए प्रस्तावों के अनरूप है; और

(ग) इस संबंध में रूस की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने "न्यू यू० एस० थीसिज ग्रान इंडियन ग्रोशन" नामक शीर्षक से 7 मार्च 1964 की एक प्रेस रिपोर्ट देख ली है।

(ख) सरकार को ग्रमरीका सरकार द्वारा सोवियत संघ को भेजे गए किन्हीं प्रस्तावों की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रशन नहीं उठता।

तेल संकट से पीड़ित विकासशील देशों को राहत देने के लिए अल्जीयर्स में तटस्थ देशों के ब्यूरो में प्रस्ताव

7205. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मार्च, 1974 के तीसरे सप्ताह में ग्रल्जीयर्स में 17 राष्ट्रीय ब्यूरो में तेल संकट से पीड़ित विकासशील देशों को राहत देने के लिए प्रस्ताव रखा था ;

(ख) ग्रन्य किन देशों ने इसका समर्थन किया था; ग्रौर

(ग) तेल निर्यातकर्ता देशों की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या थी ?

विदेश मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ग्रौर **(ख)** तेल संकट से प्रभावित विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के पक्ष में ग्रनेक देशों (जैसे गुयाना, श्रीलका, नेपाल, लायबीरिया, यूगोस्लाविया ग्रौर भारत) ने विचार प्रकट किए।

(ग) ब्यूरो की बैठक में जिसमें तेल निर्यात करने वाले देश कुवैत ग्रौर ग्रल्जियर्स शामिल थे, इस बात पर सहमति हुई कि एकता की भावना से तत्काल गुट-निरपेक्ष देशों के बीच ऐसा सहयोग स्थापित किया जाय ताकि गुट-निरपेक्ष देशों तथा ग्रन्य विकासशील देशों के समान उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किये जा सकें। यह भी तय किया गया कि एक कार्यकारी दल स्थापित किया जाय जिसके सदस्य हों, गुयाना, श्रीलंका, लायबीरिया ग्रौर नेपाल। यह दल पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के गुट-निरपेक्ष सदस्य देशों से बातचीत करे ताकि पेट्रोल-निर्यात करने वाले देशों के संगठन से विचार विमर्श की भूमिका तैयार की जा सके ग्रौर इस प्रकार ग्रनेक गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मुख उत्पन्न कठिनाइयों को हल करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सहयोग की संभावनाग्रों का पता लगाया जा सके।

भारत तथा श्रीलंका के बीच अधिकारी स्तर पर वार्ता

7206. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ग्राशय के प्रैस समाचार को देखा है कि श्रीलंका के साथ ग्रधिकारी स्तर पर चर्चा शीघ्र प्रारम्भ होगी ;

(ख) क्या भारतीय तथा श्रीलंका के ग्रधिकारियों की बैठक हाल ही में हुई थी; ग्रौर

(ग) चर्चा किन विषयों पर हुई तथा क्या निर्णय लिए गए विशेषकर कच्चाटिवू द्वीप के संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकर ने 24 मार्च, 1974 को इस आशय की एक प्रैस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) और (ग) भारत और श्रीलंका के अधिकारियों की पिछली बैठक श्रीलंका की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हुई थी। जो उन्होंने 22 से 29 जनवरी, 1974 तक की थी और जिसके अंत में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें इस संदर्भ में हुए विचार-विर्शों का और निर्णयों की रूपरेखा बताई गई थी । इस संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति 21 फरवरी, 1974 को सभा पटल पर रखी गई थी । कच्चाटिवू और संबद्ध मामलों के बारे में उसमें यह कहा गया था कि "पाक जलडमरूमध्य और आदम ब्रिज के मध्य में भारत और श्रीलंका के बीच के ऐतिहासिक समुद्र में सीमा के बारे में निकट भविष्य में निर्णय लिया जाएगा" ।

कोयले की चोरबाजारी

7207. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री पी० गंगादेव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि चोर बाजार में बड़े पैमाने पर कोयले का कारोबार होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें यह भी पता है कि देश में और विशेषकर अमृतसर तथा जालन्धर में 'स्टीमकोल' की भारी कमी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) देश के कुछ भागों में कोयले की कमी तथा कुछ बेईमान व्यापारियों द्वारा स्थिति का नाजाइज़ फायदा उठाए जाने की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) हाल ही के महीनों में मुख्यतः रेलवे में बिगड़े हुए औद्योगिक सम्बन्धों के कारण पंजाब को उसके नियत कोटे का कोयला नहीं भेजा जा सका ।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कोयले से तेल निकालने के संबंध में व्यवहार्यता प्रतिवेदन

7208. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड कोयले से तेल निकालने के संबंध में एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करेगा; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जाएगा और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सलेम इस्पात संयंत्र के लिए मशीनरी का आयात

7209. **श्री ए० के० कोत्रा शेट्टी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलेम इस्पात परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये कितने मूल्य की मशीनरी का आयात किया गया है; और

(ख) क्या कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र के लिए भी इसी प्रकार का आयात करने की योजना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सेलम इस्पात प्रायोजना के लिए अभी तक कोई मशीनरी आयात नहीं की गई है।

(ख) विजय नगर इस्पात संयंत्र के लिए उपकरणों के आयात के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायगा जब विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा और इस बारे में फसला कर लिया जाएगा कि कौन से उपकरण देशीय स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

मैसूर बिजली निगम द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिए गए क्रयादेश

7210. **श्री ए० के० कोत्ताशट्टी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर बिजली निगम ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की जैनरेटरों के लिए कितने क्रयादेश दिए;

(ख) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड उनकी सप्लाई निर्धारित समय में कर देगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार इन महत्वपूर्ण जैनरेटरों को आयात की अनुमति देगी?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मैसूर विद्युत निगम से हाईड्रो सेटों के लिये तीन क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। इनमें शारावती के लिये 2 अर्थात नवां और दसवां एकक, कालीनदी परियोजना के बगझरी विद्युत केन्द्र के लिये 6 एकक और सूपा बांध विद्युत केन्द्र के लिये दो एकक भी सम्मिलित हैं;

(ख) शरावती जल परियोजना (एकक सं० 9 और 10) के लिये उपकरणों की डिलीवरी में हुए कुछ विलम्ब को छोड़कर मैसूर विद्युत निगम के संचालन कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए अन्य परियोजनाओं के लिये शीघ्र ही उपकरणों की डिलीवरी हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एमरजेंसी कमीशन से निवृत्त अधिकारियों को विशेष अल्पावधि (शार्ट सर्विस) कमीशन देना

7211. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में एमरजेंसी कमीशन से निवृत्त हुए कितने अधिकारियों को विशेष अल्पावधि (शार्ट सर्विस) कमीशन प्रदान किया गया;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है अथवा दिया जा रहा है; और

(ग) ऐसे अधिकारियों के लिये क्या वैकल्पिक नौकरियों अथवा रोजगार के अवसरों की व्यवस्था की गई है जिन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है और उनकी संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 35

(ख) कोई नहीं । इन अफसरों के मामले में पहले एमरजेंसी कमीशन अफसर के रूप में स्थायी कमीशन के लिये विचार किया गया था और इन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

(ग) इन सभी अफसरों को दो वर्ष की इस विशेष थोड़ी सी सेवा के लिये हरेक को 5,000 रुपये का एक मुश्त सेवा-समाप्ति लाभ दिया गया है । इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय के पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय द्वारा इन्हें सामान्य पुर्नवास सहायता दी जाती है। जहां अफसरों ने सिविल जीवन में पुनर्वास के लिए उपयुक्त प्रबन्ध कर लिया है उनके मामले में सेवा मुक्ति के लिये अनुरोधों को उदारतापूर्वक मान लिया जाता है और अब तक 25 अफसरों को उनके अपने अनुरोध पर सेवामुक्त किया जा चुका है ।

मध्य प्रदेश में फैरो मेंगनीज संयंत्र की स्थापना

7212. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क मिलने की भारी संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार का राज्य में फैरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) जिन क्षेत्रों में मैंगनीज अयस्क निकाला जा रहा है वहां उत्पादन में वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस समय मध्य प्रदेश में फैरो मेंगनीज का एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

(ग) पांचवीं योजना के अन्त तक उच्च ग्रेड के मेंगनीज खनिज की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिये मैंगनीज के परिष्करण, कूपक खोदने तथा विकास, संयंत्र और उपकरणों समन्वेषण आदि पर परिव्यय के लिये प्रस्ताव रखे गये हैं।

आर० एम० डी० सी० प्रैस, बम्बई द्वारा कर्मचारियों को अनियमित भुगतान

7213. **श्री डी० के० पंडा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आर० एम० डी० सी० प्रैस, वोरली एस्टेट, बम्बई-18 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से भुगतान नहीं करता है और उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच करने का विचार है ?

श्रम मंत्री श्री रघुनाथ रेड्डी : (क) और (ख) यह मामला राज्य कार्यक्षेत्र में आता है तथापि, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

परनासी, बेहाला, कलकत्ता में टेनिमेंट्स के स्वामित्व के अधिकार

7214. **श्री इंदरजीत गुप्त : क्या पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जो विस्थापित व्यक्ति हैं तथा जिनका परनासरी, बेहाला में बनाये गए पुनर्वास टेनिमेंट्स पर कब्जा है, को इन टेनिमेंट्स का हस्तांन्तरण करने की बहुत समय से लम्बित योजना अभी क्रियान्वित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्वामित्व के हस्तान्तरण की शर्तों की ओर टेंनीमेंट्स, फ्लैटों के क्रय मूल्य को शीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) उन सरकारी कर्मचारियों को, जो विस्थापित व्यक्ति हैं, तथा जिनका बेहाला टेंनिमेंट्स पर कब्जा है इन टेनीमेंट्स के हस्तांतरण करने से सम्बन्धित शर्तें तथा मूल्य जिस पर हस्तांतरण किया जाना है, सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। आशा है शीघ्र ही आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

सरकार द्वारा बर्न एण्ड कम्पनी को नियंत्रण में लेने के बाद उसका पुनर्गठन

7215. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल ही में बर्न एण्ड कम्पनी और इंडियन स्टेंडर्ड वैगन कम्पनी को अपने नियन्त्रण में लेने के बाद उनके प्रबन्ध, वित्तीय और कार्य संचालन के ढांचे में पुनर्गठन करने के बारे में क्या कार्यवाही की है।

(ख) क्या उनके उत्पादन में कोई विविधीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इन दो कम्पनियों के मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों के विभिन्न कार्मिक संघों/एसोसियेशनों द्वारा प्रबन्धकों को सहयोग देने के प्रस्ताव को प्रोत्साहित नहीं दिया गया है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नीति संबंधी निर्णय लेने और बर्न एण्ड कम्पनी और इंडियन स्टेंडर्ड वैगन कम्पनी के कार्यों की देखभाल करने के लिये एक प्रबन्ध-मण्डल नियुक्त किया गया है। उच्च प्रबन्ध की महत्वपूर्ण जानकारी की रिपोर्ट देने के लिए मुख्यालय में एक प्रबन्ध सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है जिससे प्रबन्धकों द्वारा उपयुक्त समय में सुधारात्मक उपाय किये जा सकते हैं। वित्तीय नियन्त्रण और युक्तिपूर्ण क्रय पद्धति लागू करने के लिये भी कदम उठाये गए हैं। मशीनों और आवश्यक सेवाओं के पुनः स्थापन के लिये एक योजना बनाई जा रही है और इसको शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की आशा है। कार्मिक, उत्पादन और जन-सम्पर्क के संबंधित प्रबन्ध ढांचे में महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने के लिये भी कदम उठाए गए हैं।

(ख) चूंकि कंपनी का अधिग्रहण करने से पहले उत्पादन-स्तर असामान्य रूप से निम्न-स्थिति में आ गया था इसलिए वर्तमान प्रबन्धकों का मुख्य विषय सभी कारखानों की सभी कार्यशालाओं में उत्पादन में वृद्धि करना रहा है, ज्योंही वर्तमान उत्पादन-स्तर बढ़ेगा, विविधीकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

"हिन्डालको" का बन्द होना

7216. **श्री इंद्रजीत गुप्त**
श्री भोगेन्द्र झा } : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरला स्वामित्व 'हिन्डालको' एल्युमिनियम एकक बन्द हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रबन्धकों ने स्टाफ के 1100 सदस्यों के संबंध में इन कर्मचारियों द्वारा 'कलम नीचे रखो' और 'औजार नीचे रखो' आन्दोलन करने पर 11 मार्च, 1974 से, और उन श्रमिकों के सम्बन्ध में, जिन्होंने मजदूरी पुनरीक्षा संबंधी अपनी मांग के समर्थन में आन्दोलन की धमकी दी थी, 10 अप्रैल, 1974 से तालाबन्दी घोषित की। सूचना मिली है कि राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र इस मामले की जांच कर रहा है।

पटसन श्रमिकों के लिए पंचाट

7217. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा दिए गए पंचाट के अनुसार पश्चिम बंगाल पटसन उद्योग में 70,000 श्रमिकों को एक वर्ष में 180 दिन काम मिलेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस पंचाट की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के बदली श्रमिकों को राहत मंजूर करने के बाद-विषय के संबंध में केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय के संबंधित उधारण शामिल हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य में प्रत्येक जूट मिल ऐसे श्रमिकों (स्थायी और विशेष बदली श्रमिकों को छोड़कर) का एक रजिस्टर बनाएगी तथा उसे भरती रहेगी, जिन्होंने 1-5-72 से 30-4-1973 तक की बारह मास की अवधि के दौरान किसी भी दिन किसी विनिर्माण प्रक्रिया या काम की सम्बद्ध और अनुषंगी मद्दों से सम्बन्धित काम किया हो। बाद के वर्षों के लिए भी वैसा ही रजिस्टर तैयार किया जाना चाहिए। रजिस्टर में दर्ज कर्मकारों में से 5-6-1971 की स्थिति के अनुसार मिल में कार्य कर रहे कुल श्रमिकों के 10 प्रतिशत के बराबर श्रमिकों को वर्ष में कम से कम 180 दिनों के काम की गारन्टी होनी चाहिए। 1-5-1974 से उन्हें विशेष बदली श्रमिकों की भांति आनुपातिक आधार पर, अर्जित छुट्टी, नियम और प्रथा के अनुसार त्यौहारी छुट्टी, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लाभ उपलब्ध होंगे। कर्मकारों की इस श्रेणी को "पंजीकृत बदली श्रमिकों" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वे "विशेष बदली श्रमिकों" की सूची में, जब कभी उस श्रेणी में रिक्त स्थान पैदा होंगे, शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे। 1-5-72 से 30-4-73 तक और

1-5-73 से 30-4-74 तक की अवधियों के सम्बन्ध में ऐसे पंजीकृत बदली श्रमिकों को, जिन्होंने उक्त अवधियों में से प्रत्येक में 180 से कम दिन काम किया हो, आर्थिक राहत दी जाएगी जो संबंधित श्रमिकों द्वारा उक्त अवधियों के दौरान अर्जित की गई मजदूरी (मूल मजदूरी+महंगाई भत्ता) के 10 प्रतिशत के बराबर होगी परन्तु इस प्रकार ऐसी किसी श्रमिक को संबंधित अवधियों के दौरान 180 से अधिक दिन के लिए भुगतान नहीं मिलेगा। रजिस्टर में दर्ज शेष श्रमिकों को--(जिनका पदनाम 'बदली' श्रमिक होगा)--जिन्होंने 12 मास की संबंधित अवधि में 60 और 179 दिनों के बीच तक की अवधि के लिए काम किया हो, हर वर्ष ऐसी आर्थिक राहत मिलेगी जो किसी संबंधित कर्मकार द्वारा उक्त अवधि में अर्जित मजूरी (मूल मजूरी+महंगाई भत्ता) के 10 प्रतिशत के बराबर होगी परन्तु इस प्रकार ऐसे किसी भी श्रमिक को 12 महीनों की संबंधित अवधि में 180 से अधिक दिनों के लिए भुगतान प्राप्त नहीं होगा। 1-5-72 से 30-4-73 तक की अवधि के लिए 31 मई, 1974 से पहले पहले और बाद के वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष की 30 जून से पहले पहले भुगतान किया जायेगा।

दिसम्बर, 1970 के समझौते के पैरा 3 (3) में यह व्यवस्था है कि यह लाभ 1-12-70 से भूतलक्षी प्रभाव से दिया जाएगा। चूंकि 5 मई, 1972 के समझौते से स्थायित्व सम्बन्धी परिस्थिति पर्याप्त रूप से बदल गई, इसलिए मैं यह न्यायपूर्ण एवं उचित समझता हूं कि इस पंचाट को मई, 1972 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जाए।

इस निर्णय से पैदा होने वाले सभी मामलों के बारे में मांगे जाने वाले स्पष्टीकरणों को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को सम्बोधित किया जाएगा। इस पंचाट के कार्यान्वयन से या कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।

Expert Committee to go Into Service Conditions of Industrial and Civilian Employees of Defence Department

7218. Shri Atal Behari Vajpayee
Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether an expert committee has been constituted to go into the scales of pay, duties and conditions of services of industrial and civil employees in the Defence Department; and

(b) if so, the names of the members of the said Committee as also its terms of reference and tenure?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik) : (a) and (b) As recommended by the Third Pay Commission, an "Expert Committee" is being set up with the following terms of reference and composition :—

Terms of reference

(*a*) To study and evaluate the job content of all Workshop posts—Industrial, Non-industrial including Non-gazetted posts—and Scientific posts carrying similar responsibilities in various Defence Establishments, including the Army, Navy and Air Force.

(*b*) To correlate the evaluation as a result of the above study to suitable grades laid down by the Third Pay Commission in respect of the various posts mentioned above.

(*c*) To consider whether as a result of the study as at (a) above, the introduction of any new trade/grade within the relevant framework of the pay scales as recommended by the Third Pay Commission is necessary.

(*d*) To recommend whether two or more posts which are found to be more or less similar in duties and responsibilities can be amalgamated.

Composition

Chairman—A serving or retired Judge.

Members :

Official Side

(*i*) Representative of the Deptt. of Defence Production.

(*ii*) Representative of Army, Navy and Air Force.

(*iii*) Representative of Ministry of Finance (Defence)

Staff Side

(*i*) Representative of the All India Defence Employees Federation;

(*ii*) Representative of the Indian National Defence Workers Federation.

The appointment of the Chairman and the nominations of the representatives are being finalised.

The Committee is expected to complete its work within one year from the date of its constitution.

Telephone Connections to the Dependents of Martyrs

7219. Shri Atal Behari Vajpayee }
Shri Jagannathrao Joshi } ; Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether discriminatory attitude is being adopted in matters of providing facilities to the dependents of soldiers killed in different wars;

(b) whether the dependents of those killed in 1971 Indo-Pak war are being given telephone connections but the dependents of those killed in 1965 or 1962 wars are being denied this facility;

(c) the other facilities in matters of which discrimination is being made; and

(d) the basis of Government policy and the guidelines laid down in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik) : (a) to (b) The policy of Government is generally not to make any distinction in the grant of facilities to dependents of those killed in the recent and previous wars—especially in pensionary benefits nevertheless, these facilities having been sanctioned as and when the occasion arose have differed from one war to the other; but the matter has been constantly under review and the difference have been removed to the maximum extent possible. However, certain miner differences which still exists in respeet of educational concessions and telephone facilities are detailed in the attached statement.

Statements

(i) *Telephone connections*

Telephone connections are provided on a priority basis without OWN YOUR TELEPHONE deposits to dependents of officers and jawans killed in the recent war, at the discretion of the Heads of Circles of P&T Department.

(ii) *Educational concessions*

Government have sanctioned the following educational concessions to all children of officers and jawans killed or disabled in action during the recent hostilities who are studying or admitted to educational institutions under the Department of Education or financed by the Department of Education.

(1) Complete exemption from tuition and other fees levied by educational institutions concerned;

(2) Grants to meet hostel charges in full for those studying in boarding schools and colleges;

(3) Full cost of books and stationery; and

(4) Full cost of uniform where this is compulsory.

बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में कोयला गैस संयंत्रों की स्थापना

7220. **श्री यमुना प्रसाद मंडल**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में कोयला गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

बढ़ा हुआ खनिज उत्पादन

7221. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राज्यों के खनिज उत्पादन में वृद्धि हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश का अंश क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारत में उत्पादित खनिजों का कुल मूल्य 1972 में 480.77 लाख रुपये था जो 1973 में बढ़कर 488.70 लाख रुपये हो गया।

(ख) अखिल भारतीय खनिज उत्पादन मूल्य में मध्य प्रदेश का हिस्सा 1973 में लगभग 16 प्रतिशत था।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के नियोजकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न किया जाना

7224. **श्री मधु दंडवते** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के नियोजकों ने लगभग 20 करोड़ रुपये की भविष्य निधि अंशदान की राशि जमा करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या भविष्य निधि प्राधिकारी इन अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा भविष्य निधि के अंशदानों का भुगतान न करने पर निम्न प्रकार की कार्यवाही की जाती है :—

(i) समुचित मामलों में, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन चलाए जाते हैं।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्यवाहियां आरम्भ की जाती हैं।

(iii) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस/न्यायालयों के पास शिकायतें दायर की जाती हैं।

(iv) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अन्तर्गत दंडनीय हरजाने लगाए जाते हैं।

(v) कुछ मामलों में, पर्याप्त गारंटी, जमानत आदि देने की शर्त पर, प्रतिष्ठानों को उचित किस्तों में देय राशियों का भुगतान करने का मौका प्रदान किया जाता है।

(vi) उन कपड़ा मिलों के मामलों में, जो कि दिवालिया हो गई हैं, उनके द्वारा विर्मित की गई पुर्ननिर्माण सम्बन्धी योजनाओं की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है।

(vii) चूंकि कर्मचारियों के और नियोजकों के संगठनों, जिन में ट्रेड यूनियनें शामिल हैं, के ध्यान में लाया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को 1-11-1973 से संशोधित किया गया है, जिस से दंडनीय उपबन्धों को अधिक कठोर बना दिया गया है।

त्रिपक्षीय फोरम से पृथक भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता

7225. **श्री मधु दंडवते :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने त्रिपक्षीय फ़ोरम से पृथक, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रायलय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं; परन्तु त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान पाकिस्तान के रक्षा और विदेश राज्य मंत्री की नई दिल्ली में उपस्थिति का आपसी सहमति से भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मामलों पर विचार करने के लिए सदुपयोग किया गया। 1971 से संघर्ष के पूर्व से दोनों में से किसी भी देश

में नजरबन्द व्यक्तियों के देश-प्रत्यावर्तन के लिए एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गई जिसमें कहा गया कि शिमला-करार के पैरा 3 में वर्णित सामान्यीकरण के उपायों को लागू करने के लिए प्रगामी कदम उठाए जाएंगे और शीघ्र ही डाक और दूर-संचार संबंधों को पुनः शुरू करने और यात्रा-सुविधाओं को फिर से जारी करने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।

रत्नगिरि के एल्यूमिनियम परियोजना द्वारा की गई प्रगति

7226. **श्री मधु दंडवते :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में रत्नगिरि के सरकारी क्षेत्र की एल्यूमिनियम परियोजना ने कितनी प्रगति की है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना के लागत अनुमानों को स्वीकार कर लिया गया है। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा इस परियोजना को चालू करने के बारे में सरकार द्वारा शीघ्र विधिवत् अनुमोदन दे दिया जाएगा।

इस बीच भारत एल्यूमिनियम कम्पनी और महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित कामों के बारे में आवश्यक प्रारम्भिक उपाय कर लिए हैं:—

(क) परियोजना के लिए भूमि-अधिग्रहण;

(ख) जल और बिजली की व्यवस्था;

(ग) बम्बई-रत्नगिरि तथा कोल्हापुर-रत्नगिरि सड़कों का विकास;

(घ) बौक्साइट खनन पट्टों की प्राप्ति; और

(ङ) मृदा-समन्वेषण।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हंगरी की एक फर्म के साथ पहले ही समझौता किया जा चुका है।

औद्योगिक शांति तथा सुरक्षा

7227. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के लिए प्रबन्ध किये हैं;

(ख) क्या हड़ताल, तालाबन्दी, तोड़-फोड़ अथवा किसी प्रकार के उकसाने के बारे में प्रचार न करने के लिए प्रशिक्षण देने की सरकार की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) श्रमिक शिक्षा का एक देशव्यापी कार्यक्रम 1958 से पहले ही चल रहा है। इस योजना का ध्येय अन्य बातों के साथ-साथ, श्रमिकों में उनके आर्थिक वातावरण की समस्यायों, और यूनियन के सदस्यों तथा पदाधिकारयों एवं नागरिकों के रूप में उनके विशेषाधिकारों और दायित्वों को समझने के ज्ञान को बढ़ाना है। औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी व्यापक विधान में जो कि अभी विचाराधीन है, श्रमिक-वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देने और उन्हें हल करने के लिए संस्थात्मक व्यवस्थाएं करने का लक्ष्य है।

हिन्द महासागर में शान्ति बनाए रखने के लिए अल्जीयर्स सम्मेलन में लिये गये निर्णय

7228. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली**
श्री निहार लास्कर } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अल्जीयर्स में आयोजित विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में विकासशील देशों की समस्याएं तथा हिन्द महासागर में शांति बनाय रखने के बारे में चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) क्या हिन्द महासागर में अमरीकी गतिविधियों के विरुद्ध लोक मत बनाने के संबंध में कोई निर्णय किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दीगो गार्सिया में आंग्ल-अमरीकी अड्डा विकसित करने के निर्णय पर चिन्ता प्रकट करते हुए बैठक ने यह निर्णय लिया कि गुट-निरपेक्ष देशों को संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्यत्र भी इस बात की ओर अधिक कोशिश करनी चाहिए कि सम्बद्ध शक्तियों को इस कार्रवाई से रोका जा सके। बैठक ने गुट-निरपेक्ष तथा विकासशील देशों द्वारा अपने आर्थिक विकास के हित के लिए निजी राष्ट्रीय स्रोतों को अधिकाधिक प्रभावी ढंग से जुटाने पर भी ध्यान दिया। उस बात को भी स्वीकार किया गया कि गुट-निरपेक्ष और दूसरे विकासशील देशों को सहायता देने के उद्देश्य से, एकता की भावना के साथ, शीघ्र सभी संभव उपाय खोजने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि ये देश उन तात्कालिक समस्याओं से निपट सकें जो तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण उत्पन्न हो गई हैं।

(अल्जीयर्स में गुट-निरपेक्ष देशों की समन्वय समिति की बैठक द्वारा स्वीकृत दस्तावेजों के मूल पाठ सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।)

दिल्ली में मच्छरों का उन्मूलन

7229. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली**
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मच्छरों से खतरा बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप कठिनाइयां हो रही हैं और मलेरिया का व्यापक प्रकोप है; और

(ख) यदि हां, तो मच्छरों के उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) वर्ष के इन दिनों में कुछ हद तक मच्छरों का आतंक सदा बढ़ ही जाता है क्योंकि यह मौसम कुछ ऐसा होता है जब मच्छर पैदा हो ही जाते हैं। जनवरी से मार्च, 1974 के दौरान जहां मलेरिया के 120 पोजेटिव रोगियों का पता चला वहां 1973 में इसी अवधि में इससे 37 व्यक्ति पीड़ित हुए थे।

(ख) इस समय मच्छरों को समाप्त करना न तो सम्भव ही है और न फिलहाल ऐसी कोई योजना ही है । लार्वा-निरोधी उपायों द्वारा मच्छरों पर काबू पाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में ये उपाय बरते जा रहे हैं।

हिन्द महासागर के बारे में सोवियत संघ का दृष्टिकोण

7230. **श्री पी० गंगा देव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि महासागर के बारे में सोवियत संघ का दृष्टिकोण तनाव शैथिल्य से सम्बद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने कहा है कि खुले समुद्र का प्रयोग कोई भी देश कर सकता है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसके अनुसार सोवियत विदेश उपमंत्री श्री फिरूबीन ने 7 मार्च, 1974 को जकार्ता में कहा था कि उनके देश ने हिन्द महासागर को एक ऐसे खुले समुद्र के रूप में देखा है जहां सभी देशों के जहाज स्वतंत्रता से आ-जा सकते हैं। परन्तु, इस प्रेस रिपोर्ट में हिन्द महासागर पर सोवियत संघ से सरकार की नीति का सम्बन्ध राजनीतिक तनाव दूर करने के प्रश्न से जोड़ने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

(ग) सरकार खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करती है।

एशियाई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में एशियाई क्षेत्रीय परामर्शदात्री बैठक द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज

7231. **श्री राजदेव सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन की एशियाई क्षेत्रीय परामर्शदात्री बैठक ने एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें एशियाई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सिद्धातं प्रतिपादित किए गए हैं;

(ख) क्या भारत और सोवियत संघ सहित एशिया के आठ देशों द्वारा तैयार किया गया उक्त दस्तावेज अफ्रीका-एशियाई एकता सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसकी पुष्टि कर दी गई है; और

(ग) उक्त दस्तावेज या व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन की बैठकों में भाग नहीं लेती, इसलिए संगठन की बैठकों में तैयार अथवा स्वीकार किये जाने वाले दस्तावेजों पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती।

ट्रैक्टरों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता

7232. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश ने ट्रैक्टरों के उत्पादन में सफलता प्राप्त कर ली है और वर्ष 1974-75 में उनका आयात बन्द कर दिया जायेगा ; और

(ख) क्या सरकार नये उद्यम-कर्त्ताओं को आशय-पत्र और लाइसेंस निरन्तर दे रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। देश में ट्रैक्टरों की मांग देशी उत्पादन द्वारा पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकती है।

(ख) जी, नहीं। फिर भी देशी जानकारी और डिजाईन पर अथवा ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे विद्यमान एककों को उप लाइसेंस देकर ट्रैक्टरों के निर्माण के प्रस्ताव पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

विदेशी आग्नेय शस्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध

7233. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 से विदेशी आग्नेय शस्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इनकी कीमत कई गुना बढ़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध को हटाने में क्या कठिनाइयां हैं और इस प्रकार इन बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) वाणिज्यिक आग्नेय शस्त्रों को आयात पर 1957 से प्रतिबन्ध है, केवल 1971-72 के दौरान प्रतिबन्ध को एक वर्ष के लिए ·32 पिस्तौल तथा रिवाल्वर के मामले में शिथिल कर दिया गया था।

(ख) तथा (ग) आयात किए जाने वाले आग्नेय शस्त्रों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा को कठिन स्थिति के कारण तथा मद के अनिवार्य प्रकार के न होने के कारण प्रतिबन्ध को हटाने का प्रश्न नहीं उठता है। भारतीय आर्डनेंनस कारखाने, तथापि एक परास के शिकार खेलने के शस्त्रों को सिविलियन बाजार में प्रतियोगी मूल्यों पर बेचने के लिए निर्माण कर रहे हैं।

Shortage of Maternity Hospitals in the Country

7234. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether maternity hospitals are in an inadequate number in the country;

(b) whether thousands of pregnant ladies die due to this; and

(c) if so, the steps being taken by the Government to ensure that ladies get best medical treatment in rural areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) There is a general shortage of hospitals in the country.

(b) No.

(c) Under the minimum needs programme one Primary Health Centre out of every four Blocks is proposed to be upgraded to a 30 bedded rural Hospital during the Fifth Five Year Plan for providing routine common specialised services including Obstetrics/Gynaecology.

Persons Died of Heart Attack in the Country

7235. Shri Mahadeepk Singh Shakya : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether the number of persons who died of heart attack in the country has gone up in 1973-74 compared to the previous year 1972-73;

(b) whether his Ministry have not paid any attention to this fact; and

(c) the State-wise number of deaths occurred due to heart attack and the steps taken to fight this disease?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) to (c) The cardio-vascular diseases are not notifiable and as such there is no registration of death due to heart diseases. In most of the teaching hospitals arrangements for treatment of patients suffering from heart diseases are available. These arrangements will be strengthened depending upon availability of resources.

पुराने जहाजों/विमानों से इस्पात तैयार करना

7236. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने जहाजों/विमानों से इस्पात तैयार कर निर्यात करने की सरकार की योजना है ;

(ख) क्या इसके लिए पुराने जहाज/विमान खरीदे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने और कहां से ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की सरकारी क्षेत्रों में नियुक्ति

7237. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्रों में नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उस व्यक्ति को एस० ए० आई० एल० में पर्सोनेल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है जो हिन्दुस्तान स्टील में प्रबन्धक था ;

(घ) यदि हां, तो उक्त नियुक्ति किस आधार पर की गई ; और

(ङ) क्या हिन्दुस्तान स्टील में उनके कार्यकाल के दौरान श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच मतभेद और बढ़ा था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन कुछ सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर कुछ ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं जो पहले गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में काम कर रहे थे।

(ख) सरकार की नीति यह है कि सरकारी उपक्रमों के उच्च पदों के लिए ऐसे व्यक्ति लिए जाने चाहिए जो औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा वित्तीय प्रबन्ध के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध हों और ऐसे उपयुक्त व्यक्ति सभी सम्भव स्रोतों से लिये जाने चाहिए।

(ग) स्टील आथरिटी आफ इण्डिया लि० के वर्तमान कार्मिक निदेशक पहले हिन्दुस्तान स्टील लि० में कार्मिक निदेशक के पद पर काम कर रहे थे।

(घ) उनकी नियुक्ति, उनकी अर्हताओं, अनुभव और उपयुक्तता के आधार पर की गई थी।

(ङ) जी, नहीं।

बिजली कर्मचारियों के लिए मजुरी सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त समिति में गतिरोध

7238. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत समिति में अपनी मांगों पर गतिरोध पैदा हो जाने पर समस्त देश के बिजली कर्मचारी एक संयुक्त आम हड़ताल की ओर अग्रसर हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने तथा प्रस्तावित हड़ताल रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) अखबारों में छपे समाचारों के अनुसार, यदि विद्युत् मजूरी मार्ग-दर्शी सिद्धांत समिति मजूरी-दरों के प्रश्न के बारे में किसी स्वीकार्य निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ रहती है तो श्रमिकों का हड़ताल पर चले जाने का विचार है।

पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों तथा उसके द्वारा किए गए वायु तथा स्थल सीमा उल्लंघन

7239. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री नारायण चन्द पराशर } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन महीनों में भारत की सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं ;

(ख) इसी अवधि में पाकिस्तानी सेना ने कितने स्थल सीमा तथा वायु उल्लंघन किए हैं और कलैण्डर वर्ष 1973 की पिछली तिमाही के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उपरोक्त दो तिमाहियों में महीनेवार, सेना में कुल कितने जन तथा माल की हानि हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सेना की असाधारण गतिविधियां ध्यान में नहीं आई हैं।

(ख) जनवरी से मार्च 1974 तक तथा 1973 की पिछली तिमाही में भूमि तथा वायु उल्लंघन निम्नलिखित हुए हैं :—

	भूमि उल्लंघन	वायु उल्लंघन
जनवरी-मार्च 1974	35	3
अक्तूबर-दिसम्बर 1973	14	3

(ग) इस अवधि के दौरान मार्च, 1974 में इन उल्लंघनों के कारण दो अन्य रैंकों की जानें गई हैं, सेना की कोई माल की हानि नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल में स्कूटर कारखाने की स्थापना

7240. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत-सी फर्मों ने पश्चिम बंगाल में स्कूटर कारखाने स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फर्मों ने आवेदन किया था, परन्तु जिन्हें लाइसेंस नहीं मिले हैं तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या हाल ही में कोई आशय पत्र जारी किया गया है, यदि हां, तो कितनी क्षमता का तथा उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में स्कूटरों का निर्माण करने के लिये केवल दो पार्टियों ने औद्योगिक लाइसेंसों हेतु आवेदन पत्र दिये हैं ; उन दोनों को स्कूटरों के निर्माण के लिये आशय पत्र जारी कर दिये गये थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने जिसे दिनांक 1 मार्च 1973 को पश्चिम बंगाल राज्य में प्रतिवर्ष 30,000 स्कूटरों का निर्माण करने की क्षमता के आशय-पत्र जारी किया गया था, ने दिनांक 4-2-1974 को लम्ब्रेटा स्कूटरों का निर्माण करने के लिए मै० स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के साथ लाइसेंसिंग करार किया है। अभी ठीक-ठीक यह बताना संभव नहीं है कि वे कब तक उत्पादन आरम्भ कर सकेंगे।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्ध ढांचे का पुनर्गठन

7241. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबंध ढांचे का पुनर्गठन करने के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का, वस्तुवार उत्पादन क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का गत तीन वर्षों का मद-वार उत्पादन निम्न प्रकार हैं :—

(लाख रुपये में)

मद	1971-72	1972-73	1973-74
		(अनुमानित)	
मशीनी औजार	1933	1899	2293
घड़ियां	460	450	607
ट्रैक्टर	289	589	829
डाई कास्टिंग मशीनें	53	82	78
प्रेसें	126	78	127
मुद्रण मशीनें	—	25	53
स्लाईडिंग हेड स्टाक आटोमटिक्स	—	—	21
योग	2861	3123	4008

कैंसर रोग के लिए अलारम बैल

7242. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 मार्च, 1974 को समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार को पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि फ्लोरिडा में वैज्ञानिकों ने कैंसर के लिये "अलारम बैल" निकाली है जिससे रोग को निश्चत रूप से समाप्त करने में सहायता मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुसंधान की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) और (ख) जी हां। "अलारम बेल" के बारे में प्रेस रिपोर्ट में जो कुछ दिया गया है उसके अलावा अनुसंधान के संबंध में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भारी उद्योगों के लिये चौथी योजना में धनराशि का नियतन

7243. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से संबंधित योजनाओं तथा परियोजनाओं के बारे में चौथी योजना की अवधि में कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ;

(ख) चौथी योजनावधि के अन्त तक प्रत्येक योजना पर कितना खर्च किया गया है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के बारे में हुए व्यय की कमी अथवा बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6742/74**]

स्वनियोजित शिक्षित ड्राइवरों के लिये कारों तथा आटो-रिक्शाओं के टैक्सी कोटे का निर्धारण

7244. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को स्वनियोजित मैट्रिकुलेट ड्राइवरों तथा तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के पक्ष में कारों तथा आटोरिक्शाओं के अपने टैक्सी कोटे का न्यूनतम 20 प्रतिशत निर्धारित करने के लिये सलाह दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों द्वारा पश्चिमी बंगाल के विशेष सन्दर्भ में, इस बारे में की गई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कार और तीन पहिए वाले स्कूटरों के उत्पादन का लगभग एक-तिहाई भाग क्रमशः टैक्सी व्यापार और स्वचालित रिक्शाओं के रूप में उपयोग के लिये आरक्षित कर दिया गया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस कोटे में से कम से कम 20 प्रतिशत का निर्धारण स्वनियोजित मैट्रिक पास ड्राइवरों और तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिये करें। राज्य सरकारों से प्राप्त विवरणियों के अनुसार यह पता चलता है कि टैक्सी कोटे और आटो-रिक्शाओं के कोटे का उपयोग संतोषजनक रहा है। स्वनियोजित मैट्रिक पास ड्राइवरों और तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को दिये गये इन आबंटनों का ठीक-ठीक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी भेजने के लिए कहा गया है।

कच्चातीवू समझौते पर श्रीलंका के मंत्री का कथित वक्तव्य

7245. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कच्चातीवू श्रीलंका के पास जा सकता है जैसा कि श्रीलंका के मंत्री ने कहा है और यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(ख) क्या श्रीलंका के मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में समझौता भी हो चुका हैं, और

(ग) क्या उसके बाद सरकार ने उक्त वक्तव्य का खण्डन किया है और इस समय वास्तविक स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने 24 मार्च, 1974 के प्रैस में इस आशय की एक रिपोर्ट देखी है। लेकिन श्री लंका सरकार ने इस बात का खण्डन किया है कि उनके रक्षा और विदेश उपमंत्री ने यह कहा था कि कच्चाद्वीप के संबंध में एक समझौता पहले ही हो चुका है हालांकि कच्चाद्वीप से सम्बद्ध बातचीत की अब तक की प्रगति पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया था। यही वर्तमान स्थिति का का द्योतक है।

परिवार नियोजन विभाग के पुनर्गठन करने का प्रस्ताव

7246. **श्री राम सहाय पांडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही परिवार नियोजन विभाग का पुनर्गठन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) जी हां। परिवार नियोजन विभाग के पुनर्गठन की रूपरेखा इस प्रकार की होगी जिससे इसकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो और खर्च में यथासम्भव सीमा तक कमी हो सके।

सेवा मुख्यालयों के कार्यालयों में गराजों का आवंटन

7247. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा मुख्यालयों के कार्यालयों में गराजों का आबंटन पद के अनुसार किया जाता है ; और

(ख) क्या यह उस रीति के विरुद्ध नहीं है जो अन्य मंत्रालयों/विभागों में अपनायी जाते हैं जहां गराजों का किसी प्रकार का भी आरक्षण प्राधिकृत नहीं है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) सेना के अफसरों को गराजों में से कुछ गराज पद के अनुसार आबंटित किए गए हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया कतिपय अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी अपनायी जा रही है।

Removal of Officers from Service in Heavy Industries

7248 Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the number of officers in the heavy industry whose services were dispensed with during the last three years because the heavy industries have been suffering losses as a result of their negligence and failure of duty; and

(b) their names and the posts held by them and the charges against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (SHRI DALBIR SINGH) :

(a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

निम्न स्तर के मेडिकल कालेजों की स्थापना रोकने के लिए कानून

7249. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में निम्न स्तर के मेडिकल कालेजों की स्थापना को रोकने तथा अन्यों के विनियमन के लिये कानून बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की एक सिफारिश के अनुसार प्राइवेट मेडिकल कालेजों के नियंत्रण तथा स्थापना के लिए सरकार कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है।

अल्जीरिया में हुई गुट निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक में भारत द्वारा प्रकट विचार

7250. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1973 में अल्जीरिया में हुई गुटनिरपेक्ष ब्यूरो की बैठक में भारत द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत ने अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातों पर जोर दिया :

गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी एकता की पुनः पुष्टि करनी चाहिए और विश्व शन्ति और प्रगति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नये सिरे से प्रयत्न करने चाहिए ; उन्हें आक्रांता से अपनी समूची भूमि मुक्त कराने के न्यायोचित उद्देश्य में अरबों को निरन्तर पूर्ण-समर्थन देते रहना चाहिए और फिलिसतीनियों के उचित स्थान का सुनिश्चय करना चाहिए ; हिन्द महासागर में दियागो गर्सिया द्वीप पर आंगल-अमरीकी अड्डा विकसित करने का ताजा निर्णय विशेष रूप से चिन्ता का विषय है और गुटनिरपेक्ष देशों को संयुक्त राष्ट्र में और अन्यत्र हिन्दमहासागर को एक शान्ति क्षेत्र बनाये रखने का अपना सामूहिक प्रयत्न जारी रखना चाहिए; संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन को विकास तत्व को उसका वैध स्थान पुनः दिलाने के लिए और इसमें तात्कालिकता का भाव भरने के लिए नये आधार प्रस्तुत करने चाहिए; और अन्त में तेल की कीमतें बढ़ जाने के कारण कई विकासशील देशों पर पड़ रहें असध्य बोझ को हल्का करने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा स्वेच्छा से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता।

विदेश मंत्री के वक्तव्यों के मूलपाठ और इस बैठक में स्वीकृत दस्तावेजों के मूलपाठ, सदन के पुस्तकालय में सुलभ हैं।

Expenditure on Furniture, Rent and Maintenance of Residences in India Missions Abroad

7251. **Shri Jagannath rao Joshi**
Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of money paid annually by way of rent of the residences of employees of Indian Missions abroad, country-wise, during the last three years;

(b) the measures being taken in view of present economy drive; and

(c) the expenditure incurred, besides accommodation, on furniture, conveyance and maintenance of residences during the above period, separately?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) A statement showing the amount of rent paid during 1971-72 and 1972-73 for hiring residential accommodations for the members of all Indian Missions abroad, country-wise, is attached. [*Placed in Library. See No. L.T. 6743/74*] Similar information for the year 1973-74 is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

(b) As a long-term solution to the ever rising rents in capital cities, the Government have been purchasing property abroad. Every year, an amount is set apart for this purpose. Due to the difficult foreign exchange position, however, such purchases have to be on a restricted scale. Among other measures taken to reduce expenditure on rentals are reduction of posts wherever possible and signing of long-terms leases with owners with a view to stabilize rents;

(c) The information is being collected and will be laid down on the table of the House in due course.

Police raid on Divine Light Mission at Santiago in Chile

7252. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether about two hundred disciples of Guru Mahatma were arrested by the police after a raid on the head office of the Divine Light Mission at Santiago in Chile;

(b) whether police had ordered Guru Mahatma and all the persons living in his hermitage to leave the country; and

(c) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) According to Chilean newspapers, Swami Mahendra Pratap, an Indian national and seven others of different nationalities belonging to Divine Light Mission of Guru Maharaj Ji were asked to leave Chile by the Chilean authorities;

(c) According to the police, there were some allegations against the members of the mission. More information is being collected on this matter.

सिविल अस्पताल की घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

7253. श्री पी० एम० मेहता : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल अस्पताल घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन गुजरात सरकार को दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) दोषी ठहराये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) राज्य सरकार को सिविल अस्पताल की घटना के बारे में सूचना स्वास्थ्य सेवा निदेशक, गुजरात, गांधी नगर ने दी थी। राज्य सरकार ने विस्तृत जांच के लिए आदेश दे दिये हैं और जांच अधिकारी से कहा गया है कि वह 30 अप्रैल, 1974 तक अपनी रिपोर्ट दे दे।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न इस समय नहीं उठता।

(घ) यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि जांच रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाये।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes among Ambassadors Appointed during Last Three Years

7254. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Ambassadors and High Commissioners appointed by Government during the last three years; and

(b) the percentage of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) 66.

(b) Scheduled Castes—6·06%; Scheduled Tribes—1·51%.

Production of Steel and Minerals

7255. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of steel and minerals produced in the country during each of the last three years;

(b) if the production has declined the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to increase their production?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) The production of saleable steel in the last three years was as follows :

Year	Total production of saleable steel by the main producers.
1971—72	4,478,000 tonnes
1972—73	4,793,000 tonnes
1973—74 (provisional)	4,347,000 tonnes

The production of minerals was as follows during the years 1971 to 1973 :—

Sl. No.	Mineral	Unit	1971	1972	1973 (Provisional)
1.	Apatite . . .	000 tonnes	11,307	11,613	10,822
2	Bauxite . . .	000 ,,	1,517	1,684	1,269
3.	Chromite . .		273	295	277
4.	Coal . . .	Million tones	71·80 (Provisional)	74·80	77·08
5.	Copper Ore	000 ,,	666	873	1,059
6.	Dolomite	000 ,,	1,320	1,348	1,389
7.	Gold	Kilograms ,,	3,656	3,290	2,997
8.	Gypsum	'000 ,,	1,088	1,105	877
9.	Iron Ore	Million ,,	34·31	35·48	34·65
10.	Kyanite	'000 ,,	63	68	50
11.	Lead Concentrates . . .		4,262	4,581	7,671
12.	Limestone	Million ,,	25·07	25·94	23·74
13.	Magnesite	'000 ,,	296	251	185
14.	Manganese Ore . . .	Do. ,,	1,841	1,642	1,445
15.	Mica Crude	Do. ,,	15·1	14·1	13·5
16.	Petroleum Crude . . .	Million ,,	7·19	7·37	7·20
17.	Phosphorite	'000 ,,	232	217	133
18.	Steatite	'000 ,,	179	211	188
19.	Zinc Concentrates		15,885	17,055	23,914

Source : Mineral statistics of India (October, 1973 and Quick Releases November and December, 1973)

(b) It will be noticed that there was an improvement in production in all the main steel plants in 1972-73 over the production in 1971-72, except in the Indian Iron and Steel Company. The production in 1973-74 was affected mainly on account of :—

(*i*) severe power cuts and power interruptions, especially in the period April to mid-November, 1973, directly affecting production in all the steel plants except Bhilai;

(*ii*) inadequate availability of coal, largely due to power cuts and power interruptions during this period affecting the entire Jharia Coal fields leading to curtailment in operation of the Coal Washeries and of coal mining which, in turn, affected steels production in all the steel plants;

(*iii*) intermittent slow-down and industrial unrest in Railways, especially in the South Eastern and Eastern Railways in August, 1973 and thereafter from late November, 1973 onwards, affecting the movement of coal and other raw materials and of finished products and thus necessitating the imposition of drastic cuts on production in keeping with the minimal flow of raw materials;

Reasons for fall in production of minerals during 1972 as compared to 1971 are given below—

1. Gold	—The decrease in the grade of ore mined and break down in one primary Tube Mill in Nundydroog mine during August 1972.
2. Magnesite	—The fall was due to accumulation of stocks, shortage of labour and uncertain and sporadic behaviour of deposits in Tamil Nadu.
3. Mica (Crude)	—The fall was due to the poor concentration in working faces, natural fluctuations, barren working faces and temporary discontinuance of some of the mines.
4. Manganese Ore	—The fall was due to temporary discontinuance of some mines and less demand.
5. Phosphorite	—Labour shortage and strikes of transporters.

(c) As regards power shortage and coal shortage which are affecting steel production, close liaison has been established and is being maintained with the Ministry of Irrigation and Power, authorities of DVC, State Governments concerned and the Railways. The position is reviewed, and is kept under watch constantly. The question of augmenting captive power generation capacity at the Steel Plants and establishing such capacities in the Collieries is also under consideration.

A number of steps are being taken to increase the production of important minerals in the country which include among other things expansion of existing capacity of the mines, more working shifts, ensuring supply of critical items like explosives, steel and cement, advance action to procure standardized machinery so as to avoid long delivery schedule, streamlining the management etc.

Institutions getting Grants from Ministry of Health and Family Planning

7256. **Shri Chhatrapati Ambesh:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the names and addresses of the institutions (running hospitals) which have been given grants by his Ministry during the current year; and

(b) the purpose for which grant was given and the amount of grant given to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa): (a) and (b) Information in respect of the year 1973-74 is furnished in the attached statement. [*Placed in Library. See No. L.T. 6744/74*].

कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण मानव दिवसों की हानि

7257. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत कारखानों में दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप कितने मानव दिवसों की हानि हुई ;

(ख) इसके परिमाणस्वरूप सरकारी राजस्व की कितनी हानि हुई; और

(ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के पहले वर्ष अर्थात वर्ष 1974-75 में हानियों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों (अनन्तिम) के अनुसार वर्ष 1972 के दौरान दुर्घटनाओं के कारण पंजीकृत कारखानों में 29,69,800 श्रम दिनों की हानि हुई। गैर पंजीकृत कारखानों के संबंध में इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह सूचना राज्य कारखाना निरीक्षणालयों द्वारा एकत्र की जानी आवश्यक नहीं है।

(ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन बनाए गए राज्य कारखाना नियमों में निर्धारित की गई सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं को, जहां कहीं आवश्यक होता है, लागू किया जा रहा है, निरंतर पुनरीक्षित किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है और सुधारा जा रहा है। केन्द्रीय श्रम संस्थान, क्षेत्रीय श्रम संस्थानों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के माध्यम से सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और शिक्षा भी दी जा रही है। सुरक्षा संबंधी उपायों को सुदृढ़ करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के बारे में भी विचार किया जा रहा हैं।

दुर्गापुर एलाय इस्पात संयंत्र का विस्तार

7258. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर स्थित एलाय इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये उपबन्धित 4.50 करोड़ रुपये की सारी की सारी राशि बिना खर्च के रह गई है;

(ख) चौथी योजना में कितने इस्पात संयंत्रों के लिये उपबन्ध तो किये गये थे परन्तु बाद में उपबन्धों को कम किये जाने के कारण उन्हें चालू नहीं किया गया अथवा उनका परित्याग कर दिया गया; और

(ग) तब से लेकर उनकी लागत में वृद्धि का क्या अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिसमें चौथी योजना में की गई व्यवस्था में कमी करने के कारण कोई इस्पात कारखाना चालू न किया गया हो अथवा उसे छोड़ दिया गया हो।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डिएगो गर्शिया में संयुक्त नौसैनिक अड्डे के लिए ब्रिटिश समर्थन के पुनः पुष्टिकरण का दावा करते हुए अमरीकी प्रवक्ता का वक्तव्य

7259. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता, जार्ज वेस्ट का कथित वक्तव्य भारत सरकार के ध्यान में आया है, जिसमें डिएगो गर्शिया में संयुक्त नौसैनिक अड्डे तथा वायु सुविधा की स्थापना के लिये ब्रिटिश समर्थन के पुनः पुष्टीकरण का दावा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस वक्तव्य पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उपरोक्त द्वीप में नौसैनिक अड्डे में उनके प्रस्तावित सहयोग के बारे में ब्रिटिश सरकार को कोई औपचारिक विरोध पत्र भेजा गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने अमरीका सरकार के प्रवक्ता के वक्तव्य से सम्बद्ध प्रेस रिपोर्ट देखी है, जिसके अनुसार यू० के० की नई सरकार ने अमरीका को सूचना दी थी कि विदेश नीति की समीक्षा की जा रही है जिसमें दियागो गर्शिया में सैनिक सुविधाओं के विस्तार का प्रश्न भी शामिल है, और अमरीकी विदेश विभाग ने यह आशा व्यक्त की है कि कि ब्रिटेन की नई सरकार इस सम्बन्ध में अपने समर्थन की पुनर्पुष्टि करेगी ।

(ख) ओर (ग) दियागो गर्शिया में अड्डे की सुविधाओं में विस्तार के संबंध में सरकार ने यू० के० और अमरीकी सरकार को अपनी गहरी चिन्ता से अवगत करा दिया है। हमारी सूचना के अनुसार यू० के० की सरकार अभी इस मामले में विचार कर रही है।

डा० हेनरी किसिंजर की प्रस्तावित भारत यात्रा

7260. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विदेश सचिव, डा० हेनरी किसिंजर की भारत यात्रा के सम्बन्ध में हाल ही में कोई योजना तैयार की गई थी और बाद में उसे रद्द कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो यात्रा रद्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या डा० किसिंजर द्वारा 1974 के उत्तरार्ध में भारत की यात्रा किये जाने की संभावना है और यदि हां, तो कब ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) अमरीका के विदेश मंत्री डा० हेनरी किसिंजर की भारत यात्रा रद्द नहीं की गई है। यह यात्रा, जिसके लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है सम्भवतः मई-जून 1974 में होगी।

गुजरात के श्रमिक नियमों की पुनरीक्षा के लिये समिति

7261. श्री **पी० जी० मावलंकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के श्रमिक नियमों की पुनरीक्षा के लिये न्यायाधीश डी० ए० देसाई की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) इस राज्य श्रम नियम पुनरीक्षा समिति का प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) यदि प्रतिवेदन पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो इसकी मुख्य सिफारिशें एवं प्रस्ताव क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा को मेज पर रख दी जाएगी।

भारत में कैंसर और थ्रोम्बोसिस रोगों में वृद्धि

7262. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर और करोनरी थ्रोम्बोसिस नामक घातक बीमारियां भारत में बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या इस बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिये सरकार कदम उठा रही है और यदि हां, तो देश में उपलब्ध की जा रही चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ सेवाओं की मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) भारत में कितना कैंसर और कोरोनरी थ्राम्बोसिस है इसका कोई देश-व्यापी सवक्षण नहीं किया गया है।

(ख) 1970 और 1971 में विभिन्न अस्पतालों में भरती किए गए कैंसर रोगियों की संख्या का एक विवरण और 1969 तथा 1970 में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अस्पतालों और औषधालयों में कितने अरक्तताजन्य हृदय रोगों से पीड़ित रोगियों का इलाज किया गया उसका एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6745/74] बाद के वर्षों की सूचना की अभी विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जनता को रोग निरोधक पहलुओं, साविधिक स्वास्थ्य परीक्षण, प्रारम्भ में ही निदान कराने और इलाज कराने के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और राज्य निदेशालय जानकारी दे रहे हैं। भारत के अनेक अस्पतालों में, जिनमें शिक्षण अस्पताल भी शामिल हैं, विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं।

सेना अधिकारियों द्वारा अच्छे वेतन एवं सेवा शर्तों की मांग

7263. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ग्रेडों के सेना अधिकारी अच्छे वेतन तथा सेवा शर्तों की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांगें किस प्रकार की हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) सेना अफसरों से और अधिक अच्छे वेतन तथा सेवा शर्तों के बारे में सीधे कोई मांगें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के लिये और अच्छे वेतन-मानों के लिये वेतन आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं और उन पर सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय ले लिये जाने की आशा है।

ईराक के उपराष्ट्रपति की यात्रा

7264. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक के उपराष्ट्रपति ने मार्च, 1974 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो वे कितनी अवधि तक यहां ठहरे थे और चर्चित विषयों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त यात्रा के परिणामस्वरूप ईराक और भारत के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) ईराक गणराज्य की क्रान्तिकारी कमान परिषद् के उपाध्यक्ष, श्री सद्दाम हुसैन ने 25 से 28 मार्च, 1974 तक भारत की यात्रा की। दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के अन्य मामलों पर बातचीत की। यात्रा की समाप्ति पर एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिसमें मुख्य विषयों और निष्कर्षों का उल्लेख किया गया था।

(ग) भारत और ईराक के बीच एक स्थायी संयुक्त आयोग की स्थापना के एक करार पर श्री सद्दाम हुसैन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और उसका मूलपाठ सदन की मेज़ पर 29 मार्च, 1974 को रख दिया गया था। दोनों देशों के बीच पहले हुए समझौते के ब्यौरेवार अमल पर एक और करार हुआ था जिसमें ईराक से तेल का आयात का भुगतान करने के लिए भारत को नरम शर्तों पर 11 करोड़ अमरीकी डालर का ईराकी ऋण देने का जिक्र था।

टाटानगर फाउन्ड्री कम्पनी लि० जमशेदपुर का बन्द होना तथा कर्मचारियों को देय राशि की अदायगी

7265. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा नगर फाउण्ड्री कम्पनी लि० जमशेदपुर वर्ष 1968 से प्रायः बन्द पड़ी है ;

(ख) क्या बार-बार की याचिकाओं के बावजूद भी अधिकांश कर्मचारियों को उनको देय भविष्य निधि की राशि की अदायगी नहीं की गई; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें देय राशि न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि, प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) जी हां, 21 नवम्बर, 1966 से।

(ख) और (ग) नियोजक द्वारा भविष्य निधि की देय राशियों का पूरा भुगतान न किये जाने और कतिपय विवरणियां न भेजे जाने के कारण, कई मामलों में दावों का अन्तिम रूप से निपटारा नहीं किया जा सका। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 68 (ज) के अधीन सदस्यों को अग्रिम मंजूर किया गया है/किए गए हैं।

आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना

7266. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० वी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार ने कर्मचारियों के वेतनों से कटौती किये गये भविष्य निधि के 18 लाख रुपये जमा नहीं कराये ;

(ख) क्या फैक्ट्री के प्रबन्धकों ने एक सौ कर्मचारियों की उनके पास जमा की गई भविष्य निधि की राशि को बिना उनकी जानकारी के निकलवा लिया ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि की राशि नहीं दी गई; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रबन्धकों के विरुद्ध उनकी भूलों के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) श्रमिकों के हिस्से की भविष्य निधि अंशदानों की वास्तविक बकाया राशि के संबंध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं। तथापि, अक्तूबर, 1972 में भविष्य निधि की राशि से धन निकालने के 11 मामले पकड़े गये, जिनमें प्रतिरूपण द्वारा गबन करने का शक था।

(ग) चूंकि गबन का शक था, इसलिए लेखों की जांच होने तक भुगतान रोक दिए गए थे। लेखों की पुन: जांच कर ली गई है और शेष दावों का भुगतान करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत बकाया राशियों की वसूली के लिये कार्यवाही करने के अतिरिक्त प्रबन्धकों के खिलाफ कई चूकों के लिये अभियोजन भी चलाए गए हैं।

सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण और कब्जे के लिए दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा चलाये गये मुकद्में

7267. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर छावनी बोर्ड ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में कितने मुकद्में चलाए जो सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण और कब्जा किए हुए हैं तथा बोर्ड द्वारा वर्षवार कितना व्यय किया गया ; और

(ख) उक्त बोर्ड को कितने मुकद्मों में सफलता और कितने में असफलता मिली है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या	किया गया व्यय
1971-72	21	1105.85 रुपए
1972-73	31	53.00 रुपये
1973-74	17	276.49 रुपए

(ख) प्रसंगाधीन मामलों की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है :—

जो मामले छोड़ दिए गए —12

समझौता किया गया मामले —6

छावनी बोर्ड के पास निलम्बित पड़े मामले —30

न्यायालय में पड़े मामले —20

न्यायालय में हार गए मुकद्मे —1

दानापुर छावनी के मकान संख्या 34 के मालिक को किराये की अदायगी

7268. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांट स्क्वेअर, दानापुर छावनी स्थित मकान संख्या 34 (पुरानी 41) जी० ई० (एम० ई० एस०) के कब्जे में था ;

(ख) क्या मकान की मालकिन श्रीमती जाय सेन ने मकान खाली करवाने तथा बकाया किराये की वसूली के लिए जी० ई० के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था तथा उसमें सफलता प्राप्त की थी ;

(ग) क्या जी० ई० ने मकान मालकिन को कभी किराया नहीं दिया ;

(घ) क्या जी० ई० द्वारा उक्त मकान में बिजली सप्लाई लाइन को बन्द कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) जी हां श्रीमन्, पटना के द्वितीय मुनसिफ की अदालत में। तथापि, सरकार ने निम्न अदालत के निर्णय के विरुद्ध पटना के जिला जज की अदालत में अपील की अर्जी दी है।

(ग) से (ङ) यह सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। सदन के पटल पर यथाशीघ्र रख दी जायेगी।

कैलिको कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स बम्बई के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

7269. **श्रीमती रोजा देशपांडे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलिको कैमीकल्स एण्ड प्लासिटक्स, बम्बई के कर्मचारी 10 अगस्त, 1973 से हड़ताल पर हैं ;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा निर्मित बहुत सी वस्तुएं रक्षा उद्योगों में प्रयोग होती हैं और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा खरीदी जाती हैं ;

(ग) क्या कर्मचारियों ने सदा ही सीधे बातचीत अथवा दोनों पक्षों को स्वीकार्य एजेंसी के माध्यम से मध्यस्थता के लिये सहमति व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और हड़ताल के निपटारे के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार कैलिको कैमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, बम्बई के श्रमिकों ने वह हड़ताल समाप्त कर दी है जो 9-8-1973 को शुरू की गई थी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्रमिकों की 32 मांगों में से 24 को एक समिति के पास न्याय-निर्णयन हेतु निर्देशित कर दिए जाने के बाद, श्रमिकों ने 18-3-1974 से पुनः काम आरम्भ कर दिया। शेष 8 मांगों को छोड़ दिया गया।

दुर्गापुर में ढलवाँ लोहे का उत्पादन

7270. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 19,000 टन प्रति मास ढलवां लोहा का आपेक्षित उत्पादन करने में विफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन को सुप्रवाहित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कच्चे लोहे के उत्पादन लक्ष्य हर महीने बदलते रहते हैं। यह सच हैं कि सामान्यतः कच्चे लोहे का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है यद्यपि, इस वर्ष इस कारखाने ने दो बार 19,000 टन मासिक से अधिक उत्पादन किया।

(ख) कम उत्पादन के कारण इस प्रकार हैं : (1) कोयलें तथा कोक की कमी के कारण गर्मधातु की कमी, (2) इस्पात बनाने के लिए निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में गर्म धातु काम में लाई गई। इस वर्ष धमन भट्टियों में गर्मधातु के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप, कच्चे लोहे का उत्पादन भी संतोषजनक होने की संभावना है।

भिलाई इस्पात संयंत्र को मैंगनीज अयस्क की सप्लाई

7271. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र को मैगनीज अयस्क किन स्त्रोतों से प्राप्त होता है और उनकी कुल मांग कितनी है ;

(ख) क्या एम० ओ० आर० एल० उसका एक स्रोत है ; और

(ग) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र का एम० ओ० आर० एल० से सप्लाई लेने के लिए बचनबद्ध है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने की मैंगनीज खनिज की वार्षिक आवश्यकता लगभग 1,20,000 टन है । सप्लाई के स्रोत मैंगनीज और इंडिया लि० तथा विभिन्न गैर सरकारी पार्टियां हैं।

(ख) जी, हां। मुख्य संभारक मैंगनीज और इंडिया लि० हैं।

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने ने हाल ही में मैंगनीज और इंडिया लि० के साथ 1,05,000 टन की सप्लाई के लिए एक करार किया है जिसमें सितम्बर, 1973 से मार्च, 1974 की अवधि में 15,000 टन मैंगनीज अयस्क की सप्लाई की जा चुकी हैं और अप्रैल, 1974 से मार्च, 1975 के 12 महीनों की अवधि में 90,000 टन माल सप्लाई किया जाना है। इस प्रकार मैंगनीज और इंडिया लि० ने वर्ष 1974-75 में मैंगनीज अयस्क की सप्लाई का जो करार किया है वह कारखाने की वार्षिक आवश्यकताओं का लगभग 75 प्रतिशत है।

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा त्याग-पत्र

7272. **श्री विभूति मिश्र**
श्री वसंत साठे } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डा० नाग चौधरी ने त्याग-पत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो त्याग-पत्र दिए जाने का क्या कारण है ;

(ग) क्या अन्य वैज्ञानिक रक्षा मंत्री के सलाहकार के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहते ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) से **(घ)** प्रश्न नहीं उठते ।

फरीदाबाद में कर्मचारियों की जबरी छुट्टी

7273. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में अनेक कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अनेक उद्योग बन्द कर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं इसका कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा हैं ?

श्रम मंत्री (रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Memorandum from Madhya Pradesh Bhartiya Mazdoor Sangh regarding Representation on various Committees on Labour at Central Level

7274. Shri Hukum Chand Kachwai: Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Bhartiya Mazdoor Sangh had sent a memorandum to the Central Government demanding representation of the Sangh in the various Committees on Labour at the Central level; and

(b) the future scheme and policy of Government in this regard?

The Minister of Labour (Shri Raghunath a Reddy) : (a) Yes.

(b) No decision has yet been taken on the question of making a change in the existing criteria for representation of Workers' Organisations at the National tripartite.

Memorandum from Bhartiya Mazdoor Sangh, M.P.

7275. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Bhartiya Mazdoor Sangh sent a memorandum to Government in January, 1974 :

(b) if so, the demands made therein; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Minister of Labour (Shri Raghunath a Reddy) (a) Yes.

(b) The main demand made in the communication dated the 14th January, 1974, by the Bhartiya Mazdoor Sangh, Madhya Pradesh, is that the Sangh should be given all-India recognition and representation in the Committees appointed by Central and State Governments for various country-wide industries.

(c) No decision has yet been taken on the question of recognition for the purpose of representation on tripartite committees at the National level.

Projects Set-up in Nepal with Indian Aid

7276. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of projects being set up in Nepal at present with Indian aid and the estimated outlay involved therein; and

(b) whether Government are considering the question of providing some further aid to Nepal this year and if so, an account thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) A list of projects now under execution is attached. The estimated costs of these projects are also shown against each project.

(b) The expenditure during 1974-75 on the execution of the projects in hand is estimated at Rs. 8·86 crores.

The two countries have kept under review the nature and contact of the Indo-Nepal economic cooperation. Recently discussions were held between high-level planning delegations of the the two countries in New Delhi. Agreements were reached on Indian assistance to Nepal for the construction of a hydro-electric project at Devighat in Nepal and for the setting up of a cement plant in Nepal. It was also agreed that Indian financial and technical assistance would be provided for the construction of a road linking Kathmandu with Dhankuta in the East. Several other areas in which Indo-Nepalese cooperation would be beneficial were identified.

A precise indication of the increases in aid would become available only after the final reports on the above projects have been prepared.

List of Projects now under construction in Nepal with Indian Aid

Name of the Project	Estimated cost (Rs. in crs.)
1. Mahendra Raj Marg (Eastern Sector)	24 ·00
2. Chatra Canal	13 ·50
3. Kosi Area Roads	2 ·59
4. Additional Assistance programme	3 ·00

Note : The estimated expenditure on the completion of the above projects is Rs. 43 ·09 crores.

The following projects have been undertaken during the current plan period (1971-76).

Name of the Project	Estimated cost (Rs. in crs.)
1. Central Sector of East West Highway	25 ·82
2. Kathmandu Godawari Road	00 ·50
3. Industrial Estates at Nepalganj Dharan	00 ·41
4. Telephone Exchanges at Janakpur, Biratnagar and Jhapa	00 ·52
5. Supply of iodised Salt	1 ·25
6. Desilting basin for Trisuli Hydel project	0 ·53
7. Kamla bridge	1 ·76
8. Kathmandu-Trisuli Road (Rani Pauwa to Trisuli)	0 ·50
	31 ·29

Fourteen schemes at a total outlay of Rs. 376 lakhs have been accepted by the Government of India for being financed by Indian aid funds. They are subject of consultation between the two governments. Some of them are expected to be taken in hand during the current year. The Budget Estimates in respect of these on-going schemes for the current year have been proposed at Rs. 8 ·86 crores.

Difference in Wages of MICA and Coal Mine Workers

7277. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether there is any difference in the wages of the workers working in coal mines and mica mines;

(b) if so, the facts thereof and the reasons for this difference when both types of workers work in the mines only; and

(c) the measures being taken by Government to bridge this gap?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c) Yes. The Wages of workers in coal mines are higher, these having been fixed by the Wage Board; a bipartite wage negotiating committee is also presently engaged in the task of wage revision. The wages of workers in mica mines are fixed under the Minimum Wages Act, 1948. The differences are due to several factors e.g. historical, economical....

Purpose of U.S. Naval Forces Stationed in Diego Garcia

7278. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the particulars regarding the U.S. Naval Forces stationed in Diego Garcia; and

(b) the main purpose of their presence there?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The U.S. Naval Forces stationed in Diego Garcia are knwon to consist of one aircraft carrier supported by seven Destroyers/Frigates, an amphibious ship and one or two tankers.

(b) The setting up of base facilities in Diego Garcia is viewed by U.S.A. as an essential part of their global strategy.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निपटाना

7279. **श्री एम० एस० पूरती :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी मामलों, जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार ने विवाद को पंच निर्णय हेतु न्यायाधिकरण को भेजने का निर्णय लिया है, के शीघ्रता से नहीं निपटाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामलों को शीघ्र निपटाने सम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्धारित करने का है, ताकि कर्मचारी न्यायाधिकरण के सामने अपने दावे पेश करने के अधिकार से वंचित न हों ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) व्यापक औद्योगिक संबंध कानून को अन्तिम रूप देते समय, न्यायनिर्णयन हेतु भेजे गये मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

कैण्टीन एण्ड स्टोरज डिपार्टमेंट (इन्डिया) को स्कूटरों का आवंटन

7280. **श्री घनशाह प्रधान**
श्री भालजी भाई परमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना अधिकारियों से वर्ष 1970 से 1973 के दौरान वर्षवार स्कूटरों के आवंटन के लिए कैन्टीन एण्ड स्टोरज़ डिपार्टमेंट (इण्डिया) द्वारा कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कैन्टीन एण्ड स्टोरज डिपार्टमेंट (इण्डिया) ने स्कूटर निर्माताओं से वर्ष 1970 से 1973 तक वर्षवार कितने स्कूटरों की मांग की और उन्हें कितने स्कूटर प्राप्त हुए ;

(ग) इस समय किस तिथि तक के आवेदनों पर आवंटन किया जा चुका है; और

(घ) क्या कैन्टीन एण्ड स्टोरज डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्कूटरों की औसत संख्या में कोई वृद्धि हुई है ; और यदि हां, तो कितनी ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) थल सेना अफसरों तथा उनके समकक्ष नौसेना और वायु सेना के अफसरों व ऐसे सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों से जो सेना कैन्टीनों में खरीद करने के हकदार हैं, निम्नलिखित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे :—

1970	7568
1971	7242
1972	8111
1973	10408

(ख) सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	मांग	प्राप्ति
1970	5436	4643
1971	6856	6780
1972	5232	5942
1973	5938	5532

1972 में अधिक स्कूटरों की प्राप्ति का कारण पूर्व वर्ष में कम स्कूटरों की प्राप्ति था।

(ग) लैम्ब्रेटा के मामले में 25 जनवरी, 1971 तथा बजाज स्कूटर के मामले में 28 जुलाई, 1970 ।

(घ) जैसा कि उत्तर के भाग (ख) से स्पष्ट है, 1971 के बाद से सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है ।

कच्चे लोहे तथा कोक के वितरण सम्बन्धी समिति

7281. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपलब्ध कच्चे लोहे का वितरण तथा कोक की सप्लाई समन्वित करने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शी सिद्धांत निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन कब हुआ और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) कितनी वार और किस किस तिथि को इस समिति की बैठक हुई और इसमें कौन कौन से मुख्य निर्णय किये गये ; और

(घ) उन छोटे उद्योगों की राज्य वार संख्या क्या है जो कच्चे लोहे तथा कोक की कमी, जिसकी और ध्यान दिलाया गया है, के कारण, भारी संकट का सामना कर रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) आरम्भ में यह कम्पनी 21-9-71 को कच्चे लोहे के वितरण के लिए बनाई गई थी । 6-12-73 को हार्ड कोक को भी इस समिति के कार्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था । इस समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(1) श्री टी० घोष, लोहा और इस्पात नियंत्रक ————अध्यक्ष ।

(2) श्री एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय ।

(3) श्री एस० के० गूह, संयुक्त सचिव, इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) ।

(4) श्री एन० एन० टंडन
बाद में डा० पी० सी० एलेक्जेंडर } : विकास आयुक्त लघु उद्योग

(5) श्री एस० के० सिन्हा, उप-महानिदेशक, तकनीकी विकास ।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) कच्चा लोहा और कोक इस्तेमाल करने वाली छोटी और बड़ी सभी औद्योगिक इकाइयों पर कच्चे लोहे और कोक की कमी से कुछ हद तक प्रभाव पड़ा होगा ।

Report of Committee on Fixation of Wages Headed by Prof. S. Chakravarty

7282. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the date on which the interim report of the Committee appointed under the Chairmanship of Prof. S. Chakravarty for fixation of wages was received by Government; and

(b) the decision taken by Government thereon?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) It was received in March, 1973.

(b) As a first step, a Wage Cell has been set up in the Ministry of Labour as recommended by the Committee.

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के अधिकारियों की परिलब्धियां

7283. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण को राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के अधिकारियों की परिलब्धियों में भारी कमी करने का अधिकार दे दिया गया है ; और

(ख) क्या अन्य राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण के समय की परिलब्धियों को संरक्षण प्रदान किया गया था।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा हाथ में ली गई सभी खानों के अधिकारियों की छानबीन की गई थी तथा उनकी योग्यता व अनुभव तथा उनको सौंपे जाने वाले दायित्वों को ध्यान में रखकर उनके ग्रेड व वेतन नियत किए गए थे। अत : उनके वेतनों में मन-मानी कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिये प्रतिनिधियों को चुनने के लिये स्थायी समिति

7284. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बैठकों के लिए प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कोई स्थायी समिति बनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कोन-कौन हैं, और

(ग) प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अपनाया गया मापदण्ड क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। फलतः चुनाव का मुख्य सिद्धांत यह है कि वे सरकार की नीतियों से सहमति रखते हैं।

लोहे का निर्यात

7285. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लोहे की मांग है और उस का अच्छा मूल्य मिल सकता हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) देश में कच्चे लोहे की वर्तमान कमी को देखते हुए कच्चे लोहे के निर्यात के लिए कोई नये करार नहीं किये जा रहे हैं। जब और जैसे उपलब्धि में सुधार हो जाएगा स्थिति पर पुन: विचार किया जाएगा।

चिली के भूतपूर्व राष्ट्रपति की विधवा मैडम एलेन्दे की भारत यात्रा

7286. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर चिली के शहीद राष्ट्रपति की विधवा मैडम अलेन्दे भारत की यात्रा पर आई हुई हैं ;

(ख) क्या भारत के प्रधान मंत्री ने चिली में स्वतंत्रता की शक्तियों की सहायता करने में मूर्त और प्रतोकात्मक मार्ग प्रतिपादित करने की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) क्या नार्वे के प्रधान मंत्री, श्री ओलफ पाम की भांति प्रधान मंत्री का विचार उक्त शक्तियों के लिये भारत की ओर से प्रतीत वित्तीय योगदान देने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) चिली के भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति की पत्नी, मदाम होतैसिया बी० अलैन्दे "नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन वोमन" के निमंत्रण पर भारत आ रही हैं।

(ख) और (ग) सितम्बर, 1973 में चिली में जो कुछ हुआ उस पर भारत सरकार ने चिंता तो व्यक्त की है किन्तु अनिवार्यतः यह एक ऐसा मामला है जो कि एक प्रभुसत्ता प्राप्त राज्य के अधिकार-क्षेत्र में आता है। भारत सरकार यह आशा करती है कि चिली में शान्ति और समरसता की स्थापना होगी जिससे कि वहां के लोग बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के और बिना कोई और हिंसा किए अपने राष्ट्र निर्माण तथा मेल-मिलाप के काम में लग सकें।

घाटे में चल रहे इस्पात संयंत्र

7287. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिकारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1973-74 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कार्य परिणामों की ठीक-ठीक जानकारी इस वर्ष का हिसाब-किताब अन्तिम रूप से तैयार हो जाने तथा इसकी लेखा परीक्षा हो जाने के पश्चात् ही मिल सकेगी। फिर भी वर्तमान संकेत ऐसे हैं कि जबकि भिलाई इस्पात कारखाने को लाभ होगा, राउरकेला इस्पात कारखाने में लाभ-हानि समस्तर होगा, दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने और बोकारो इस्पात कारखाने को हानि होगी।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा मिश्रित इस्पात कारखाने से हानि होने का मुख्य कारण यह है कि वर्ष 1973-74 में इन दोनों कारखानों में निर्धारित क्षमता से बहुत कम उत्पादन हुआ। दूसरा बड़ा कारण लागत में वृद्धि होना था। जहां तक बोकारो इस्पात कारखाने का सम्बन्ध है 17 लाख टन पिण्ड के प्रथम चरण के चार कन्वर्टरों में से केवल एक कन्वर्टर ही 31 जनवरी, 1974 को चालू हुआ था और तैयार इस्पात का उत्पादन अभी आरम्भ होना है।

इस्पात का आंशिक विनियंत्रण

7288. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अक्तूबर में घोषित आंशिक इस्पात विनियंत्रण की नीति पर इस्पात संयंत्रों में भारी स्टाक के जमाव का विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) सरकार इस्पात का आंशिक विनियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात के मूल्य और वितरण पर कानूनी नियंत्रण अक्तूबर 1973 से पहिले ही हटा लिया गया था। अक्तूबर, 1973 में संशोधित मूल्यन नीति के अधीन संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित मूल्यों में प्लेटों, संरचनात्मकों और रेलवे सामग्री जिनका प्रयोग अधिकतर राज्य तथा केन्द्र सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा मूल उद्योगों द्वारा किया जाता है जबकि अन्य श्रेणियों के मूल्यों में भिन्न भिन्न मात्रा में वृद्धि की गई है। इस्पात कारखानों में स्टाक के जमा हो जाने से इस नीति पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

इस्पात के कोटे के लिये संयुक्त संयंत्र समिति

7289. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के कोटे के लिये आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिये संयुक्त संयंत्र समिति बहुत समय लेती हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो संयुक्त संयंत्र समिति ने वर्ष 1973 के दौरान तिथिवार कितने आवेदन प्राप्त किये तथा प्रत्येक आवेदनों पर इस वर्ष के दौरान क्या कार्यवाही की गयी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस समय इस्पात के 'कोटे' देने की प्रथा नहीं है। संयुक्त संयंत्र समिति इस्पात के माल के लिए मांग पत्र प्राप्त करती है और उन पर आगे कार्रवाई करती है। संयुक्त सयंत्र समिति द्वारा मांग पत्रों पर की जाने वाली कार्रवाईयों में अनुचित विलम्ब का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है जब अनुचित विलम्ब के मामले सरकार के ध्यान में लाए जाएंगे तो उनकी पड़ताल की जाएगी। सामान्यत: समिति की मांग पत्रों का आयोजन करने में लगभग दो सप्ताह लगते हैं। आशा है इस्पात के वितरण प्रणाली के लिए नियुक्त किए गए अध्ययन दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप प्रक्रिया को दोष रहित बनाने से इस समय में और भी कमी हो जाएगी।

(ख) चूंकि आयोजित मांग पत्रों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए प्रत्येक के बारे में विस्तार पूर्वक बताना अत्यधिक कठिन है और इसमें बहुत समय लगेगा। फिर भी यदि किसी विशेष मांग पत्र अथवा मांग पत्रों के बारे में ऐसी जानकारी अपेक्षित हो तो वह प्राप्त कर ली जाएगी और सभा पर रख दी जाएगी

दिल्ली के अस्पतालों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की जांच करने के लिये समिति बनाना

7290. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार द्वारा दिल्ली के अस्पतालों के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के निदेशपद क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली अस्पतालों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक मामलों की विस्तारपूर्वक जांच करना।

(ग) अप्रैल, 1974 के अन्त तक।

आसाम के चाय बागानों के ग्रुप अस्पताल

7291. **श्री नूरुल हुदा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के चाय बागानों के सभी ग्रुप अस्पतालों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उन अस्पतालों को पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) असम सरकार से आवश्यक सूचना एकत्र करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और मिलते ही उसे भेज दिया जाएगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 47वीं बैठक की सिफारिश

7292. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 47वीं बैठक की सिफारिशें और निर्णय क्या हैं; और

(ख) उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) महत्वपूर्ण सिफारिशें/निर्णय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने और चिकित्सा लाभ के खर्च में राज्य का भाग बढ़ाने सम्बन्धी सिफारिश, जो भावी योजना सम्बन्धी समिति

की सिफारिशों पर आधारित है, पहले ही विचाराधीन है। कुछ सिफारिशें/निर्णय निगम के अधिकार के अन्तर्गत हैं। कुछ अन्यों के सम्बन्ध में, जिन के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से औपचारिक निवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 2 फरवरी, 1974 को हुई 47वीं बैठक में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों/निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक सिफारिशें/निर्णय

1. केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करे। उसे यह भी चाहिए कि वह चिकित्सा लाभ के खर्च में राज्य का भाग 1/8 से बढ़ा कर 1/4 करने सम्बन्धी प्रश्न को राज्य सरकारों के साथ उठाए।
2. वर्ष 1972-73 के सम्बन्ध में निगम के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट अभिस्वीकृत की गई।
3. स्थायी समिति में निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए निगम के आठ गैर-सरकारी सदस्य चुने गए।
4. निर्वाह मूल्य में हुई वृद्धि से स्थायी विकलांगता और आश्रितों सम्बन्धी पेंशन में हुए ह्रास की पूर्ति करने के लिए उसे बढ़ाने के प्रश्न को जांच हेतु बीमांकन के पास भेजा जाए।
5. यथार्थ कठिनाई के मामले में, बीमा शुदा व्यक्तियों को गलती से की गई अधिक अदायगी को आसान किस्तों में वसूल किया जाए।
6. कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अतिरिक्त उपस्कर की व्यवस्था, औद्योगिक औषधि और स्वास्थ्य विज्ञान में अनुसंधान, विस्तृत बीमारीलाभ के लिए रोगों की सूची की पुनरीक्षा, कृत्रिम उपकरणों आदि की व्यवस्था के संबंध में चिकित्सा लाभ परिषद की सिफारिशों का अनुमोदन किया गया।
7. तमिल नाडु में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण संबंधी सामान्य प्रयोजन उप-समिति की रिपोर्ट अभिस्वीकृत की गई।
8. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को कहा गया है कि वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत आम इस्तेमाल होने वाले ड्रगों और औषधियों की केन्द्रीकृत संविदा दर पर खरीद के प्रश्न की जांच करें।
9. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के ऐसे लाभानुभोगियों के लिए, जो अंतरंग चिकित्सा के लिए कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों में भर्ती किए जाते हैं, राष्ट्रीय आहार पुष्टि सलाहकार समिति और चिकित्सा लाभ परिषद द्वारा सिफारिश की गई आहार की मात्रा को स्वीकृत किया गया।
10. कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/भवनों आदि के निर्माण का खर्च चलाने के लिए, अंशदानों से प्राप्त कुल आय के 10 प्रतिशत से एक कैपीटल निर्माण आरक्षण निधि स्थापित की जाए।

11. कैपीटल निर्माण पर प्रति व्यक्ति व्यय की सीमा 150 रु० से बढ़ाकर 170 रुपये कर दी जाय।
12. अतिरिक्त अस्पतालों/उप-भवनों के लिए योजनाएं और अनुमान इस तरह स्वीकृत किए जाएं ताकि प्रति हजार कर्मचारियों के लिए 4 पलंगों के वर्तमान मापदंड के स्थान पर प्रति हजार कर्मचारियों के लिए 5 पलंगों तक की व्यवस्था हो?
13. केन्द्रीय सरकार से कुछ अधिकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम/स्थायी समिति/महा-निदेशक को दिए जाएं।
14. निगम की भर्ती सम्बन्धी नीति में कुछ परिवर्तन।
15. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सीय पदों की वापसी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सीय पदों का एक पृथक संवर्ग बनाना।
16. लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, वर्ष, 1970-71 के लिए निगम के वार्षिक लेखे अनुमोदित और अभिस्वीकृत किए गए।
17. निगम के 1973-74 के लिए संशोधित अनुमान और 1974-75 के लिए बजट अनुमान स्वीकृत किए गए।

जयपुर उद्योग लिमिटेड, कानपुर के श्रमिकों का भविष्य निधि और परिवार पेंशन का भुगतान न करना

7293. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड, कानपुर के श्रमिकों को भविष्य निधि और परिवार पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार को श्रमिकों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) जी हां। कानपुर जूट फैक्ट्री मजदूर सभा और जयपुर उद्योग स्टाफ यूनियन ने 25-8-1973 को संयुक्त रूप से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ग) मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड ने मार्च, 1970 से मार्च, 1973 तक की अवधि सम्बन्धी और अगस्त 1973 से लेकर आगे की भविष्य निधि की देय राशियों का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की प्रयोज्यता को चुनौती देते हुए उसकी धारा 19-क के अधीन अभ्यावेदन किया है और उनका अभिवेदन विचाराधीन है। तथापि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर ने अप्रैल, 1970 से मार्च, 1973 तक की अवधि की भविष्य निधि की देय राशियों का प्राक्कलन किया है और अगस्त, 1973 से लेकर आगे की अवधि के लिए भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अंशदानों का प्राक्कलन करने हेतु अधिनियम की धारा 7-क के अधीन कार्यवाहियां भी शुरू की गई हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर में हड़ताल

7294. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1974 को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर यूनिट में हुई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सांकेतिक हड़ताल के क्या कारण थे; और

(ग) वहां के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर के कर्मचारी मजूरी पुनरीक्षण समझौते में विलम्ब होने पर विरोध प्रकट करने के लिए 30 जनवरी 1974 को सांकेतिक हड़ताल पर गए।

(ग) प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच मजूरी-समझौता हो गया है। समझौते के अनुसार न्यूनतम वेतन 300 रुपये होगा और इसके साथ 25 रुपये प्रतिमास की दर से मकान किराया भत्ता (उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें कम्पनी के मकान आबंटित नहीं किए गए हैं) भी होगा। इस प्रकार 1-10-1973 से कुल वेतन 325 रुपये प्रतिमास हो गया है।

माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर में कर्मचारी

7295. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 में माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों सहित कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

(ख) क्या नई भर्ती की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके वर्षवार आंकड़े क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर में वर्ष 1971, 1972 और 1973 में रोजगार में लगे सभी श्रेणियों के व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 6066, 6477 और 6936 थी।

(ख) जी, हां;

(ग) 1971, 1972 और 1973 में नई भर्ती के श्रेणीवार आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	1971	1972	1973
अधिकारी	25	25	74
पर्यवेक्षक . . .	14	2	70
कुशल श्रमिक .	2	4	2
अकुशल श्रमिक/मेहतर . .	110	373	235
अन्य . .	—	72	79
योग . . .	153	476	460

लौह खानों (काल्टा खानों) में कथित दास मजदूर शिविर

7296. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र की कुछ रक्षत-लौह खानों (काल्टा खानों) में दास मजदूर शिविरों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में हड़ताल

7297. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, बर्नपुर के ठेका-मजदूरों ने 29 दिसम्बर, 1973 से हड़ताल की थी; और

(ख) उनकी क्या मांगें थी और उनको किस प्रकार निपटाया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) बर्नपुर में उन ठेका, मजदूरों ने जिनका नेतृत्व सी० आई० टी० यू० यूनियन कर रही थी, 29 दिसम्बर 1973 से हड़ताल की थी उनकी मांगें थी कि ठेका मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की जाए, उन्हें स्थायी संवर्ग में लिया जाए तथा उन्हें अन्य सम्बन्धित सुविधाएं प्रदान की जाएं।

तीसरे दिन के बाद हड़ताल का प्रभाव बहुत कम रह गया था। हड़ताली कर्मचारी अधिक संख्या में काम पर वापिस आने शुरू हो गये थे और 12 जनवरी, 1974 से हड़ताल बिना शर्त के समाप्त कर दी गई।

बर्सुवा खानों के यूनियन नेता का कथित दमन

7298. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्सूवा खानों के यूनियन नेता का दमन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बरसुआ लौह अयस्क की खानों के मजदूर-संघ के किसी नेता के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाई नहीं की गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

7299. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में राज्यों के श्रम मंत्रियों का दो दिन का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) श्री एस० ए० मरुगानन्थाम के अतारांकित प्रश्न संख्या 219 के उत्तर में एक विवरण 21 फरवरी, 1974 को सदन की मेज पर रखा गया था, जिसमें इस सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष दर्शाए गए थे।

'विमको' मैच फैक्टरी में मजदूर संघों द्वारा हड़ताल

7300. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विमको' माचिस फैक्टरी के सभी एककों के मजदूर संघों ने वेतन के संशोधन तथा अन्य मामलों की संयुक्त मांग के समर्थन में दिसम्बर, 1973 में 24 घंटे के लिए विरोध-स्वरूप हड़ताल की थी; और

(ख) क्या इन संघों ने पहले ही उनके मंत्रालय को सूचित कर दिया था कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो वे सभी एककों में लम्बी हड़ताल कर देंगे ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, 'विम्को' लिमिटेड के कुछ एककों में 14-12-1973 को एक सांकेतिक हड़ताल हुई थी। इस सांकेतिक हड़ताल से संबंधित नोटिस प्रबन्धकों को सम्बोधित किए गए थे, परन्तु उनकी प्रतिलिपियां अन्यों के साथ-साथ केन्द्रीय श्रम मंत्री को भी पृष्ठांकित की गई थीं।

देश में टिट्नेस तथा डिप्थीरिया से हुई मौतें

7301. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि केवल टिट्नेस से प्रति वर्ष 750,000 मौतें होती हैं, तथा 2 लाख बच्चे डिप्थीरिया से रोग-ग्रस्त होते हैं और 10 वर्ष तक की आयु के 60 से 70 प्रतिशत बच्चे काली खांसी से बीमार होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन-से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है और जिससे अस्पतालों के आंकड़ों से आंका जा सकता है कि रोगानुकूल जनसंख्या में इन रोगों से पीड़ित होने वालों और मरने वालों की कुल संख्या काफी अधिक है। प्राप्त सूचना के अनुसार 1971-72 के दौरान टिट्नेस, डिप्थीरिया और काली खांसी के मामलों और मौतों का एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6746/74]।

कोयला संकट को देखते हुए भिलाई और बोकारो के धातुकर्मक संयंत्रों का उत्पादन लक्ष्य

7302. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई और बोकारो में धातुकर्मक संयंत्रों के और विस्तार के लिए भारत और सोवियत संघ परस्पर सहमत हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो कोयला संकट को देखते हुए उन दो एककों का उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1974-75 के लिए भिलाई तथा बोकारो के उत्पादन लक्ष्य निम्नलिखित है :—

	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
भिलाई .	20.7 लाख टन	16.55 लाख टन
बोकारो .	1.2 लाख टन	—

ये लक्ष्य अन्य सम्बन्धित संगठनों से विचार विमर्श करने के पश्चात् इस धारणा के आधार पर निश्चित किए गए हैं कि उत्पादन में रुकावटें नहीं आएंगी। विस्तार के चरणों के लिए विस्तृत लक्ष्य निर्धारित करना समय पूर्व होगा। इन लक्ष्यों के निर्धारण में सभी प्रकार के कच्चे माल की जिसमें कोयला भी शामिल है, अपेक्षित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सहायक कार्यक्रम भी बनाने होंगे।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आप उन्हें चीनी के बारे में प्रश्न पूछने दें। जिसकी आपने पहले अनुमति नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की सहमति से हम अगली मद पर आते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

एक माननीय सदस्य : उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय सभा में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर देने को मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं, बड़े आश्चर्य की बात है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : वह आ रहे हैं । तब तक दूसरी मद ले सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE-MOTION FOR ADJOURNMENT

(प्रश्न)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम इस प्रश्न को अभी न लें (अन्तर्बाधा)। कृपया घबड़ाइए नहीं। हमें कार्य करना चाहिए। हमें अगली मद लेनी चाहिए।

पटल पर रखे गए पत्र

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मनीपुर की एक महिला पर अत्याचार के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। उसके बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न है...

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके दोनों प्रस्ताव मिल गए हैं। मैं दोनों पर ध्यान दूंगा।

अच्छा होता यदि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा नियम 377 के अधीन सूचना दी होती। मैं इसे इन दोनों में से किसी एक के अन्तर्गत रखूंगा।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में, आपको पता है कि कल बिहार पर विशेष चर्चा हो रही है और आप उस समय अपना मामला रख सकते हैं।

ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आज के लिए आग्रह न करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप दोनों पर अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा था कि मैं दोनों बातों पर ध्यान दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने नियम 377 के अधीन रखने को कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया।

आज सिंचाई और विद्युत् मंत्री भी, जब उनका विषय लिया जाना है, उपस्थित नहीं हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मशीन टूल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अजमेर और मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर के वार्षिक प्रतिवेदन एवं समीक्षा

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं श्री टी० ए० पाई की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6731/74]।

(2) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6732/74]।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं —

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने हमें सूचना दी है (अन्तर्बाधा) आपने कोई पूर्व सूचना इस बारे में नहीं दी है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : वह यहां पर नहीं हैं, अतएव मैं इन्हें रखने को खड़ा हुआ था।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आपने न केवल नियमों की अवहेलना ही की है साथ ही बिना अधिकार प्राप्त किए पत्र सभा पटल पर रखने का यत्न किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : पता नहीं क्यों, सदस्य मुझे विषम परिस्थिति में डाल देते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The Prime Minister does not sit in the House, so the other Ministers also are taking advantage of it.

उपाध्यक्ष महोदय : पता नहीं यह लोग कहां गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : आज विचित्र स्थिति हुई है कि प्रश्न काल ही भंग हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आज तो बहुत अधिक संख्या में प्रश्न लिए जा सके हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं विषय-सूची में मद संख्या 4 में लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : His papers were duly laid. Are these being laid for the second time?

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उनके पास श्री गणेश की ओर से पत्र सभा पटल पर रखने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले पत्र सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति नहीं दी थी।

Shri Hukam Chand Kachwai : Laying of papers by another Minister is not a new thing in this House. Why Shri Ganesh is being asked to lay these papers again on the Table ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गणेश को पत्र सभा पटल पर रखने को कहा था। मैं कार्यालय से पूछना चाहता था कि क्या श्री रघुनाथ रेड्डी को श्री गणेश की ओर से पत्र रखने का अधिकार था। मैंने उन्हें पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी थी। मंत्रियों को आजकल बहुत श्रम करना पड़ता है।

श्री पीलू मोदी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह कहना गलत है कि मंत्री लोग बहुत श्रम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपकी राय है। मैं श्री गणेश को पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति देता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Raghunath Reddy deliberately stood to lay papers on the Table. Is he prepared to express regrets?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है कि वास्तव में क्या बात हुई है। ऐसा हो सकता है कि श्री गणेश ने उन्हें कुछ कहा हो और वह उसकी सूचना हमें न दे पाये हों।

Shri Hukam Chand Kachwai : How he laid the papers without your permission? This is not a healthy tradition for Ministers. He should express regrets for it.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय के व्यवहार के बारे में आपकी क्या राय है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी थी।

श्री पी० जी० मावलंकर : आजकल प्राय: यह देखने को मिलता है कि वरिष्ठ मंत्री भी अनुपस्थित रहते हैं। संसद का सत्र चल रहा होता है और वह दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। क्या यह उन का ऐसा व्यवहार संसद और संसद के महान गौरव के अनुरूप है? क्या उन्हें ऐसा करना शोभा देता है? मैं इसके बारे में आप का निर्णय जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब किसी को पत्र सभा पटल पर रखने के लिए कहा नहीं जाता और वह अपने आप ऐसा कर देता है . . .

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : वह ऐसा नहीं कर सकता। आप जरा उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया?

उपाध्यक्ष महोदय : समय बचाने के लिए कई बार मैं सदस्यों को छोटे-मोटे निवेदन करने की अनुमति दे देता हूं परन्तु कई बार सदस्य महोदय पूरे जोर से बोलकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं। हमें कुछ धैर्य से कार्य करना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि श्री गणेश ने श्री रघुनाथ रेड्डी को अपने स्थान पर पत्र सभा पटल पर रखने के लिए कहा था तो भी उन्हें आपकी अनुमति लेनी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि आप फिर भी यह कह रहे हैं कि वह काफी परिश्रमी हैं। पहले एक मंत्री समय पर नहीं आया, फिर दूसरा और फिर तीसरा बिना आप की अनुमति के पत्र सभा पटल पर रखने लग गया। आखिर सदन में यह सब क्या हो रहा है?

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : श्री रघुनाथ रेड्डी ने बिना आपकी अनुमति के ऐसा कार्य किया है जो आपके मतानुसार एक मंत्री को शोभा नहीं देता। उन्हें इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री मोहन राज कालिंगराया (पोल्लाची) : उन्हें सभा से क्षमा याचना करनी चाहिए ।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर): आज दरअसल ऐसा हुआ कि प्रश्न काल तीन चार मिनट जल्दी समाप्त हो गया। सिंचाई और विद्युत मंत्री कुछ देर से आए । प्राय: 12.30 मिनट पर पत्र सभा पटल पर रखे जाते है। आज यह सारा कुछ जरा सामान्य समय से पूर्व हो गया । सम्भवतया इसी कारण ऐसा हुआ।

श्री पीलू मोदी : यह मामला दो मुख्य बातों पर आधारित है। प्रथम बात तो संसदीय गौरव की है और इस बारे में हमारे मंत्री तनिक भी चिंतित नहीं हैं। श्री रघुनाथ रेड्डी ने संसदीय परम्पराओं के विपरीत श्री गणेश के लिए कुछ करने का प्रयास किया ।

दूसरी बात इस संदर्भ में यह है कि मंत्री महोदय अनुपस्थित रहते हैं। आए दिन उनकी अनुपस्थिति बढ़ती जा रही है। वास्तविकता यह है कि वह देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। परन्तु यह कहना भी उचित नहीं है कि वह सो रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : आज स्थिति यह है कि वरिष्ठ मंत्री भी उस समय राजधानी से बाहर चले जाते हैं जब सदन में उनके मंत्रालय से संबद्ध मामलों पर विचार किया जा रहा होता है। यह संसदीय परम्पराओं के पूर्णतया प्रतिकूल है। मंत्रियों द्वारा संसदीय परम्पराओं को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है।

श्री के० आर० गणेश : आज की असामान्य परिस्थितियों से आप भलीभांति परिचित हैं । आज प्रश्नकाल कुछ मिनट जल्दी समाप्त हो गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज विचार ही नहीं किया गया। मैं यहां 12 बजे उपस्थित हो जाता परन्तु मैं किसी विशेष कार्य में व्यस्त था इसलिए मैंने श्री रघुनाथ रेड्डी को सूचित किया कि वह मेरी ओर से पत्र सभा पटल पर रख दें। मैं 12 बज कर दो मिनट पर पहुंच ही गया था । यह इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितना कि इसे महत्व दिया जा रहा है । मैं तो इस सदन में कई-कई घंटे उपस्थित रहता हूं। मुझे लगभग प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर पत्र सभापटल पर रखने होते हैं और मैं घंटों उसके लिए प्रतीक्षा करता रहता हूं।

श्री के० रघुरामैया : जो कुछ कहा गया है उसके संदर्भ में मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को यहीं समाप्त कर दें। आज की हमारी कार्यवाही कुछ आसमान्य रूप से ही चलती रही। मंत्री महोदय बिना किसी अत्यावश्यक कार्य के कभी सदन तथा सत्र के दौरान दिल्ली से अनुपस्थित रहने का प्रयत्न नहीं करते। अत: सदन से मेरा निवेदन है कि हमें यह मामला यही समाप्त कर देना चाहिए और अगले विषय पर विचार आरंभ कर देना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए।

Kumari Manibehan Patel (Sabarkantha): The Ministers are not available even during Question Hour. Ten years before, it never happened. The Ministers must present themselves at least 5 minutes advance before their concerned items are taken up for discussion.

उपाध्यक्ष महोदय : खैर अब हमें यह मामला यहीं समाप्त करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में केवल यही कह सकता हूं कि शायद इसमें दोष मेरा ही था कि मैं काफी तेज गति से सदन की कार्यवाही चलाता रहा। आज हमने 12 प्रश्नों पर चर्चा की और आठ सदस्य अनुपस्थित थे अत: प्रश्न काल दो चार मिनट शीघ्र ही समाप्त हो गया ।

मंत्री महोदय सत्र के दौरान संसद भवन में ही रहते हैं। उनके सचिव भी उन्हें सदन की कार्यवाही से अवगत कराते रहते हैं और उनके कार्यालयों में भी ऐसी व्यवस्था रहती है कि वह वहीं बैठे-बैठे सदन की कार्यबाही सुन सकते हैं। अतः उन्हें अपने विषय के आरंभ होने से पांच से दस मिनट पूर्व यहां आ जाना चाहिए।

श्री गणेश ने यह बताया है कि जब उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने यह पाया कि वे यहां पर समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। तब उन्होंने श्री रघुनाथ रेड्डी को उनकी ओर से यह काम करने को कहा। जब उनकी ओर से श्री रघुनाथ रेड्डी सभा पटल पर पत्र रखने के लिए उठे तो मुझे इस बात का नहीं पता था। मुझे क्योंकि इस बात की सूचना नहीं दी गयी थी इसी कारण मैंने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। उसी समय श्री गणेश यहां पर प्रवेश कर रहे थे। यह मामला अब समाप्त समझा जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1974-75 के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों की हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

1. संचार मंत्रालय
2. वित्त मंत्रालय
3. सिंचाई और विद्युत मंत्रालय
4. श्रम मंत्रालय
5. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
6. निर्माण और आवास मंत्रालय

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6733/74]

दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, 1959 के अधीन अधिसूचना

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 47 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 29 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ०–4(16)/74/सी०आई०एस०/लिब में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) :

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6734/74]

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन भारत अर्थ मूवर्स का वार्षिक प्रतिवेदन तथा नौसेना (वेतन तथा भत्ते) संशोधन विनियम।

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 6735/74]

(दो) भारत अर्थ मूवर्ज लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 6736/74]

(2) नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (वेतन तथा भत्ते) संशोधन विनियम 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल 1974 में अधिसूचना संख्या सा० नि०-आ० 9-ङ में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी०** 6737/74].

त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा हैवी इंजिनियरिंग लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड, नैनी इलाहाबाद, के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड नैनी इलाहाबाद का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणिया। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**/6738/74]

(2) (एक) हैवी इंजीनिरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी०** 6739/74]

सदस्यों की दोष सिद्धि
CONVICTION OF MEMBERS
[श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री भारत सिंह चौहान)]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पुलिस अधीक्षक भोपाल से अध्यक्ष के नाम प्राप्त दिनांक 17 अप्रैल, 1974 के एक तार की सूचना सभा को देनी है जिसमें बताया गया है कि सर्वश्री अटल बिहारी बाजपेयी और भारत सिंह चौहान, सदस्य लोक सभा, को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दोषी सिद्ध पाया गया और उन्हें 16 अप्रैल, 1974 को न्यायालय के उठने तक कारावास की सजा दी गयी।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
122 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (डाक और तार) पर लोक लेखा समिति का 122वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES
(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए 29 जून, 1974 से आरम्भ होने वाले अगले कार्यकाल के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए 29 जून, 1974 से आरम्भ होने वाले अगले कार्यकाल के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करते हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

(दो) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामाराव (राजामुन्दरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री एस० ए० खाजा मोहिदीन तथा संदा नारायणप्पा की राज्य सभा से निवृत्ति के कारण लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के दो सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री एस० ए० खाजा मोहिदीन तथा संदा नारायणप्पा की राज्य सभा से निवृत्ति के कारण लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसरण एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के दो सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

41 वाँ प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन से, जो 17 अप्रैल, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन से, जो 17 अप्रैल, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

नियम 377 के मामले

MATTER UNDER 377

(एक) मणिपुर पर्वतीय क्षेत्रों में सीमासुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा स्त्रियों तथा लडकियों का कथित बलात्कार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मणिपुर पूर्व जिला में नियुक्त सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा मणिपुर तथा नागा स्त्रियों के साथ बलात्कार की घटनाएं की जा रही हैं। उनकी वहां पर नियुक्ति उस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा

के लिए की गई है । परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। 4 मार्च, 1974 की रात्रि के 9.30 बजे स्थानापन्न कमान्डर, मेजर पांडे तथा सहायक कमान्डर, केप्टन नागी ने पिस्तौल दिखाकर न्गादरूम की मिस रोज से बलपूर्वक बलात्कार किया उस लड़की ने आत्म हत्या करके अपना जीवन समाप्त किया । इसी प्रकार सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों का एक दल रात्रि के 11.30 बजे मेजर धन प्रकाश के नेतृत्व में ग्रिहंग गांव गया । उस दल ने वहां जाकर बलात्कार व दमन कार्य किए । 5 मार्च, 1974 को एक स्कूल अध्यापिका को गिरफ्तार करके उसे नग्न करके बेहोश होने तक पीटा । इसी प्रकार की घटना 6 मार्च को हुई । सीमा सुरक्षा बल के उप-महानिरीक्षक अपने नाम को धब्बा न लगने देने के विचार से इस प्रकार के घृणित कार्य करने वालों को प्रश्रय दे रहे हैं ।

यह सब घटनाएं अत्यन्त शर्मनाक हैं और गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री ज्योतिर्मय बसु ने सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा स्त्रियों के साथ कथित बलात्कार के बारे में नियम 377 के अधीन सूचना 10 बजे दी थी । इसकी सूचना भी श्री उमा शंकर दीक्षित को अवश्य पहुंची होगी । परन्तु फिर भी वह सभा से अनुपस्थित हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को जानते हुए भी कि यह मामला सभा में उठाया जाने वाला है क्या वे इस प्रकार अनुपस्थित रह सकते हैं ? उन्हें सभा में बुलाया जाए और सदन से क्षमा मांगने को कहा जाए व वक्तव्य देने को कहा जाए ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : गृह मंत्रालय के तीन मंत्रियों में से एक भी मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं । क्या यह सभा का अपमान नहीं है ?

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं नियम 377 और इसके उपयोग के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष पीठ का विशेष कर्तव्य है । यदि कोई इस प्रकार का मामला नियम 377 के अधीन उठाया गया हो जिसमें सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया अपेक्षित हो तो उस प्रकार के मामले में अध्यक्ष पीठ को इस प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए । मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि जब तक अध्यक्ष पीठ द्वारा उन्हें कोई आदेश न दिया जाए तब तक उनकी अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं । इस प्रकार के आरोपों का तत्काल उत्तर दिया जाना चाहिए विशेष रूप से उस समय जबकि यह आरोप सीमान्त क्षेत्रों से सम्बन्धित हो । इस अवसर पर भी आप को मंत्री महोदय को सभा में उपस्थित हो कर पूरा उत्तर देने को कहना चाहिए ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह आरोप बहुत ही गंभीर है । सरकार को इनकी सचाई के बारे में शीघ्रता से कुछ कहना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप का अनुरोध है व्यवस्था का प्रश्न नहीं । तथ्य यह है कि 10 बजे सुबह के लगभग मुझे श्री ज्योतिर्मय बसु के स्थगन प्रस्ताव का पता लगा । मैंने मामले की गंभीरता को तो समझा परन्तु इसे स्थगन प्रस्ताव के उपयुक्त नहीं समझा । यह कुछ व्यक्तियों के गलत कार्य हैं न कि भारत सरकार की असफलता की बात है । इसी कारण मैंने इसे नियम 377 के अधीन स्वीकार किया । इस मामले को 11 बजे से कुछ समय पूर्व स्वीकृत किया गया । हम मंत्रियों को इस प्रकार के मामलों की सूचना देने के प्रयास करते हैं परन्तु कई बार कम समय के कारण

सूचना नहीं दी जा सकती अथवा उनके पास उपलब्ध नहीं होती । इस अवसर पर अल्प सूचना के कारण गृह मंत्री पर अनुपस्थित होने का आक्षेप नहीं लगाया जा सकता । यह बहुत ही गंभीर व घृणित घटनाएं हैं । फिर ये घटनाएं देश के बहुत ही नाजुक क्षेत्र में घटी हैं ।

इस प्रकार के क्षेत्रों में विद्रोह की घटनाओं के समाचार आए दिन समाचारपत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं । अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि भारत के अन्य भागों से असम, नागालैण्ड, मिजोरम आदि क्षेत्रों में गए लोग यह समझते हैं कि वहां पर रहने वाले मनुष्य नहीं अतः उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है और उस व्यवहार के बारे में कोई भी उंगुली नहीं उठाएगा । मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि इस प्रकार की बातों की गंभीरता को समझा जाए और इनके बारे में पूरी तरह से जांच की जाए । यदि यह बातें सच हों तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मुझे आशा थी कि आप इस मामले में अपनी व्यवस्था देंगे । क्या इससे मैं यह समझूं कि नियम 377 का उपयोग केवल किसी मामले को यहां पर उठाने के लिए ही किया जा सकता है । इस प्रकार के आरोपों पर सरकार यदि तत्काल कुछ न कहे तो उसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं । अतः इनका तत्काल उत्तर दिया जाना जाहिए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराए) : यह समाचार पहले समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुआ था परन्तु सरकार ने उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया । इस प्रकार के मामलों में सरकार को समाचारपत्रों के समाचारों की ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बजगरा) : स्थानीय व्यक्ति होने के नाते आप को उस क्षेत्र की स्थिति की अधिक जानकारी है । परन्तु फिर भी अध्यक्ष पीठ द्वारा जो विचार इस मामले में आज प्रकट किए गए हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं **(अन्तर्बाधाएं)** । मेरे क्षेत्र के अनेक व्यक्ति उन क्षेत्रों में गए हैं और उन्होंने वहां सेवा की । स्थानीय लोगों ने उनकी काफी प्रशंसा की है । हम इस प्रकार की घटनाओं की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि गृह मंत्री दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं उनका गलत प्रयोग किया जा सकता है । **(अन्तर्बाधाएं)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ विचार व्यक्त किए हैं और साथ ही कुछ निदेश जारी किए हैं कि गृह मंत्री इस सम्बन्ध में पूर्ण जांच करके सभा को तथ्यों से अवगत करें । वे यहां पर उपस्थित हैं और यदि चाहें तो कह सकते हैं अथवा हम मामले को यहीं पर समाप्त कर सकते हैं ।

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : मैं अधिक कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं । हम इन आरोपों की जांच करेंगे और सदन को परिणामों से अवगत करा दिया जाएगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गृह मंत्री के पास जानकारी उपलब्ध है । मैं पिछले सात दिनों से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूं और हर बार उसकी प्रति गृह मंत्री के पास जाती रही है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This matter has already been reported in the Press. But the manner in which it has been raised in the House to-day, it should not create an impression in the country that such actions of Police officers are not taken notice of in Parliament or in the rest the country. It is a unanimous view of the House that stern action should be taken in such matters. We have to see that such things do no en in future.

श्री उमाशंकर दीक्षित : मुझे भी इससे बहुत दुख हुआ है । इसकी पूरी जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि गृह मंत्री ने अपनी चिंता व्यक्त की है और कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है । सदन में व्यक्त चिंता से वहां के लोगों को पता चलेगा कि देश के लोगों के उनके प्रति क्या विचार हैं ।

(दो) "लिम्का" की बोतल में कीड़े मकोड़े पाया जाना)

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : मैं शीतल पेय की बोतलें भरने वाली कम्पनियों और विशेष रूप से लिम्का भरने वाली कम्पनी के कार्यकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । लिम्का की एक बोतल मेरे पास है जिसमें छोटे बड़े अनेक कीड़े हैं । देश के लाखों व्यक्ति इन्हें पीते हैं । इन कम्पनियों के कार्यकरण की जांच की जाए कि क्या इनके कार्यकरण की परिस्थितियां स्वास्थ्य प्रद हैं अथवा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी कल अथवा परसों हमने औषध अपमिश्रण के मामले पर विचार किया था । देश में औषधियों अथवा खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण आज बहुत साधारण बात हो गई है अतः इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि इस बोतल को स्वास्थ्य मंत्री को भेजा जाए वे इस बारे में जांच करें ।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर

श्री समर गुह (कंटाई) : : मैं नियम 377 के अन्तर्गत आप का ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संस्थान, आई० आई० टी० खड़गपुर में उत्पन्न गंभीर परिस्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । इण्डियन टौबैको कम्पनी के चेयरमैन को इस संस्थान के गवर्नर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है । पता नहीं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसको कितना ज्ञान है । इस व्यक्ति ने एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को 1800 रुपया प्रतिमास वेतन पर गवर्नर बोर्ड के चेयरमैन के मुख्य व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त कर लिया है । इस कार्य के लिए प्रक्रिया तथा सभी नियमों का उल्लंघन कर दिया गया है । उसने इण्डियन टोबैको कम्पनी के एक अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर लिया है । पहले व्यक्ति का नाम है श्री ए० एन० हक्सर, दूसरे का श्री ए० एम० शर्मा तथा तीसरे का श्री बरुआ । **(व्यवधान)**

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : वह बंगाली बरुआ है ।

श्री समर गुह : तीनों व्यक्ति इण्डियन टोबैको कम्पनी के हैं । इस चेयरमैन ने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को काकटेलपार्टी पर आमंत्रित किया । इनका मूल उद्देश्य संस्थान के निदेशक श्री बसु और रजिस्ट्रार को खदेड़ना है । इस आशय का पत्र भी शिक्षा मंत्री को लिखा गया है । यह व्यक्ति चेयरमैन बनने पर भी संतुष्ट नहीं है । उसने प्रो० नुरुल हसन को लिखे गए पत्र में स्पष्ट आकांक्षा व्यक्त की है कि वह प्रबन्ध संस्थान का चेयरमैन भी बनना चाहता है । उसने मंत्री महोदय को सुझाव दिया है कि वहां डीन के चार पद होने चाहिए तथा उन पर उसकी रुचि के व्यक्ति नियुक्त किए जाएं ।

पत्रकार एसोसिएशन के संकल्प में, जिसकी एक प्रति मैं आप को दे चुका हूं, इस सम्पूर्ण कार्यकलाप की भर्त्सना की गई है । जब इतने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संस्थान का संचालन

ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपा जा रहा है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है, तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा।

महोदय, मैंने आपको सम्बन्धित कागजात दे दिए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या डा० त्रिगुन सेन या डा० गिल जैसे प्रसिद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों को खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की देखभाल का कार्य सौंपा जाएगा? यदि सरकार ने उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो किसी भी अप्रिय घटना के लिए हम विद्यार्थियों को दोषी नहीं ठहरा सकते। सभा को उन कार्यकलापों से भी अवगत कराया जाए जो इस बीच वहां घटित हुए हैं तथा मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही तथा मुझे दिया गया पत्र सम्बद्ध मंत्री को भिजवा दिया जाए।

(चार) बम्बई में पुलिस द्वारा एक हरिजन युवक को नंगा कर और उसका मुंह काला कर घुमाने का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, the cases of atrocities on Harijans are occuring in various parts of the country. But what has happened in Bombay, which is a metropolitan city, is unprecedented. A Harijan youth was otripped naked and his face was blackened by the police before he was taken in procession to the police station. This is a serious incident and it may create a chain reaction in the country. I request that the hon. Minister should inquire into the matter ano let the House know about it.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय इस मामले की तुरन्त जांच करायें तथा एक वक्तव्य दें। वहां के सम्बद्ध असिस्टेंट पुलिस इन्स्पेक्टर को तुरन्त मुअत्तिल किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह समाचार 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ था। यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। इसी समाचारपत्र में यह भी प्रकाशित हुआ है कि पूना में करामोली ग्राम में 14 वर्षीया एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार के मामले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

नागालैण्ड और मनीपुर में घटित घटना पर सम्पूर्ण सदन चिन्तित था। मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि (**व्यवधान**) वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें तथा हरिजनों में व्याप्त भय को दूर करने का प्रयत्न करें।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

'देश के उत्तरी क्षेत्र में भारी बिजली संकट का समाचार'

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय! मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"देश के उत्तरी क्षेत्र में भारी बिजली संकट का समाचार"

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : महोदय ! वक्तव्य देने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम में से बहुत से कमरों में लाउडस्पीकर नहीं हैं जैसा कि आपने कहा था कि हमें अपने कमरों में लगे लाउडस्पीकरों को सुनना चाहिए। यदि आप हमारे लिए यह व्यवस्था करा दें तो हमें बहुत सुविधा होगी। आपने यह भी कहा था कि हमें जल्दी संसद-भवन आना चाहिए। मैं सुबह 10 बजे से यहां हूं। मुझे अपने कमरे से यहां तक आने में लगभग चार मिनट लगते हैं। तीसरी बात यह है कि मैं अभी तक पंजाब सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किए था तथा यथा सम्भव तथ्य जुटाने का प्रयत्न कर रहा था। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना था।

भाखड़ा-नंगल तथा दिल्ली का सम्पर्क एक द्वविपरिपथ 220 के० वी० पारेषण लाइन द्वारा बना हुआ है। इस लाइन द्वारा सामान्यतः लगभग 300 मेगावाट विद्युत् का पारेषण किया जाता है जिसमें से 80 मेगावाट दिल्ली को, 20 मेगावाट पंजाब को तथा शेष हरियाणा तथा चण्डीगढ़ को दी जाती है। इस लाइन का एक एंगल टावर, इसके दो धायी को भू-स्तर के निकट से काट दिए जाने के परिणामस्वरूप, 15 और 16 अप्रैल, 1974 के बीच रात के 2 बजकर 15 मिनट पर गिर गया। पंजाब राज्य सरकार का सन्देह है कि तोड़-फोड़ की इस घटना का संबंध पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल से है। इस घटना के कारण दिल्ली के साथ साथ हरियाणा तथा चंडीगढ़ को विद्युत् सप्लाई में रुकावट आई है। हरियाणा और चण्डीगढ़ को इस क्षेत्र में लगे हुए अन्य पारेषण सम्पर्कों द्वारा भाखड़ा प्रणाली से विद्युत्-सप्लाई करने की व्यवस्था करना तथा अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखना संभव हो पाया है। बहरहाल, इस प्रकार की सप्लाई की जा रही विद्युत् की मात्रा सामान्य सप्लाई से बहुत कम है।

इस लाइन के गिर जाने के परिणामस्वरूप केवल हरियाणा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़ को ही विद्युत् की सप्लाई में कमी की जा रही है। क्योंकि सुपर हीटर ट्यूब लीकेज के कारण इन्द्रप्रस्थ केन्द्र के 62.5 मेगावाट के एक सेट को 14 अप्रैल, 1974 से मजबूरन बन्द रखना पड़ा, इसलिए 17 अप्रैल, 1974 को दिल्ली में विद्युत् उत्पादन 200 मेगावाट ही था। इसके अतिरिक्त, 16 अप्रैल के अपराह्न को एक सुपर हीटर ट्यूब लीकेज होने के कारण बदरपुर केन्द्र में 100 मेगावाट के एक यूनिट को बन्द करना पड़ा। प्रत्याशा है कि इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में 62.5 मेगावाट के सेट को आज ही चालू कर दिया जाएगा। बदरपुर केन्द्र के भी आज पुनः चालू होने की संभावना है।

सामान्य समय में लगभग 30–35 मेगावाट और व्यस्ततम समय में लगभग 60–65 मेगावाट की कमी के परिणामस्वरूप दिल्ली में लोड शैडिंग करना पड़ा। दिल्ली को उत्तर प्रदेश द्वारा 20 मेगावाट विद्युत् दिए जाने के बावजूद भी यह स्थिति थी। बहरहाल, दिल्ली में अब फिर से विद्युत् की सामान्य सप्लाई की जा रही है।

दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में 62.5 मेगावाट के सैट के फिर से चालू हो जाने से हरियाणा को कुछ और राहत मिल जाएगी। बहरहाल, बदरपुर केन्द्र और 220 के० वी० पारेषण लाइन के फिर से चालू हो जाने से ही स्थिति में विशेष सुधार हो सकेगा। चंडीगढ़ की स्थिति में सुधार केवल 220 के० वी० पारेषण लाइन के पुनः चालू करने से ही हो सकता है।

भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के प्रवर अभियंता कार्य-स्थल पर मौजूद है और मरम्मत करने के उपरान्त टावर को खड़ा करने तथा लाइन को पुनः चालू करने के लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि एक सर्किट 20 अप्रैल, 1974 को अर्जित कर दिया जाएगा।

जबकि केवल एंगल टावर के गिरने से पंजाब में विद्युत् की सप्लाई प्रभावित नहीं हुई, परन्तु ऐसी रिपोर्ट मिली है कि राज्य में बहुत सी पारेषण लाइनों में गड़बड़ी की गई है और तोड़-फोड़ की कार्रवाई द्वारा उनके कार्य में रुकावटें डाली गई हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषि और उद्योग को विद्युत की सप्लाई अस्त-व्यस्त हो गई है। कुछ शहरी क्षेत्रों में जल की सप्लाई पर भी प्रभाव पड़ा है।

पंजाब सरकार ने पारेषण लाइनों तथा उप केन्द्रों की तोड़-फोड़ के प्रति सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय कर दिए हैं। गश्त-कार्य में तेजी लाई गई है और विद्युत् पारेषण प्रणाली की सुरक्षा की देख-रेख में सहायता करने के लिए ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त किया गया है।

तोड़-फोड़ की इन कार्रवाइयों की निन्दा की जानी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी कार्रवाईयां बृहत क्षेत्र में सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप को काफी हद तक अस्त-व्यस्त कर देती हैं और आम जनता को अनावश्यक कष्ट पहुंचाती हैं।

Shri M. C. Daga : Mr. Deputy Speaker, sir, it is a matter of great dissatisfaction that in India the per capita consumption of electricity is 72 kw while it is 6,612 kw. and 8,111 kw. in America and Canada respectively. Besides, supply of electricity is disrupted time and again causing great hardship to people. In Faridabad 50,000 workers are sitting idle. The hon. Minister has said that engineers have been deputed on this job. I am grateful to him for this.

Badarpur station was set up only three month ago. What are the reasons for the failure of the tubes in that plant so soon? Who is responsible for this?

Goods worth crores of rupees are to be exported from Faridabad. But due to the shortage of electricity factories are closed there. It is also a matter of concern that the Chairman of various State Electricity Boards are not technical hands.

I would like to know the reasons for the strike organised by the employees of Punjab Electricity Board? What are their demands? Why have they not been paid interim relief? I would suggest that in case of power failure, consumers should be entitled to compensation.

May I know whether cases are registered against persons involved in sabotage? Have those persons been arrested so far? Who were these persons? According to the report which appeared in the 'Indian Express' there was considerable resentment among Electricity Workers and engineers against interference by the officials and bureaucrats in the working of power house. May I know the reasons for which Government have not taken any steps to solve the problems of the technical staff working in power houses?

May I also know the number of cases of power break-down in Delhi during the last one year and the extent to which the production was affected as a result thereof? (*Interruptions*). What is the justification in providing this much electricity for coolers and airconditioners in Delhi in these circumstances? May I know the preventive measures taken by Government in this regard? Are transmission lines checked regularly?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक बदरपुर बिजली घर का प्रश्न है वहां से उत्तर प्रदेश को 100 मैगावाट यूनिट बिजली जाती थी तथा पंजाब और हरियाणा को 2-2 लाख यूनिट बिजली जाती थी। अब कुछ दिनों से हरियाणा को केवल 2 लाख यूनिट बिजली जाती है तथा शेष उत्तर प्रदेश को जाती है। इससे दिल्ली या पंजाब में बिजली सप्लाई पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

नया संयंत्र होने के कारण इसमें आरम्भ में आने वाली कुछ कठिनाइयां हैं। मुख्य कारण यह है कि इसे एक ही किस्म का कोयला सप्लाई नहीं किया जाता जिससे कभी-कभी भट्टी में ताप बहुत अधिक हो जाता है जिससे ट्यूबें खराब हो जाती हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि तीन बार बिजली फेल होने की घटनाएं हुई हैं एक बार फरवरी में दूसरी बार मार्च में तथा तीसरी बार अप्रैल में। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि भट्टी के ताप को नियन्त्रित रखा जाये जिससे ऐसी घटनायें न हों। जहां तक दिल्ली में बिजली सप्लाई बन्द होने का प्रश्न है। मेरे विचार से जब से मैं इस मंत्रालय में हूं तब से यह पहली ही घटना है।

जहां तक पंजाब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल का प्रश्न है यह समस्या पंजाब सरकार तथा उसके कर्मचारियों द्वारा परस्पर बात-चीत करके सुलझाई जानी चाहिए थी। केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध मजूरी के मार्गदर्शी सिद्धान्तों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों तक है तथा ये सिफारिशें भी ऐसी नहीं हैं जिन्हें स्वीकार करने के लिये सरकार बाध्य हो अन्य समस्याओं का सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में मामले दर्ज किये हैं तथा मुझे सूचना मिली है कि पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार के सहयोग से सम्बन्धित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया है। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य ने मुझ से तोड़-फोड़ की गतिविधियों के कारण पूछे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि संभवतः इसका कारण यह है कि तकनीशियनों को पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते। वास्तव में ऐसी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं तथा इनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की भर्त्सना की जानी चाहिए।

बिजली की कमी की स्थिति में बिजली के अनावश्यक उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में राज्यों से बातचीत की गई है। ऐसे अवसरों पर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को बिजली की सप्लाई जारी रखी जाती है।

श्री धामनकर (भिवण्डी) : यह अत्यन्त खेद की बात है कि ऐसी स्थिति में जब देश में गम्भीर बिजली संकट विद्यमान है कुछ लोग देश की शान्तिप्रिय जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। गत तीन वर्षों से देश के सभी भागों में बिजली सप्लाई बन्द होने की अनेक घटनाएं हुई हैं। जिनमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। मुझे ज्ञात नहीं है कि पांच क्षेत्रीय ग्रिडों की तथा क्षेत्रीय बिजली बोर्डों की अभी तक स्थापना हुई है या नहीं? क्या उनका कार्य कुशलता पूर्वक चल रहा है या नहीं और क्या उन बोर्डों में समन्वय स्थापित है कि नहीं?

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस बिजली बन्द होने तथा बिजली की कमी का कारण उत्तरी क्षेत्र बिजली बोर्ड का असंतोषजनक कार्यकरण है?

(2) क्या सरकार बिजली उत्पादन संयंत्रों तथा वितरण केन्द्रों के प्रबन्ध में श्रमिकों के सहयोग की नीति पर विचार करेगी क्योंकि जब तक श्रमिक असंतुष्ठ रहेंगे ऐसी घटनाएं होनी अनिवार्य हैं?

(3) इस समस्या की पुनरावृत्ति रोकने के लिये दीर्घावधि और अल्पावधि क्या उपाय किये जाएंगे?

(4) मंत्री महोदय 18 प्रतिशत के ट्रांस्मीशन के घाटे को किस प्रकार कम करेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : गत वर्ष जून के महीने तक देश के विभिन्न भागों में बिजली की कमी थी । उसके पश्चात कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। लगभग नवम्बर के महीने से देश के बहुत से भागों में जब रबी की फसल के लिये सिंचाई कार्यों के लिये बिजली की मांग बढ़ी तब स्थिति अधिक खराब होती गई। वास्तव में बिजली सप्लाई की स्थिति भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की है। किन्हीं क्षेत्रों में बिजली फालतू भी है ।

जहां तक क्षेत्रीय ग्रिडों का सम्बन्ध है दक्षिणी ग्रिड अच्छा कार्य कर रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उत्तरी क्षेत्र में वहां के ग्रिड का कार्य दोषपूर्ण रहा है जिसमें बिजली संकट उत्पन्न हुआ है । (**व्यवधान**) राज्य बिजली बोर्डों में समन्वय स्थापित है। यह केवल औपचारिक समन्वय का ही प्रश्न नहीं है अपितु वास्तविक समन्वय है और हमने देखा है कि जब कभी कोई कठिनाई होती है तो कुछ राज्य अपनी आवश्यकता में कटौती करके पड़ौसी राज्य की सहायता करते हैं । अतः इस सम्बन्ध में मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है ।

जहां तक अल्पावधि और दीर्घावधि उपायों का सम्बन्ध है, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि पांचवीं योजना में दीर्घावधि परियोजनाओं के लक्ष्य प्राप्त हों और हम राज्यों के सहयोग से ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि राज्य ही अधिकांश परियोजनाएं लगाते हैं । जहां तक अल्पावधि उपायों का सम्बन्ध है, हम जहां तक संभव है, परियोजनाओं को पूरा करने, प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने आदि का प्रयास कर रहे हैं। बिजली की उपलब्धता तत्परतापूर्वक बढ़ाने का यही सर्वोत्तम और एक मात्र उपाय है। पारेषण हानियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने स्थिति में सुधार करने हेतु, कतिपय योजनाएं आरम्भ की हैं जो लगभग 22 हैं। उद्योग और कृषि को भी इस मामले में सहयोग करना है। जहां तक श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारी श्रमिकों के प्रति सिद्धान्ततः सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व हो और सरकारी क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व के लिये सदैव प्रयास किया जाता है। जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है यदि श्रमिक असंतुष्ट होंगे तो तोड़-फोड़ करेंगे, इस बारे में मेरा यही कहना है कि हमें ऐसी गतिविधियों की निन्दा करनी चाहिये ।

हम यह नहीं चाहते कि मजदूर संघ की गतिविधियों के नाम पर तोड़-फोड़ की गतिविधियां हों । हमें तोड़-फोड़ करने वालों को अलग-थलग रखना चाहिये और यदि कोई ऐसी गतिविधियों में भाग लेता है तो उसे जनता का शत्रु समझा जायेगा ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There was an acute shortage of power during the last few days and the hon. Minister has stated that he has been trying to find out a solution to this problem. We are thinking to find out the ways to remove the difficulties arisen in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh and Delhi out of the strike called by 30 thousand employees of the Punjab State Electricity Board. In the statement made by the hon. Minister, a word about strike has been mentioned and sabotage has also been mentioned. But I say with regret that the hon. Minister has tried to hit 30 thousand employees by using the word 'sabotage'. I shall condemn it. After settling the strike called on January 9, the Punjab State Electricity Board deducted one day's salary of the employees and served notice of retrenchment on 10 thousand work-charge workers. This action resulted in another strike.

The Punjab State Electricity Board did not pay Rs. 30/- as interim relief to its employees as it was recommended by the Electricity Wage Guidelines Committee while 11 State Electricity Boards implemented the Committees recommendations. The hon. Minister has said nothing about the demands of the employees of 20 per cent bonus and 50 per cent promotion of the working employees. The hon. Minister's duty cannot be over by saying that it is a state matter. Is the hon. Minister willing to advise the Punjab State Electricity Board to settle this dispute or not? What do they want to say about the victimisation of the employees?

Will the hon. Minister like to say something about supplying electricity uninterruptedly to the hospitals and nursing homes which are essential services when the strike is going on?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं समझता हूं कि अस्पताल और नर्सिंग होमों को हड़ताल के प्रभाव से अलग रखा जाना चाहिये । यदि माननीय सदस्य इस मामले में अपने पद का उपयोग करें तो उससे निश्चय ही पंजाब सरकार को सहायता मिलेगी ।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि कुछ राज्यों ने अन्तरिम राहत के रूप म 30 रुपये दे दिये हैं और कुछ ने नहीं दिये हैं । यह ऐसा मामला है जिस पर प्रत्येक राज्य को अपने मजूरी ढांचे को दृष्टिगत रखते हुए विचार करना होता है ।

Shri Ramavtar Shastri: The question of retrenchment of ten thousand workers is a serious matter.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : पंजाब सरकार ने इस मामले को निपटाने के लिये कुछ कार्यवाही की है । हमें इस मामले में राज्य सरकार को सलाह देने की जरूरत नहीं है । यह मामला राज्य सरकार और उसके कर्मचारियों का है । यदि माननीय सदस्य सलाह दें तो उसका काफी प्रभाव होगा तोड़-फोड़ की गतिविधियों के बारे में श्री शास्त्री ने केवल इतना ही कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे । मैं उनसे यह आशा करता हूं कि वह खड़े होकर यह कहें कि मैं तोड़-फोड़ करने वालों की निन्दा करता हूं । ऐसा कहने का बहुत प्रभाव होगा । परन्तु उन्होंने तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के मामले को इस प्रकार उलझा दिया जिससे सभी श्रमिकों की निन्दा की जाये । मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह सभी श्रमिकों की निन्दा न करें ।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि तोड़-फोड़ करने वाले कौन हैं ?

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak): The hon. Minister has tried to give another shape to the subject matter of the Calling Attention Motion.

They say that agricultural production should go up. But not only the agricultural production in Punjab and Haryana is going to be affected but the industries are also going to be hit hard. I do not think if there is scarcity of power and energy in the country. The Government is unable to find out the solution to the issue of power failure. Has the Government ever tried to find out the reasons of the strike. The employees are being victimised. This problem is not going to be solved by posing threats of penal action and physical force. When the employees go on strike, agricultural and industrial production suffer severely. Has the Government considered over it as to what are the demands of the employees and what are their financial implications. If employees are made satisfied by making a little payment to them, heavy losses will not be there.

There is power crisis in the whole north region to-day. It is reported in the newspapers that 10,000 employees in U.P. are facing unemployment due to power crisis. Once I urged upon the Government to have uniform pay-scales throughout India. There is no co-ordination between States and the Central Government to deal with this matter. Therefore, I suggest that there should be a separate Ministry for dealing with this matter. At the same time, may I know whether the Government has made any stand-by arrangement till date for dealing with the power breakdowns?

It is learnt that private entrepreneurs in U.P. have been allowed to produce electricity, I request the hon. Minister to allow the private sector to produce electricity so that the power shortage can be met.

Lastly, I would like to urge upon the Government to have negotiations with the employees and try to solve the problem.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं जानता हूं कि बिजली की स्थिति ऐसी है कि कृषक और श्रमिक पहले की अपेक्षा आजकल बिजली पर अधिक निर्भर करते हैं।

मैं श्री मलिक से इस बात पर सहमत हूं कि बिजली की कमी के कारण हरियाणा में उद्योग तथा कृषि को नुकसान पहुंचा है। मैं यह कह चुका हूं कि प्रत्येक राज्य ने बिजली की कमी को दूर करने के लिये परस्पर सहयोग किया है।

मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बिजली की कमी के कारण स्थिति जटिल है। मैंने 'ब्रेकडाउन' के कारणों की जांच की है। जहां तक हड़ताल का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में बातचीत करने की आवश्यकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : डा० के० एल० राव के कार्यकाल में समूचे भारत के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी। मंत्री महोदय भी ऐसा कर सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जब मैं इस पृष्ठभूमि के बारे में बता रहा था तब माननीय सदस्य यहां नहीं थे।

जहां तक नये मंत्रालय के गठन का सम्बन्ध है, वह इस प्रश्न से परे है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लूंगा। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। बिजली चले जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था राज्यों में सुदृढ़ ग्रिडों की स्थापना है जिससे आवश्यकता पड़ने पर एक बिजली स्टेशन या राज्य दूसरे की मदद कर सकता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय ने वास्तविक समस्या पर प्रकाश नहीं डाला है। हड़ताल और बिजली का चले जाना रोजमर्रा की बातें हो गई हैं। वर्तमान गड़बड़ी पंजाब से आरम्भ हुई है। कृषि, उद्योग तथा अन्य आवश्यक सेवाएं भंग हो गई हैं। अचरज की बात यह है कि पंजाब में हड़तालियों ने टावर और प्रेषण लाइनों को गिराकर हरियाणा तथा अन्य राज्यों को नुकसान पहुंचाकर पंजाब को लाभ पहुंचाया है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में प्रकाश डालेंगे? हरियाणा को अपनी आवश्यकता से 40 प्रतिशत बिजली कम मिल रही है। हरियाणा को प्रतिदिन 31 लाख यूनिट के स्थान पर 22 लाख यूनिट बिजली मिल रही है और पंजाब को प्रतिदिन 45 लाख यूनिट बिजली मिल रही है जबकि उसे 37 लाख यूनिट बिजली मिलनी चाहिए। पंजाब बिजली बोर्ड पटियाला में स्थित है। पंजाब के इंजीनियर पंजाब से गुजरने वाली प्रेषण लाइनों की देखभाल कर रहे हैं तथा भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के उच्च पदों पर भी वही लोग हैं। क्या हरियाणा को निरन्तर होने वाली हानि को रोकने के लिये पंजाब से होते हुए हरियाणा को जाने वाली प्रेषण लाइनों की देखभाल के लिये हरियाणा के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना ठीक नहीं होगा?

पंजाब में बिजली बोर्ड तथा विशेषकर पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की अकार्यकुशलता इसका एक गंभीर कारण है। क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि पंजाब बिजली बोर्ड का अध्यक्ष एक ऐसा इंजीनियर है जिसका सेवा रिकार्ड बहुत ही खराब है? क्या मंत्री महोदय ने इस बात को जानने की कोशिश की है अथवा पंजाब सरकार ऐसे आदमी को लाना चाहती है जिससे उसके अपने हित

पूरे हो सकें। पंजाब में बिजली बोर्डों की स्थापना ही सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, ये बिजली बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। वहां रोज हड़तालें होती हैं। क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि वहां हड़तालों के दौरान प्रादेशिक सेना को नियुक्त किया जा सके? आज जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इस प्रकार की हड़तालें निश्चय ही गंभीर अपराध हैं। मंत्री महोदय और पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है? उन्होंने इस तोड़-फोड़ के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को भी गिरफ्तार नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि इन सभी बिजली बोर्डों को प्रादेशिक सेना के अन्तर्गत ले आना चाहिए ताकि संकट को दूर किया जा सके।

बिजली बोर्डों के अस्तित्व में आने से पूर्व कस्बों में गैर-सरकारी बिजली सप्लाई कंपनियां थी। इन सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्या सरकार इन कंपनियों को पुनः लाइसेंस देगी ताकि बिजली की कमी को दूर किया जा सके। बिजली कर्मचारियों को कानून की ओर से संरक्षण मिला रहता है क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं। वास्तव में ये पूरी तरह से वाणिज्यिक उपक्रम है जो पैसा कमाती हैं, ये बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, इनको कानूनी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक तथ्यपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश इससे प्रभावित नहीं हुआ है, यह संयोग की बात है कि बिजली की इस लाईन की खराबी से पंजाब को थोड़ी अधिक बिजली मिली है, एक बार लाईन के ठीक हो जाने से पंजाब और हरियाणा को पहले की भांति बिजली मिलनी आरम्भ हो जाएगी, पंजाब अपराधी व्यक्तियों को प्रकाश में लाने को उत्सुक है।

मैंने पंजाब के मुख्य मंत्री से इस विषय पर बातचीत की थी, मेरे अनुरोध पर भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष उस स्थान पर गए थे और लाईन को ठीक करने के लिए 24 घंटे काम चल रहा है, मैं बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ के कर्मचारियों और इंजीनियरों को उनके बढ़िया काम के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहता हूं।

पंजाब और हरियाणा में बिजली घरों और 220 किलोवाट लाईन की देखभाल भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड कर रहा है जिसके इंजीनियर पंजाब और हरियाणा के हैं, इसलिए पंजाब सरकार पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है।

पंजाब पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल ने हमें सूचित किया है कि उन्हें तोड़-फोड़ करने वालों के बारे में कुछ सुराग मिले हैं और उन्हें आशा है कि इसके आधार पर कुछ गिरफ्तारियां की जाएंगी। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में जनता का सहयोग मिलेगा और इस प्रकार की तोड़-फोड़ की पुनरावृत्ति न होने दी जाएगी।

मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि गैर-सरकारी लाइसेंसधारियों के तापीय संयंत्रों की क्षमता कितनी थी और यदि इससे स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है तो सरकार इन्हें पुनः चलाएगी।

अनुदानों की मांगें 1974-75

DEMAND FOR GRANTS 1974—75.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी, श्री नवल किशोर शर्मा अपनी बहस जारी रखेंगे।

[**श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए**
Shri Jaganannath Rao Joshi in the Chair.]

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): The Government's policy is to give preference to backward areas in matter of establishing factories etc. As such since pyrite is available in Saladipura area of Sikar district in Rajasthan, a fertilizer plant should be set up there.

The gypsum mines in Bikaner are managed by Shri Dutta who is marking huge money in complicity with big officials of Fertilizer Corporation. The whole matter is to be looked into. The Government should take over the gypsum mines or handover it to Fertilizer Corporation.

I want to draw your attention towards pipe-line scandal. Now it has become a common practice that scandals take place in Public Sector undertakings and the persons involved leave the undertakings before investigation is started to avoid action. The Government should ensure that such persons do not leave the undertakings and they should not get benefits after tendering resignation.

The Government should ensure that distribution of L.D.O. takes place in a proper way. Any complaint regarding corruption should be removed. The same step should be taken in case of kerosene also. Corruption is rampant in the sale of kerosene. The licences of those dealers should be taken away who involve in such practice. Formerly slack was given to industrialists and small scale industries by the I.O.C. But now it has been stopped and the I.O.C. has started using it as fuel. The Government should see whether the former procedure was profitable or the new procedure given profit. With these words I thank the Government.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन में भविष्य के लिए कोई आशा व्यक्त नहीं की गई।

तेल-संकट ने हमारी अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है। तेल की खोज के सम्बन्ध में भी कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। सोवियत विशेषज्ञों ने बताया है कि बम्बई के खुले समुद्र में तेल के भंडार हैं। यह सूचना उन्होंने 10 वर्ष पूर्व दी थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

भारतीय तेल निगम के विपणन और शोधनशाला डिवीजन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मजदूर संघों ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का निर्णय किया है लेकिन मंत्रालय ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। यही नहीं, भ्रष्टाचार अधिकारियों की पदोन्नति कर दी गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन सब बातों का उत्तर दें।

मजदूरों ने शिकायतों के सम्बन्ध में दिए गए ज्ञापन के अतिरिक्त हड़ताल करने का निर्णय किया है। मेरी मांग है कि ज्ञापन पर शीघ्र ध्यान दिया जाये।

भारतीय तेल निगम के विपणन डिवीजन के सम्बन्ध में महालेखापरीक्षक के कार्य-निष्पादन प्रतिवेदन 1970-71 की प्रति सभा पटल में रखी जा चुकी है। प्रतिवेदन में 'उत्पाद

विनिमय प्रबन्ध' का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि कम्पनी उत्पादों पर हुए लाभ की वसूली नहीं कर सकती और वर्ष 1966-67 से वर्ष 1971-72 तक स्वदेश भेजे जाने योग्य 10 करोड़ रुपये की राशि विदेशी तेल कम्पनियों की जेब में चली गई है। इस उत्पाद विनिमय में केवल मोटर स्प्रिट नहीं कई अन्य वस्तुएं भी आती हैं। प्रतिवेदन की समीक्षा करने से पता चलेगा कि विदेशी कम्पनियों ने करोड़ों रुपये कमा लिए हैं। सरकार ऐसा क्यों होने दे रही हैं?

पैट्रोल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इससे उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। उधर विदेशी तेल कम्पनियां अपनी जेबें भर रही हैं। पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का कारण निहित स्वार्थ है। हमारे एकाधिकारियों को मनमाने लाभ, कमाने का अवसर दिया जाता है। उन्हें नेफ्था जैसा कच्चा माल सस्ती दरों पर दिया जाता है। इस प्रकार आयात समानता के कारण भी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई हैं। इस मंत्रालय ने भूल-चूक करके औद्योगिक नीति संकल्प का पूरी तरह उल्लंघन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर आयल के निर्माण के लिए नवम्बर, 1965 में 'सिकरी-ग्रोवर' को लाईसेंस किस प्रकार दिया गया ? औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन क्यों किया गया ? इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मद्रास शोधनशाला ने ट्रांसफार्मर आयल के निर्माण के लिए कच्चे माल का वितरण किया है और गैर-सरकारी लोगों का ट्रांसफार्मर आयल के निर्माण और विपणन की अनुमति दी गई। मुझे यह पूछना है कि भारतीय तेल विभाग अपना संयंत्र स्थापित क्यों नहीं करता ? विपणन डिवीजन के प्रबन्ध निदेशक ने भारतीय तेल निगम के बोर्ड के निर्णय का उल्लंघन करके मैसर्स नगनाल अम्बाडी को लाखों रुपये ऋण के रूप में क्यों दिये ?

प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियों द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन पता लगा है कि गैर-सरकारी व्यापारियों को अधिक प्रतिशत उर्वरक दिया गया है। इसके सम्बन्ध में बताया गया है कि कुरैशी समिति मामले का अध्ययन कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ? मेरी मांग है कि उर्वरक सहकारी समितियों के माध्यम से ही बांटा जाना चाहिए। प्राक्कलन समिति ने कई सिफारिशें की हैं परन्तु किसी को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

पारादीप पत्तन के विकास के बारे में उड़ीसा सरकार की लम्बे समय की मांग पर अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया ? पारादीप पत्तन पर उर्वरक संयंत्र लगाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है फिर उसे न लगाने के क्या कारण हैं ? उड़ीसा में केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय संयंत्र की स्थापना क्यों नहीं की जाती ताकि उड़ीसा और उसके औद्योगिक विकास को होने वाली क्षति से बचा जा सके ? मेरी मांग है कि उर्वरक संयंत्र के लिए केन्द्रीय विद्युत् परियोजना की स्थापना की जाए ताकि संयंत्र उससे बिजली प्राप्त कर सके।

कांग्रेस के कई सदस्यों ने भारतीय तेल निगम की गतिविधियों की आलोचना की है और कहा है कि इसमें कार्मिक नीति का सर्वथा अभाव है। यह भी कहा गया है कि वर्ष 1971 में श्री कमलजीत सिंह ने बिना विज्ञापन दिए 75 विक्रय अधिकारी नियुक्त किए थे। इस

मामले की जांच करने के लिए एक जांच निकाय होना चाहिए जिसमें संसद्-सदस्य शामिल हो और दो महीनों में प्रतिवेदन पेश कर दिया जाना चाहिए।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : हमारा देश आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा है और संकट का मुख्य कारण ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा संकट का मुख्य कारण उन देशों पर दबाव डालना है जो अरबों के विरुद्ध और इजरायल के समर्थक हैं। अरबों और इज़रायल के प्रति हमारी नीति ऐसी रही है कि हमें अशोधित तेल मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही। वे देश हमारी कठिनाई को समझते हैं और हमें आशा है कि हम संकट पर काबू पा सकेंगे। हमें तेल उत्पादन करने वाले देशों से बात-चीत करनी चाहिए और अपनी कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराना चाहिए ताकि हमें रियायती दर पर तेल उपलब्ध हो सके। यह अत्यन्त हर्ष एक विषय है कि श्री बरुआ शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र जा रहे हैं और वहां उन्हें अपनी कठिनाईयों पेश करने का अवसर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईराक, कुवैत तथा साऊदी अरब के प्रतिनिधियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि विकासशील देश को मूल्य वृद्धि के कारण नुक्सान नहीं हो रहा, बल्कि उसका कारण विकसित देशों द्वारा तेल के अधिक मूल्य प्राप्त करना है। हमें आशा है कि विकसित देश हमारी कठिनाईयों को समझेंगे और हमारी सहायता करेंगे।

ऊर्जा संकट हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है। हमने समुद्र तट से दूर तथा समुद्र में तेल की खोज करने की आवश्यकता का अनुभव किया है। हमने यह नीति बना ली है कि अशोधित तेल का प्रयोग केवल कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किया जाएगा; इस सम्बन्ध में सफलता तभी मिल सकती है जब हम मोटर कारों का निजी प्रयोग कम करें, उनके उत्पादन में कटौती करें और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दें।

उद्योगों तथा तापीय संयंत्रों में भट्टी तेल के प्रयोग को कम किया जा सकता है। हमने यह भी समझ लिया है कि जैसे ही विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, हमें बहुत लाभ होगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उचित समय पर निर्णय करेंगे।

'आयल इण्डिया' के बारे में मुझे एक शिकायत है। भारत सरकार और बर्मा शैल के शेयर एक समान हैं और एक समान विनियोग के कारण लाभांश भी एक जैसा है। मेरे विचार यह न्यायोचित नहीं है क्योंकि तेल तो हमारे देश का है और यही एक बहुमूल्य संसाधन है। अतः समान विनियोग का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें एक समान लाभांश दिया जाए।

उर्वरकों अथवा मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि से न केवल निर्धन वर्ग बल्कि सभी वर्गों के लोग प्रभावित हुए हैं, अशोधित तेल चोर बाजार में मिलता है जिसके कारण न केवल निर्धन लोग बल्कि कृषकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय वितरण प्रणाली को इस प्रकार बनाएंगे कि बेचारे कृषकों को रियायती दरों पर तेल मिल सके।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में नकली दवाईयों का निर्माण हो रहा है। और गैर-सरकारी क्षेत्र दवाईयों को बहुत अधिक मूल्यों पर बेच रहे हैं, सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ताकि मानक दवाईयों का निर्माण किया जा सके और उचित मूल्यों पर निर्धन लोगों को उपलब्ध कराई जा सके।

ग्रासाम में तेल के विशाल भंडार हैं फिर भी इस राज्य में स्थापित शोधन शाला की क्षमता केवल 10 लाख टन है जबकि अन्य राज्यों में 30, 40 अथवा 60 लाख टन क्षमता वालों शोधनशालाएं हैं। यह अन्याय है।

बरौनी को अशोधित तेल की सप्लाई के सम्बध में सम्बन्धित पक्षों के बीच समझौता होने के कारण हम बिक्री-कर वसूल नहीं कर पा रहे हैं जिससे करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। हम इस समझौते की समीक्षा करने की मांग लम्बे समय से करते आ रहे हैं ताकि आसाम को इस हानि से बचाया जा सके।

तेल के अतिरिक्त आसाम में कोयले के भंडार हैं जिसमें भस्मांश के तत्व कम तथा सल्फर है। इसको तेल में परिवर्तित किया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय आसाम में ऐसा संयंत्र स्थापित करें।

सरकारी क्षेत्र में औषध उद्योग के कुछ एकक स्थापित किए गए हैं परन्तु आसाम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे पूर्वी क्षेत्रों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जबकि सभी राज्यों ने फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास किया है, बंगाल और आसाम इस क्षेत्र में पिछड़ा रहा है।

पैट्रोलियम अनुसंधान संस्थान की स्थापना आसाम अथवा गुजरात में की जानी चाहिए। देहरादून में संस्थान को स्थापित करने के सम्बन्ध में किए गए निर्णय का क्या औचित्य है?

आयल इण्डिया के कर्मचारियों के बारे में कोई समान नियम नहीं हैं और कनिष्ठ पदाधिकारियों तथा निम्न कर्मचारी-वर्ग की पदोन्नति के लिए कोई सिद्धांत नहीं अपनाया जाता। इससे असंतोष का वातावरण पैदा हो गया है और पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद की कई शिकायतें प्राप्त हुई है।

मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरा मंत्रालय सक्रिय होकर तेल संकट की चुनौती का सामना करेगा।

इन शब्दों के साथ ही मैं मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : बरौनी स्थित परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप नहीं चल रही है। इस्पात सीमेंट आदि निर्माण सामग्री वहां नहीं मिल पाती हालांकि इनका उत्पादन बिहार में ही होता है। किसी ने भी यह स्पष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है।

वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन में कहा गया था कि बरौनी उर्वरक परियोजना मे निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। और उत्पादन वर्ष 1973 की प्रथम छमाही में शुरू हो जाएगा। वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि निर्माण सामग्री के अभाव में निर्माण कार्य में प्रगति नहीं हो सकी और नवीनतम प्रतिवेदन में बताया गया है कि कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के उपलब्ध होने में विलम्ब होने के कारण परियोजना में यांत्रिक त्रुटियां रह गई हैं।

यह समझ में नहीं आता कि विलम्ब किसकी ओर से हो रहा है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है और एजेन्सी ने ठीक समय पर वस्तुओं की सप्लाई क्यों नहीं की। क्या

मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जुलाई, 1974 में परीक्षण स्वरूप उत्पादन शुरू हो जाएगा जैसा कि उन्होंने पहले ही वचन दिया हुआ है।

आसाम शोधनशाला में काम नियमित रूप से नहीं चल रहा है। इसका कारण पाइपलाइनों की क्षमता का सीमित होना बताया गया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि अशोधित तेल बंगईगांव भेजा जा रहा है और यही कारण है कि बरौनी शोधनशाला को यह उपलब्ध नहीं हो रहा।

यह भी कहा गया है कि सरकार इस एकक को आयातित अशोधित तेल से चलाने का प्रबन्ध करेगी और यह तेल हल्दिया से पाइपलाइन द्वारा बरौनी भेजा जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि गत वर्ष कितना तेल इस प्रकार बरौनी भेजा गया। क्या मंत्रालय का यह बताना कर्त्तव्य नहीं था कि प्रथम चरण चौथी योजना के दौरान पूरा किया जा चुका है? दूसरा चरण कब पूरा होगा और शोधनशाला पूरी क्षमता से काम करना कब शुरू करेगी?

यह निर्णय किया गया था कि पैट्रो-रसायन कारखाना बरौनी में स्थापित किया जाएगा। सरकार इसके बारे में अन्तिम घोषणा क्यों नहीं करती?

मुझे यह जानकारी मिली है कि सऊदी अरब की तुलना में ईराक से सस्ते मूल्य पर अशोधित तेल मिल सकता था और ईराक से तेल खरीदने के सम्बन्ध में समझौता भी हो चुका था। परन्तु राजनीतिक स्वार्थों के कारण सऊदी अरब से ऊंचे मूल्यों पर तेल खरीदा गया है। ईराक के साथ किए गए समझौते के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि अब राजकोष से देनी पड़ेगी। कहा गया है कि साऊदी अरब के साथ गुप्त समझौता किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के इशारे पर मंत्रिमंडल को सही बातें नहीं बताई गई? बहुमत होने के कारण सरकार शायद यह समझती है कि वह इस प्रकार के घिनौने कृत्यों को छिपा लेगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा): यह मंत्रालय हमारे देश के भविष्य और आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। पहले कुछ अधिकारी इस मन्त्रालय में इस प्रकार से कार्य करते थे, जिससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिष्ठा कम होती थी। वर्तमान ईंधन संकट और भुगतान सन्तुलन की स्थिति को देखते हुए इस मंत्रालय का महत्व बहुत बढ़ गया है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय ईंधन मूलत: विकसित राष्ट्रों का संकट है, परन्तु यह हमारे राष्ट्र के भविष्य पर उनसे कहीं ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्र संघ की इस विशेष बैठक में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज और ईंधन का पता लगाने आदि पर भी विचार किया जायगा। इसमें भाग लेने वाले हमारे देश के विशिष्ट प्रतिनिधियों—विदेशमंत्री और श्री डी० के० बरुआ को कच्चे माल की कीमतों के प्रश्न भी उटाने चाहिएं।

ऊर्जा संकट के कारण हमारे भुगतान सन्तुलन की स्थिति खराब हो गई है। 1950 में हम 55.5 करोड़ रुपये का अशोधित तेल आयात करते थे। 1970 में 132 करोड़ रु० मूल्य का अशोधित तेल आयात किया गया और अब 1974 में 1300 करोड़ रु० मूल्य का

अशोधित तेल आयात किया जा रहा है, जो हमारी कुल निर्यात आय का लगभग 60 प्रतिशत है। इस लिए ऊर्जा संसाधनों और उनके उपयोग के बारे में नई ईंधन नीति का बनाया जाना अत्यधिक आवश्यक है।

योजना आयोग और मंत्रालय को इस प्रश्न पर विचार करना है कि पैट्रोलियम उत्पादों और अशोधित तेल के उपयोग की मात्रा में किस प्रकार कमी की जाय और ऊर्जा के नये स्रोतों की खोज करके इस बारे में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया जाय।

ईरान तेल के प्रमुख तेल के उत्पादक देशों में से है, परन्तु ईरान में बिजली उत्पादन के लिए पैट्रोलियम का ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। जबकि भारत में, जो कि तेल का आयात करता है, पैट्रोलियम पदार्थों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

अगर अशोधित तेल का कम मात्रा में आयात किया जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी तेल शोधन क्षमता अनुपयुक्त रहेगी और जिन नये तेल शोधन कारखानों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें तेल-शोधन क्षमता स्थायी रूप से अप्रयुक्त रहेगी। सभी तेल शोधन कारखानों के बारे में मन्त्री महोदय को नये सिरे से विचार करना चाहिए। हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि क्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की तुलना में प्राईवेट परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

अगर पैट्रोलियम पदार्थों के लिए मांग में वृद्धि करने की नीति जारी रहती है, तो आगे चलकर हमारी स्थिति बिगड़ सकती है। यूरोप और जापान के अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अगर अधिक मात्रा में पैट्रोलियम पदार्थों को प्राप्त किया जाता है, तो इससे निर्यात आय में वृद्धि होगी। अगर हम इस प्रकार की नीति का अनुसरण करते हैं तो, यह दस या बीस साल में उत्पादन में बाधक सिद्ध हो सकती है। हमें मेक्सिको जैसे छोटे देश से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, जिसने ईंधन के मामले में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में खुदाई सम्बन्धी उत्साहवर्धक समाचार प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूं कि केरल के समुद्र तट सहित पूरे पश्चिमी समुद्र तट में तेल की खोज की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रकार की धांधले बाजी भी समाप्त होनी चाहिए।

उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से मंत्री महोदय ने उत्पाद-शल्क में वृद्धि के लिए सदन में जब घोषणा की थी, तो हमने उसका स्वागत किया था। वर्तमान तेल शोधक कारखानों की कार्य-कुशलता में वृद्धि की जानी चाहिए। परिवहन की भी एक समेकित नीति निर्धारित होनी चाहिए। अस्सी प्रतिशत पानी का बिजली उत्पन्न करने के लिए भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अगर कोई सुनिश्चित ऊर्जा-निती निर्धारित नहीं की गई है, यह तो हमारे विकास के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा।

समाचारपत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि विक्रय विभाग के प्रबन्ध निदेशक ने संवाददाता सम्मेमलन में इस बात की घोषणा की थी कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने मन्त्रालय के विरुद्ध कुछ आरोप भी लगाये है। मैं मंत्री महोदय

से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाही की है। क्या तथाकथित त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया हैं ? कुछ प्राधिकारी बिना किसी पूंजी विनियोजन के पूंजीपति की तरह आचरण कर रहे हैं। मन्त्रालय और सभी निगम संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं ।

नई वितरण नीति बनाई जानी चाहिए। भारतीय तेल निगम के अधीन मिट्टी के तेल के 2100 विक्रेता हैं । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह नई तेल-वितरण नीति बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं? मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बेरोजगार व्यक्तियों और पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े समुदायों के व्यक्तियों--जैसे हरिजनों आदि को वितरण-कार्य सौंपने के बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं ? अगर विदेशी कम्पनियां वितरण कार्य अपने हाथ में लेती हैं, तो यह उपक्रमों के लिए ही नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए भी आत्मघाती सिद्ध होगा।

'इन्डो-बर्मा' पैट्रोलियम कम्पनी का लन्दन के स्टील ब्रदर्स से वर्ष 1969 में अधिग्रहण किया गया था। उस समय के अध्यक्ष को संसदीय दबाब के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा । उन्होंने बिना किसी अधिकार के इण्डियन आयल कारपोरेशन के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को नियुक्त कर दिया। इस प्रवन्ध निदेशक ने अपने रिशतेदार की नियुक्ति की और उस रिश्तेदार ने वर्तमान 'कार्यक्षमता अनुसंधान प्रबन्धक' की नियुक्ति की । इस प्रकार से रिश्तेदारों की नियुक्तियां होती गईं। अब इन्होंने 9 शेयरों के लिए 10 बोनस शेयर जारी करने की अनुमति मांगी है, क्योंकि सरकार का 59 प्रतिशत शेयरों पर ही नियन्त्रण है। मन्त्री महोदय को यह सब रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए और आई० बी० पी० के प्रबन्ध का पुनर्गठन करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। सम्पूर्ण उर्वरक नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हममें से कुछ सदस्यों ने योजना आयोग के साथ 'टोयो' सौदे का प्रश्न भी उठाया था। हमारे पास कोयले के विशाल भण्डार हैं और देश में कोयले पर आधारित पांच छः संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न पर हमें सुस्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

उर्वरकों को अत्यधिक मूल्य पर चोर बाजार में बेचा जाता है और बिचौलिया बीज में ही पैसा खा जाता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से अतिरिक्त आय की प्राप्ति और चोर-बाजारी प्राप्ति के लिए उर्वरक की कीमत में वृद्धि की जानी चाहिए।

फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लि० के बारे में सदन में झड़पे भी हुई हैं। फर्टीलाइजर एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर का कोचीन स्थित कारखाना 2 फरवरी से बन्द पड़ा है। उद्योग मण्डल कारखानों में 1968-69 अथवा 1971-72 की तुलना में 1973-74 में उत्पादन में कमी हुई है। अमोनियम सल्फेट का उत्पादन 50 प्रतिशत और फास्फेट का उत्पादन 45 प्रतिशत कम हो गया है। श्रमिक विवादों में भी वृद्धि हो रही है। सरकारी उपक्रमों में 60 प्रतिशत विवाद गैर-आर्थिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। इस बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिए ताकि श्रमिकों का सहयोग मिल सके।

मैं चेतावनी देता हूं कि भारत में औषधियों का अकाल पड़ने वाला है। कुछ आम औषधियां बाजार से लुप्त हो गई हैं। क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा किये जा रहे घोटालों के कारण तो ऐसा नहीं होता।

औषध उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता 300 करोड़ रुपया है जिसका 80 प्रतिशत विदेशी कम्पनियों के हाथ में है। पांचवीं योजना के दौरान उत्पादन 600 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

1965 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् 25 प्रतिशत विस्तार की छूट दी गई थी। परन्तु औषधियों का उत्पादन बढ़ाने की अपेक्षा शृंगार सामग्री का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। क्या मंत्री महोदय इन सभी बातों की ओर ध्यान देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि हमारा आत्मनिर्भरता का संघर्ष तेल की खोज पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से हमें अशोधिक तेल की कमी का पता चलता है। 30 लाख टन के वार्षिक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार हमारी तेल की 4 से 4.3 करोड़ टन बढ़ जायेगी जबकि हमारा आन्तरिक उत्पादन 70 लाख टन है।

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में हाल में बहुत तेल मिला है। इससे पता चलता है कि हमारे निकटवर्ती समुद्र में बहुत तेल है। हमें पूर्वी तट पर विशाखापटनम से चटगांव और काक्स बाजार तक काफी तेल मिल सकता है। निस्सन्देह हमें इस मामले में बंगलादेश के साथ सहयोग करना चाहिए। अमरीका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस आदि देशों के साथ अपने समझौते में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी शर्तें नहीं मानी जानी चाहिएं जिनमें हानि की सम्भावना हो।

भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपा है कि विदेशी कम्पनियां सरकार पर दवाब डाल रही हैं कि यदि उन्हें अपनी जानकारी के अनुसार तटदूर खोज में लिया गया तो उन्हें अपनी पूंजी लगाने की अनुमति होनी चाहिए। ऐसी अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए।

बहुत समय से सुनने में आता रहा है कि त्रिपुरा, आसाम और बंगाल के गांगेय क्षेत्र में तेल के भण्डार भरे पड़े हैं। परन्तु इस बारे में कोई प्रगति नहीं हो पायी। उपकरणों का अभाव ही इसका मुख्य कारण है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत-रूस करार के अन्तर्गत कौन-सा ठोस कार्य किया गया है? मंत्रालय को खुदाई के लिए रिंग बनाने के लिए तालमेल से कार्य करना चाहिए।

मालवीय समिति द्वारा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में एक महत्वपूर्ण सिफारिश पर सरकार के रवैये पर हम सन्तुष्ट नहीं हैं। तेल की खोज के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए जिसके अधीन उक्त आयोग को कार्य करना चाहिए।

बड़े खेद की बात है कि आजादी के 27 वर्ष होने के बाद हम केवल 70 लाख टन तेल प्रति वर्ष पैदा कर रहे हैं। और विश्व में तेल संकट के समय हम इतनी खराब हालत में हैं। मित्र देशों तथा मित्र एजेंसियों से आवश्यक उपकरणों एवं तकनीकी जानकारी की सहायता से आगामी पांच वर्षों में जोरदार प्रयास किये जाने चाहिएं ताकि अपने संसाधनों से लाभ उठाकर हम धीरे-धीरे आत्मनिर्भर हो सकें।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए]

[Shri Dinesh Chandra Goswami in the Chair.]

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : बहुत से सदस्यों ने देश में उर्वरकों के उत्पादन के बारे में चिन्ता व्यक्त की है।

इस समय हम उर्वरकों का उत्पादन बहुत शीघ्र बढ़ाना चाहते हैं। हमारी वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 1939000 टन नाइट्रोजन और 560000 टन फास्फेट का उत्पादन करने की है। आशा है 1974-75 तक कुछ परियोजनाएं और तैयार हो जाएंगी और इससे 822000 टन नाइट्रोजन और 299000 टन फास्फेट की अतिरिक्त उत्पादन हो सकेगा। बहुत-सी योजनाएं सिद्धान्ततः स्वीकार की जा चुकी हैं, जिनसे 23000 टन नाइट्रोजन और 52100 टन फास्फेटिक उर्वरकों की क्षमता और हो जाएगी। अतः पांचवीं योजना के अन्त तक 655100 टन नाइट्रोजन और 174300 टन फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन की क्षमता हो जायेगी।

कुछ सदस्यों ने वर्तमान क्षमता के पूरा उपयोग न किये जाने पर चिन्ता व्यक्त की। यह ठीक है कि सरकारी क्षेत्र में क्षमता का उपयोग संतोषजनक नहीं है। 1973-74 में केवल 47.3 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा सका। दुर्गापुर और कोचीन में क्षमता का उपयोग केवल 3.9 और 8.6 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया। क्योंकि वहां बहुत सी कठिनाइयां थीं।

यह दोनों संयंत्र विदेशों की सहायता से निर्मित किए गए हैं। संयंत्रों को चालू करने पर अधिकतर उपकरण खराब होने लगे । हमारे अधिकारियों ने अत्यन्त कठिनाई से उन खराबियों का पता लगाया परन्तु उन्हें दूर करने में उन्हें सफलता नहीं मिली। मोटेकाटिनी फर्म से अपने आदमी भेज कर संयंत्र का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है। आशा है इस समस्या का कोई न कोई हल निकल आएगा।

हमारा प्रयत्न रहा है कि देश में अपने ही उर्वरक संयंत्र चालू किये जायें। हम देश में अधिकतम उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हमें कम से कम उर्वरकों का आयात करना पड़े।

सरकारी क्षेत्र में रूरकेला और नेवेली दो और संयंत्र हैं। पहले में पर्याप्त कोक भट्ठी गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं है और दूसरे की मशीनें बहुत पुरानी हैं। इन दो संयंत्रों को छोड़ कर सरकारी क्षेत्र के अन्य संयंत्रों में गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में स्थिति अच्छी है।

सिन्दरी की मशीनें भी पुरानी पड़ती जा रही हैं। उन्हें सुव्यवस्थित और आधुनिक करने की योजना है और आशा है जिप्सम के स्थान पर राक फास्फेट का उपयोग करना शुरू किया जा सकेगा तथा आशा है इससे सिन्दरी में उत्पादन बढ़ेगा।

हमारे प्रयत्नों के बावजूद पांचवीं योजना के बाद हमारा नाइट्रोजन का उत्पादन 40 लाख टन होगा जबकि हमारी आवश्यकता 52 लाख टन की है। इस प्रकार पांचवीं योजना के पश्चात् भी हमें आयात करना पड़ेगा। परन्तु जिन देशों से हम उर्वरकों का आयात करते

रहे हैं उन्होंने तेल तथा कच्चे माल के अभाव के कारण माल देने में असमर्थता प्रकट की है।

कुछ सदस्यों ने कोयले से उर्वरकों के उत्पादन का सुझाव दिया है। मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की जाये।

माननीय सदस्यों ने उर्वरकों की वितरण व्यवस्था पर भी चिन्ता व्यक्त की है। हमने राज्य सरकारों से यह आग्रह किया है कि यदि वितरण व्यवस्था उन्हें सौंपी जाती है तो वे उसे गैर-सरकारी पार्टियों को न सौंपें।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : क्या हम यह मान लें, उर्वरक निगम वितरण व्यवस्था राज्यों को कुछ शर्तों पर सौंपने को सहमत हैं?

श्री शाह नवाज खां : हमने पहले भी ऐसा किया है तथा उचित शर्तों पर ऐसा करने को उद्यत हैं। श्री कछवाय ने गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित उर्वरकों के वितरण को भी अधिकार में लेने का अच्छा सुझाव दिया था।

राजस्थान के एक सदस्य ने सादीपुर पाइराइट और जमना-कोटरा राक फास्फैट पर अतिरिक्त उर्वरक कारखाना स्थापित करने का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में विश्व बैंक ने एक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया है और उसका मूल्यांकन एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा किया जा रहा है। समिति का प्रतिवेदन मिलते ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

कुछ सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जब देश में नेफ्था की कमी है और उर्वरक के उत्पादन के लिए उसकी आवश्यकता है हम उसका निर्यात क्यों करने जा रहे हैं? हम वह नेफ्था उन देशों को देंगे जो बदले में हमें उर्वरक देंगे।

औषधि निर्माण में सरकारी क्षेत्र का बहुत कम योगदान है। यह योगदान 6 से 8 प्रतिशत रहा है। पांचवीं योजना के अन्तर्गत हम इसे 20 प्रतिशत कर रहे हैं और बहुतायत उपयोग में आने वाली औषधियों के मामले में उसे 50 प्रतिशत करने के विस्तार कार्यक्रम हैं। विदेशी फर्मों की गतिविधियों को नियमित करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। उद्योगों के भारतीय क्षेत्र को निर्माण योजनाओं में प्राथमिकता दी जानी है। सामान्यत: बहुतायत में उपयोग में लाई जाने वाली औषधियों का निर्माण करने की योजना के बिना विदेशी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए जाते। विदेशी फर्मों से बड़ी मात्रा में उपयोग में आने वाली औषधियों का निर्माण अधिक मूल स्तर से करने को कहा जाता है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : भारतीय फर्मों के उत्पादन का 60 प्रतिशत बहुतायत से उपयोग में आने वाली औषधिया होती हैं जबकि विदेशी कम्पनियों द्वारा केवल 5 प्रतिशत उत्पादन ही ऐसी औषधियों का होता है। तब भी मंत्री महोदय ने दोनों को एक स्तर पर रखा है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : यदि मैं सभी बातों का उत्तर देता हूं तो मुझे उतना ही समय चाहिए जितना उन्होंने लिया है। कम समय के कारण हमने प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं।

सभापति महोदय : यदि मंत्री महोदय सभी बातों का उत्तर नहीं दे पाते तो वह पृथक से विवरण सदस्यों को भेज दें।

श्री शाहनवाज खां : विदेशी फर्मों को उचित मात्रा में निर्यात करने को कहा जाता है और विदेशी इक्विटी अंशो को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। इससे अतिरिक्त हम उनके और विस्तार पर नियंत्रण रख रहे हैं। श्री हाथी की अध्यक्षता म इन सब पहलुओं को अध्ययन करने के लिए हमने एक समिति नियुक्त की है।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष के अन्तर्गत गठित कार्यकारी दल के प्रतिवेदन का जिक्र किया गया जो बड़ी मात्रा में प्रयुक्त औषधियों के मूल्य का अध्ययन कर रहा था। प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तथा उसके परिणाम शीघ्र ही हमारे सामने आ जायेंगे।

Shri N.P. Yadav (Sitamarhi) **:** I want to draw the attention of the hon. Minister towards Barauni Fertilisers Factory. There is undue delay in establishing Barauni Fertilizer Factory. It is high time to expedite its construction so that fertiliser shortage in Bihar could be removed. Due to this shortage, fertiliser is being sold at a high premium and big dealers are minting money by exploiting the situation. Due attention should be given to this matter.

There is acute shortage of fertilisers in the country and kerosene oil is being sold in black market. Some time ago, a circular was issued by the Ministry in which it was said that unemployed engineers and graduates would be given licences for establishing petrol pumps. Kerosene Oil depots and fertilisers, sale depots in their districts.

Consquently, although a number of graduates and umemployed engineers submitted their applications, they have not been given any licence. My submission is that Government should look into it and issue licences to them so that they could get employment to that extent atleast.

Now-a-days kerosene oil is being sold at the rate of Rs. 1·50 to 2·00 per litre in the border districts of North Bihar. A number of complaints were made in this connection but no action has been taken so far. In this connection my suggestion is that on receipt or a complaint by an M.P. about the dealers who sell kerosene oil in black market, their licences should be cancelled by the district authorities.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है तथा हमारी योजनाओं की सफलता मुख्यतया इसी मंत्रालय पर निर्भर करती है। इस मंत्रालय से सम्बद्ध समस्याओं पर मेरे से पूर्व के वक्ताओं द्वारा काफी प्रकाश डाला गया है। मेरा विचार है कि इस मंत्रालय से सम्बद्ध सभी संगठनों को सरकारी क्षेत्र में ले लेने पर ही जनता के साथ न्याय किया जा सकता है। वर्तमान मंत्री महोदय जो कि काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, आशा है कि वह इन सभी बातों की ओर उचित ध्यान देंगे।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार प्रदान करने की ओर दिलाना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष के नाते मुझे विभिन्न मंत्रालयों में इस वर्ग के लोगों की संख्या जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कई मंत्रालय ऐसे हैं जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या ना के बराबर है। प्रायः प्रत्येक मंत्री अनुसूचित जातियों के लोगों को रोजगार देने के लिए उत्सुक होता है परन्तु हमारी अफसरशाही इनके प्रति उदासीन रहती है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर अपेक्षित ध्यान देंगे।

बोगाइगांव में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना की जा रही है। इस कारखाने की ग्राधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। इस का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस कार्य को द्रुत गति प्रदान की जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को इससे शीघ्र लाभ उठाने का सुग्रवसर प्राप्त हो सके।

ग्रासाम में पेट्रोल पम्पों का एकाधिकार चल रहा है। वहां के सभी पेट्रोल पम्पों पर प्रत्यक्ष या ग्रप्रत्यक्ष रूप से एक ही व्यक्ति का नियंत्रण है। जब तक देश में इस प्रकार एकाधिकार चलता रहेगा, तब तक हमारा देश समाजवाद की ग्रोर ग्रग्रसर नहीं हो सकेगा। ग्रत: पेट्रोल पम्पों की स्थापना में ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर जनजातियों के लोगों को भी ग्रवसर दिया जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भी दिए जाने चाहिए ताकि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ग्राज स्थिति यह है कि उर्वरकों की कमी ग्रौर सरकारी सहयोग के ग्रभाव में 23 चाय बागानों में उत्पादन नहीं हो रहा है। इन बागानों में कार्य करने के लिए उड़ीसा, बिहार, छोटानागपुर ग्रौर मध्य प्रदेश तक के ग्रादि-वासी वर्ग के लोग ग्राते हैं। यदि सरकार इन चाय बागानों को ग्रपने हाथ में ले ले तो इन लोगों का रोजगार बना रह सकता है।

ग्रन्त में मैं फिर यही निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को मंत्रालयों में ग्रधिकाधिक रोजगार दिलाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। यह कहना ठीक नहीं है कि इन जातियों के योग्य प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होते हैं।

श्री शंकरराव सावन्त (कोलाबा) : मैं पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। विश्व के समक्ष जन से वर्तमान तेल संकट ग्राया है तब से इस मंत्रालय का महत्व ग्रौर ग्रधिक बढ़ गया है। हमें सदा इस बात का विश्वास रहा कि ग्ररब देश सदा ही हमारे गहरे मित्र रहेंगे। यही कारण है कि हमने ग्रपने तटीय ग्रौर तटदूर के देश से तेल की खोज करने की ग्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारी वर्तमान कठिनाइयों ने हमें यह पाठ पढ़ा दिया है कि ग्रब हमें इसकी ग्रोर ग्रधिक उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ग्राशा है कि तेल ग्रौर प्राकृतिक गैस ग्रायोग ग्रब इस ग्रोर ग्रधिक तत्परता से ध्यान देगा।

ग्राज वास्तविक स्थिति यह है कि तेल का उत्पादन करने वाले देश ग्रब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। उन का विश्वास है कि वह विश्व भर से लाभ उठा सकते हैं परन्तु इसके साथ ही उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा करना कभी उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि यह भी तो ग्रर्थशास्त्र का ही नियम है।

तेल शोधक कारखानों के बारे में ग्राज स्थिति यह है कि उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र का सदा ही यह प्रयत्न रहता है कि वह सरकारी क्षेत्र की तुलना में ग्रच्छे परिणाम प्रस्तुत करें तथा इस हेतु वह कई बार सरकारी क्षेत्र के साथ ग्रपनी मिलीभगत स्थापित करने में भी सफल हो जाता है। ग्रत: इस ग्रोर ग्रपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में कार्य संतोषजनक ढंग से चले।

उर्वरकों के महत्व पर चर्चा के दौरान काफी बल दिया जा चुका है। इनसे सम्बद्ध मुख्य समस्या इनके वितरण की है। मुझे यह समझ नहीं ग्राता कि ग्राखिर यह वितरण कार्य सहकारी समितियों को क्यों नहीं सौंप दिया जाता। मिट्टी के तेल का वितरण भी इन्हीं

समितियों द्वारा किया जा सकता है। जलाने वाली गैस के उपलब्ध होने में भी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्तिम बात मैं मिलावटी और जाली दवाइयों के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसी दवाइयां बाजार में न बिक पायें इसके लिए सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि विदेशी फर्मों तथा यूनियन कार्बाइड आदि को इतने अधिक लाइसेंस दिए जा रहे हैं, हमारे देश की फर्मों को भी लाइसेंस मिलने चाहिए। तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि चर्चा के दौरान सदस्यों ने बहुत ही उचित तथा लाभदायक बातें कही हैं। चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण मामला यह भी उठाया गया है कि हमें सदैव इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के संगठनों को पूंजीपति अपने प्रभाव में न ले लें। यदि ऐसा होने दिया जाता है तो फिर सरकारी संगठनों का कोई अर्थ ही शेष नहीं रह जाता। और उस स्थिति में तो हम इसे गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को ही बेच सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के संगठनों का एक विशेष स्थान और महत्व होता है, अतः इन्हें चलाने वाले लोगों का भी विशेष दायित्व होना चाहिए।

कुछ सदस्यों द्वारा यह कहा गया है कि देश में हरिजनों और आदिवासियों की संख्या काफी है परन्तु उस संख्या के अनुपात में उन्हें सरकारी क्षेत्र के व्यापार तथा नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। यह बड़े ही खेद की बात है और हमारे सामाजिक न्याय के आदर्श के पूर्णतया विपरीत है। मैं इस बात के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा कि उन लोगों को सभी प्रकार के सरकारी संगठनों और विशेषतया मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध संगठनों में अपेक्षित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। मैंने प्रधानमंत्री से प्रस्ताव किया है कि कम से कम 25 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिए। कच्चे तेल के वितरण की व्यवस्था में उन्हें इतना प्रतिनिधित्व देने से उनकी हालत में काफी सुधार लाया जा सकता है।

दिल्ली के लोगों की सूची पर दृष्टिपात करने से यह बात सामने आती है कि यहां तक कि कम्पनी, फर्म या व्यक्ति को 53,000 सिलेण्डर वितरित करने का अधिकार प्राप्त है। हम ने इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उसे विभाजित करने का निश्चय किया है। हम इसे कई भागों में बांट कर इस प्रकार इसका जाल फैलाना चाहते हैं जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नवयुवकों को उससे पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्राप्त करवाया जा सके।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कूटनीति का उल्लेख किया गया है। तेल के सम्बन्ध में हमारी किसी प्रकार की गुप्त कूटनीति नहीं है। हम तेल उत्पादक देशों के अधिकार को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हम यह भी स्वीकार करते हैं कि विकसित देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए इस संसाधन का निर्दयतापूर्वक उपयोग किया है तथा इसके साथ ही इन्हें अपने तेल के लिए उचित मूल्य लेने का पूर्ण अधिकार है। तेल के मूल्यों में की गई वृद्धि के कारण हमारे समक्ष जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं उनसे हमने उन्हें अवगत करवा

दिया है। उन्होंने हमारी कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने हमारे दृष्टिकोण को समझा तथा द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर इसका हल भी खोज निकालने में हम सफल हुए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि हम ईरान और ईराक जैसे विरोधी नीतियों देशों से भी अच्छा सौदा करने में सफल हुए हैं। उन्होंने हमें कुछ छूटें भी दी हैं। उधर सऊदी अरब द्वारा भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई जा रही है। उन्होंने हमें चर्चा के लिए आमन्त्रित किया है। इतना ही नहीं, हमारे अन्य पड़ोसी तेल उत्पादक देशों ने भी हमें चर्चा के लिए बुलाया है। हमें आशा है कि इनके साथ ही शीघ्र ही हमारा अनुकूल समझौता हो जाएगा।

गत वर्ष हमें श्रम सम्बन्धी मामलों में तनाव का सामना करना पड़ा। परन्तु यदि हम इस मामले का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि इससे श्रमिकों द्वारा बहुत रचनात्मक भूमिका निभाई गई है। उन्होंने लगभग कोई हड़ताल नहीं की है, यद्यपि कुछ समय के लिए थोड़ा तनाव भले ही बना रहा। यह प्रसन्नता की बात है कि हम उसे सुलझाने में सफल हो गये हैं। इसके लिए सब से पहले हमने सामूहिक समझौते के सिद्धान्त को स्वीकार किया फिर उसके बाद हमने बातचीत की स्वतन्त्रता के आदर्श को माना। हल्दिया तेल शोधक कारखाने के विभिन्न वर्गों के श्रमिक श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के श्रमिकों द्वारा बम्बई के समीप गहरे समुद्र में अत्यन्त सराहनीय कार्य किया गया है।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा तटदूर छिद्रण का प्रश्न भी उठाया गया है। यह निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि पहले कुएं का कार्य पूरा हो चुका है और इससे तेल भी प्राप्त हो गया है। दूसरे छिद्रण कार्य के लिए तैयारी पूरी की गई है। यह पुराने ढंग का छिद्रण नहीं, अपितु यह भी जैक-अप ड्रिल ही है। यह सैमी-सब लाब्रिलद नाम का एक नया ड्रिल है। इस कार्य में हमारे कर्मचारी अमरीकी कम्पनियों के सहयोग के साथ कार्य कर रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

सम्पूर्ण विश्व में छिद्रण कार्य करने का काम कुछ कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। यह ठेका प्रणाली सामान्य ठेका सेवा के रूप में प्रसिद्ध है, परन्तु हम इस कार्य के लिए इक्विटी शेयर नहीं देना चाहते। हम उन्हें तेल में किसी प्रकार का हिस्सा देने के इच्छुक नहीं हैं। हम इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहते हैं ताकि हमें ठेके की अच्छी शर्तें प्राप्त हो सकें। तेल के सम्पूर्ण उत्पादन को, हम अपने पास रखने के इच्छुक हैं।

कुछ सदस्यों द्वारा तटदूर क्षेत्रों में छिद्रण कार्य की तैयारी करने का मामला भी उठाया गया है। मुझे इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना है कि इस कार्य के लिए एक भूकम्पीय सर्वेक्षण पोत का क्रयादेश दे दिया गया है। आशा है कि यह अमरीकन पोत अगले वर्ष यहां पहुंच जायगा।

प्रौद्योगिकी आज एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय बन गया है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि रूस के सहयोग के बिना हमारे देश में तेल उद्योग ही न होता। आज भी जहां तक 'तट' पर रहने का सम्बन्ध है, इस मामले में उसने हमारी काफी सहायता की है। हमारे पोत पुराने हो चुके हैं। सर्वेक्षण के अनुसार हमने 18 पोतों का क्रय करने का निर्णय किया है। इसी प्रकार हमने रूस से तीन पोत खरीदने के लिए क्रयादेश दे दिए हैं।

सदस्यों द्वारा एक अन्य 'तेल मूल्य समिति' का गठन करने का भी सुझाव दिया गया है। वर्ष 1968 में शान्तिलाल शाह समिति का गठन तेल मूल्य समिति के रूप में किया गया था। इस समिति ने 1970 में अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। परन्तु इसके पश्चात तो तेल व्यापार के सम्पूर्ण ढांचों में ही परिवर्तन हो गया। अतः अब इस सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के लिए एक नई समिति गठित की जाने की आवश्यकता समझी गई तथा एक समिति का गठन भी किया गया। इस समिति से शीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

कुछ सदस्यों द्वारा मालवीय समिति की सिफारिशों का प्रश्न भी उठाया गया है । मुझे इस सम्बन्ध में यही कहना है कि इस समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध कुछ बुनियादी मार्गदर्शी सिद्धान्तों से है। हमने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने में कुछ समय लगाया। अब हमने श्री हक्सर की अध्यक्षता में एक ऐसी समिति का गटन किया है जिस में अनेक वैज्ञानिक, टैक्नालाजिस्ट तथा वाणिज्य प्रशासक हैं।

श्री प्रसाद को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें गैर-सरकारी उद्योग के प्रबन्ध का भी अनुभव है। उन्हें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। उन्हें पूरे अधिकार दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि वह मालवीय समिति की सिफारिशों के आधार पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को नया रूप दें। वह शीघ्र ही हमारी विशेष परिस्थितियों के अनुकूल सुझाव देंगे ।

यद्यपि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग स्वायत्तशासी निकाय है फिर भी धनराशि के मामले में वह पूर्णतया सरकार पर निर्भर रहता है। अत: हमने तेल उद्योग विकास निधि स्थापित करने का निर्णय किया है।

हमारा उक्त निधि को 45 करोड़ रुपये की वार्षिक धनराशि से आरम्भ करने का विचार है। हम न केवल समुद्र से दूर छिद्रण कार्य कर रहे हैं बल्कि हम एक अन्य रिग खरीद रहे हैं। हमने ईराक में छिद्रण कार्य आरम्भ कर दिया है वहां हमारा दल कार्य कर रहा है। हम आसाम में छिद्रण कार्य तेज कर रहे हैं आसाम में बहुत अधिक तेल प्राप्त होने की सम्भावना है। आगामी पांच वर्षों में वहां तेल का उत्पादन दुगना होने की आशा है। इसी प्रकार बरौनी तेल कारखाने की क्षमता भी 20 लाख टन से बढ़कर 30 लाख टन हो जायेगी। बरौनी में 30 लाख टन तेल साफ करने में कोई कठिनाई नहीं है।

सऊदी अरब का तेल खरीदते समय योजना आयोग के सदस्य श्री पाठक से हमें कोई तार प्राप्त नहीं हुआ। श्री पाठक का तेल की खरीद से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : जब हम कोई प्रश्न चर्चा के समय उठाते हैं तो उस प्रश्न पर हम पूर्णतया सन्तुष्ट होना चाहते हैं। मंत्री महोदय इस बारे में संदेश प्रधान मंत्री के पास क्यों नहीं छोड़ देते जिससे हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं है कि प्रधान मंत्री को उक्त तार प्राप्त हुआ है। वह उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं।

श्री देवकान्त बरूआ : ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक सऊदी अरब से खरीदे गए अशोधित तेल के मूल्य का सम्बन्ध है इसका मूल्य प्रधान मंत्री के सचिव, मंत्रिमण्डलीय सचिव,

आर्थिक कार्य सचिव, वित्त सचिव, मेरे मंत्रालय के सचिव, मेरी और वित्त मंत्रालय की समिति में निर्धारित किया गया था। जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, मूल्य निर्धारण वरिष्ठ अधिकारी की समिति द्वारा पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद किया गया था। उक्त समिति में वित्त मंत्री भी थे। इसको वित्त मंत्री ने मंजूरी दी थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सऊदी अरब के अशोधित तेल के लिए अधिक मूल्य दिये जाने तथा ईराक के अशोधित तेल के लिए कम मूल्य दिये जाने के क्या कारण हैं ? मेरा यह आरोप है कि इस प्रकार कुछ स्वार्थी तत्वों ने 30 लाख डालर कमाया है।

श्री देवकान्त बरूआ : माननीय सदस्य का आरोप बेबुनियाद है तथा झूठा है और ऐसा राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं दो प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला यह कि सऊदी अरब का अशोधित तेल इराकी अशोधित तेल की तुलना में अधिक मूल्य पर नहीं खरीदा गया था और दूसरा यह कि क्या प्रधान मंत्री को श्री पाठक से कोई सन्देश प्राप्त हुआ था ?

श्री देवकान्त बरूआ : जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, अशोधित तेल के मूल्य अनेक देशों में तेल की किस्म और कभी-कभी उन देशों से हुए समझौतों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। हम एक किस्म के तेल के लिए समान मूल्यों का भुगतान नहीं करते। प्रत्येक देश में यह मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

लघु उद्योगों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले 'स्लैक वैक्स' का उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक की सलाह से इसकी बिक्री बन्द कर दी गई है क्योंकि लघु उद्योग के कार्यकरण का पर्याप्त रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। "स्लैक वैक्स" अथवा इससे निकले तेल से विनिर्मित पैराफिन वैक्स का दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। भारतीय मानक संस्थान के माध्यम से ऐसे संयंत्रों पर उचित निगरानी करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः हम पैराफिन वैक्स तैयार करने के लिए "स्लैक वैक्स" का प्रयोग नहीं कर सकते।

जहां तक भारतीय तेल निगम के मार्केटिंग डिवीजन के प्रबन्ध निदेशक का सम्बन्ध है, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। अतः मैंने भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति समिति को सुझाव भेजे हैं। भारतीय तेल निगम को नया रूप इसलिए दिया जा रहा है ताकि न केवल वितरण प्रणाली प्रभावशाली बनाई जा सके बल्कि तेल शोधन कार्य को भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।

हम त्रिपुरा में भी तेलशोधन कार्य तेजी से कर रहे हैं। परियोजना अधिकारी के विरुद्ध पहले ही जांच की जा चुकी है और जब उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप मेरे सामने प्रस्तुत किये गये तो मैंने वहां मुख्य सतर्कता अधिकारी को जांच के लिए भेजा। जैसे ही उनका प्रतिवेदन प्राप्त होगा इस बारे में कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक बरौनी पैट्रो-रसायन का सम्बन्ध है हम इस बारे में योजना आयोग की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बरौनी को पुराना तेल शोधन कारखाना होने के कारण इस मामले में प्राथमिकता दी जायेगी।

सभापति महोदय : अब मैं डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 9 से 21 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय, द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut Motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Petroleum and Chemicals was put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
70	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	58,58,000	2,00,47,68,000

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1974/29 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 19, 1974/Chaitra 29, 1896 (Saka).

290 LSS/74—GIPF.